"बदलते सामाजिक परिवेश में पुलिस की भूमिका 1990 से 2005 तक एक समाजशास्त्रीय अध्ययन"
(जनपद जालौन के विशेष सन्दर्भ में)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी के
समाजशास्त्र विषय में
पी-एच०डी०
उपाधि हेतु प्रस्तुत
शोध- प्रबन्ध
2009

शोध निर्देशक :
डॉ. आनन्द कुमार खरे
समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष
डी.वी. (पी.जी.) कॉलेज
उरई (उ.प्र.)

शोधकर्ता :
अखिलेश विक्रम
एम.ए. समाजशास्त्र

नन्द वैदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उरई (जालौन)

नन्द कुमार खरे
ाध्यक्ष समाजशास्त्र)
ादिक स्नातकोत्तर
ाय,उरई
बु0वि0, झाँसी

आवास :
नया रामनगर, अजनारी रोड
उरई (जालौन)
फोन : 05162-253894

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अखिलेशविक्रम पुत्र श्री विश्वनाथ ने समाजशास्त्र विषय में शीर्षक *''बदलते सामाजिक परिवेश में पुलिस की भूमिका 1990 से 2005 तक एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (जनपद जालौन के विशेष सन्दर्भ में)''* मेरे निर्देशानुसार शोधकार्य किया है। इनका यह कार्य बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की शोध परिनियमावली के अन्तर्गत निर्धारित अवधि (200 दिन की उपस्थिति) के अनुसार मेरे निर्देशन में पूर्ण हुआ है। वे बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की शोध परीक्षा की नियमावली के सभी उपबन्धों की पूर्ति करते हैं।

शोध छात्र द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबन्ध उनका पूर्णतया मौलिक विश्लेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक तथ्यों पर आधारित है। इस शोध प्रबन्ध का कोई भी अंश किसी अन्य विश्वविद्यालय में शोध उपाधि के विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मैं शोध प्रबन्ध को मूल्यांकन हेतु अग्रसारित करता हूँ।

शोध निर्देशक

डॉ0 आनन्द कुमार खरे
(विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र)
दयानन्द वैदिक स्नातकोत्तर
महाविद्यालय,उरई
सम्बद्धः बु0वि0, झाँसी

घोषणा-पत्र

मैं अखिलेशविक्रम पी–एच0डी0 शोध छात्र प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा किया गया शोध कार्य, *"बदलते सामाजिक परिवेश में पुलिस की भूमिका 1990 से 2005 तक एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (जनपद जालौन के विशेष संदर्भ में)"* पूर्ण रूपेण मौलिक विषय है तथा इसका सम्पूर्ण कार्य मेरे द्वारा किया गया है।

प्रस्तुत शोध कार्य को डा0 आनन्द कुमार खरे, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र, डी0वी0 (पी0जी0) कालेज उरई द्वारा मार्गदर्शित एवं निर्देशित किया गया है।

शोधार्थी

दिनाँक: 22/8/09

(अखिलेशविक्रम)
ब्लॉक कालौनी के पीछे
कोंच, जनपद – जालौन

आभार

उन विचारों की निरन्तरता बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक है, जिनसे तत्कालीन समाज अत्यन्त प्रभावित होता है जिनकी जरूरत समाज व राष्ट्र की सुरक्षा और संरक्षा के लिये अतीत में थीं, वर्तमान और भविष्य में रहेगी। चिंतक, सम्पादक, विचारक, साहित्यकार एवं लेखकों ने पुलिस की गरिमा पर विभिन्न प्रकार के लेख और टीका, टिप्पणी प्रस्तुत की।

पुलिस विभाग अतीत से नवजागरण काल तक परिवर्तनीय रहा है और उससे जुड़े विभिन्न कर्मचारी कांस्टेबिल से लेकर महानिदेशक तक के कर्मियों ने हमेशा आलोचना, निन्दा और सार्थकता को सहा है। उसका मुख्य कारण बदलते परिवेश में आज समाज का दृष्टिकोण पुलिस विभाग के लिये और कुछ है। बढ़ता हुआ अपराध, साम्प्रदायवाद, जातिवाद और भाषावाद जैसे संकटों ने पुलिस की छवि को शंकायुक्त बनाया है।

आभार प्रदर्शन का श्री गणेश विद्या अधिष्ठात्री माँ सरस्वती से करता हूँ जिनकी असीम कृपा से यह शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किया जा रहा है और उनके चरणों में शत्-शत् नमन करता हूँ।

परम श्रद्धेय गुरूवर स्व0 डा0 छोटे सिंह असिस्टेन्ट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग भगवत सहाय महाविद्यालय, ग्वालियर एवं शोध निदेशक डॉ0 आनन्द कुमार खरे विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र दयानन्द वैदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उरई (उ0प्र0) का ह्रदय से आभारी हूँ जिन्होंने मेरे शोधरूपी स्वप्न को साकार रूप दिया। शोध प्रबन्ध के लिये आवश्यक सामग्री एकत्रित करने में आने वाली कठिनाईयों से उत्पन्न निराशाजन भावनाओं को समाप्त करने के लिये श्रद्धेय गुरूवर के प्रेमपूर्वक व्यवहार एवं ओजस्वी उद्‌वोधन ने औषधि का कार्य किया। समय-समय पर ऊर्जा तथा प्रेरणा का संचार करते रहने

के कारण ही मैं अपने प्रयास को पूर्णतः प्राप्त कर सका हूँ। अतः मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं परम आदरणीय गुरुदेव की धर्मपत्नी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरे शोध प्रबन्ध पूर्ण करने में यथासम्भव सहयोग प्रयास किया।

परम आदरणीय माताजी–पिताजी एवं ज्येष्ठ भ्राता योगेश प्रकाश ने मुझे समय–समय पर शोधकार्य करने की प्रेरणा दी जिसके कारण शोधपूर्ण करने में आत्मबल मिला।

प्रस्तुत शोध–प्रबंध को उत्कृष्ट एवं यथार्थनीय बनाने के लिये पुलिस विभाग के उरई मुख्यालय के कप्तान साहब, उरई सदर सी0ओ0, थानाध्यक्षों एवं जालौन जिले के विभिन्न कोतवालियों के कांस्टेबिलों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरे शोध–कार्य को गत्यात्मक बनाया और जो भी विभागीय सहयोग था उसे वास्तविक रूप से मुझे अवगत कराया। इसके अतिरिक्त शहर के पत्रकार, क्राइम ब्रांच के निर्देशक एवं विजिलेंस का सहयोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से शोधकार्य हेतु मिला तथा विभिन्न प्रकार के सुझाव समय–समय पर मिलते रहे उनके प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

आत्मानुभूति के इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह शोध–प्रबन्ध प्रस्तुत करता हूँ।

शोधार्थी

दिनाँकः 22/5/09

(अखिलेशविक्रम)

अनुक्रमणिका

तालिकाओं का विवरण

पृष्ठ सं0

प्रथम–अध्याय : प्रस्तावना

द्वितीय–अध्याय : शोध प्रारूप एवं अध्ययन क्षेत्र

वार–चित्र

तृतीय–अध्याय : अध्ययन का उद्देश्य

चतुर्थ–अध्यायः विद्यमान सामाजिक परिवेश एवं पुलिस प्रशासन

पंचम–अध्यायः पुलिस कर्मियों की भूमिकायें

संक्षिप्त शब्दों का विवरण

क्रमांक	संक्षिप्त शब्द	पूरा विवरण
1.	का0	कान्सटेबिल
2.	हेड का0	हेड कान्सटेबिल
3.	उप नि0	उप निरीक्षक
4.	नि0	निरीक्षक
5.	पु0 उपा0	पुलिस उपाधीक्षक
6.	पु0 अ0	पुलिस अधीक्षक

प्रथम अध्याय

प्रस्तावना

प्रस्तावना

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुये उसके व्यवहार एक तरफ उसके विचार, संवेग, भावनाओं और उसकी आदतों से प्रभावित होते हैं, तो दूसरी तरफ उसका प्रभाव दूसरों के ऊपर भी पड़ता है। मनुष्य के विश्वास, मनोवृत्ति, अनुकरण, सहानुभूति आदि और उसके व्यवहार के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। मानव इतिहास इस बात का साक्षी है कि वो सदा से अपनी परिस्थितियों में क्रिया प्रतिक्रिया करता रहता है। कुछ समाज मनोवैज्ञानिक के अनुसार कि मनुष्य के आचरण उसके शारीरिक एवं मानसिक भावना का परिणाम होती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ***गुथरी*** के अनुसार शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। उनका मानना है जब कोई उत्तेजना किसी प्रतिक्रिया के साथ घटती रहती है तो निश्चित रूप से वह किसी अन्य अनुक्रिया के साथ सम्बन्धित हो जाती है। स्वाभाविक रूप से विचार किया जाय तो हम मानव व्यवहार के इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही करता है, दूसरे शब्दों में मनुष्य की सोच उसकी क्रिया को प्रभावित करती है।[1]

प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ***हल*** के अनुसार कि "मानव व्यवहार अभ्यास पर आधारित है। अभ्यास मनुष्य सम्बद्ध अनुक्रिया की देन है। मनुष्य की ऐसी पहली अनुक्रिया आकस्मिक होती है, किन्तु यदि उससे उसे किसी प्रकार का लाभ या सन्तोष प्राप्त होता है तो उसकी पुनरावृत्ति करता है।"[2]

मनुष्य या मानव अपनी गतिविधियों के आधार पर विभिन्न प्रकार की चेतना और गतिविधियों को जन्म देता है। मनुष्य व्यवहार के आधार पर नैतिक, अनैतिक, संवैधानिक तथा असंवैधानिक विभिन्न क्रियाओं में लिप्त रहता है। मानव व्यवहार सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। कुछ मनोवैज्ञानिक – ***कूले, मीड, मार्डन*** मानते हैं कि समाज में व्यक्ति का व्यवहार उसकी भूमिका के अनुसार होता है। व्यक्ति की भूमिका तथा उसके अहं के बीच की अन्तः क्रिया होती है। वही व्यक्ति के समाजीकरण का मुख्य कारण है। इस तरह मनुष्य का व्यवहार उसके अहं व भूमिका का प्रतिफल है।

भारत में पुलिस व्यवस्था के प्रति लोक अभिरुचि सदैव विमुख रही है। पुलिस व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनावश्यक दुर्व्यवहार, अपराधियों के साथ नृशंस व्यवहार, शरारती तत्वों को बढ़ावा देना, श्वेत वस्त्र पोशधारी का सहयोग करना, गुण्डों एवं डकैतों से रिश्वत लेना, अपराधियों के साथ अमानवीय व्यवहार आदि अनेक आरोपों से भारतीय पुलिस विलग नहीं है। फलतः दण्ड प्रक्रिया के वर्तमान ध्येय, सुधार एवं पुनरुद्धार की भावना का मूलआधार न्यायिक प्रणाली के इसी प्रारम्भिक स्रोत से पहुँचता है।

हमारे देश में पुलिस व्यवस्था प्राचीनकाल से लेकर वर्तमान तक अत्यधिक विरोध एवं समालोचना के दौर से गुजरती रही है। भारत में पुलिस के अतिरिक्त आम जनता के मन में अविश्वास व नापसन्दी की धारणा पायी जाती है। ब्रिटिश शासनकाल में पुलिस राज शक्ति का

कठोरतम् उदाहरण थी। भारत के सुदूर अंचलों में बसे हुये बीहड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में भी उस समय पुलिस का आरक्षक ब्रिटिश सत्ता का अहसास कराने में सक्षम था।

तब से लेकर आज तक जनता का एक बहुत बड़ा भाग पुलिस को भ्रष्टाचारी, निरंकुश, अविश्वासी, समाजद्रोही आदि विश्लेषणों से विभूषित करता रहा है। दूसरे शब्दों में पुलिस के अतिरिक्त ब्रिटिश शासन से चला आ रहा पूर्व द्वेष एवं सन्धि की भावना का वातावरण बना रहा है। पुलिस के अतिरिक्त जनता की यह भावना संदेह के दायरे को चौड़ा करती जा रही है। अँग्रेजों ने अपनी राज्य सत्ता को मजबूत करने के लिये व राष्ट्रीय आन्दोलनों को दबाने में पुलिस का पूर्ण दुरूपयोग किया था और भारतीय जनमानस के मस्तिष्क में पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा पुलिस का दमनकारी स्वरूप आज भी विद्यमान है। यथार्थ में देखा जाय तो स्वतंत्र भारत की पुलिस पापी की तुलना में ज्यादा गुनाह सहने वाली रही है क्योंकि उसे सामाजिक, नैतिक, प्रशासनिक व राजनैतिक दबाव में काम करना पड़ता है। सत्ताधारी राजनीतिज्ञों से वह उपर्युक्त व शोषित होती है। बुद्धिमानों की वह घृणा और अविश्वास का पात्र बनती है। लोक मानस उससे डरता है, कानून उस पर अविश्वास व संदेह करता है। अपने स्वार्थों के लिये शक्तिशाली व पूँजीपति उसे उपर्युक्त करते हैं। समाचार पत्र उसे शूली पर चढ़ाने के लिये तैयार रहते हैं, श्रमिक वर्ग उसे जालिम मानता है और सत्ताधारी उसे बलि का बकरा बनाते हैं।

इस तरह भारत में अँग्रेजों के समय से चली आ रही पुलिस पद्धति में तेजी से परिवर्तन हो रहा है एवं समाज में स्थित होकर रह गयी है। अनेक राजनैतिक कारण, सामाजिक गैर जिम्मेदारी, भ्रष्टाचार, प्रशासन हीनता और व्यवसायिक अक्षमता ने उसकी छबि धूमिल कर दी है। भारतीय पुलिस के अवकाश प्राप्त अधिकारी ***एस0सी0 मिश्रा*** ने पुलिस की छबि के संदर्भ में कहा है कि पुलिस के संदर्भ में लोगों के मन में अजीबोगरीब विरोधाभास की स्थिति बनी है। एक ओर जहाँ सामान्य अवसरों पर पुलिस जनों की उपस्थिति पर कोई स्वागत नहीं करता वहीं दूसरी ओर जब लोग कठिनाई में पड़ते हैं तब उसकी तीव्रता से खोज की जाती है। यहाँ तक कि समझदार व्यक्ति भी उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। कई बार पुलिस के कार्यों को चाहे वे कितने भी अच्छे उद्देश्य से क्यों न किये गये हों, शक की नजर से देखे जाते हैं और ऐसा समझा जाता है कि वे ऐसे अभिप्राय या पक्षपात या दबाव से किये गये हों।

"यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस प्रशासन पर विस्तृत अध्ययन किये गये लेकिन पुलिस प्रशासन पर छोटे–छोटे क्षेत्रों में एवं जनपद स्तर पर क्या कार्य हुआ? इसका आशय यह नहीं कि अन्वेषणकर्ताओं द्वारा किये गये अध्ययनों की अवहेलना करना है बल्कि उनके द्वारा किये गये अध्ययनों को भलीभाँति समझते हुये एवं सम्मान करते हुये अपने जनपदीय स्तर के अध्ययन को पूर्ण करना है। यह सच है कि बहुत सी रिपोर्टों में राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस प्रशासन एवं उसकी कार्यविधियों पर व्याख्या की गई, और राजकीय स्तर पर भी आयोगों द्वारा विस्तृत सूचनायें दी गयीं।"

उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन बार पुलिस आयोग गठित किये। 1960, 1970 और 1982 में सरकार ने आयोग द्वारा प्रस्तावित पुलिस कर्मियों के मासिक वेतन में वृद्धि की। उपनिरीक्षक, कांस्टेबिल, हेडकांस्टेबिलों की संख्या में वृद्धि एवं एक लाख की आबादी वाले शहर में पुलिस के पास आँसू गैस की व्यवस्था को सर्वप्रथम अपनी कार्यप्रणाली में लिया। इसके बाद आयोगों द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रीय निरीक्षकों की नियुक्ति महत्वपूर्ण पुलिस स्टेशनों पर की, जो अपने क्षेत्र का सम्पूर्ण कार्य देखें। क्षेत्रीय निरीक्षक का पद अब समाप्त कर दिया गया है। ये क्षेत्रीय निरीक्षक राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के स्थान पर नियुक्त किये जाते थे। कुछ महत्वूपर्ण प्रस्तावों के पालन के बावजूद पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली एवं ढाँचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। आज का समाज पहले जैसा समाज नहीं है। वर्तमान समाज के विचार पहले जैसे नहीं हैं और न ही आज का जनमानस। वर्तमान समाज के विचार अपेक्षाकृत अडिग व निश्चय है। कानून और उसके नियमों के पालन की धारणा बदल रही है, यह सच है कि कल्याणकारी समाज में पुलिस के विभिन्न कार्यों की व्याख्या को स्वीकार किया गया है। अपराध को जड़ से कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये तो अपराधों की संख्या में कमी की जा सकती है। क्रॉंति का कभी अन्त नहीं होता लेकिन प्रशासनिक क्रान्ति के द्वारा समाज के रूपान्तरण के लिये निरीक्षण नीति के अन्तर्गत क्रांति को सम्मिलित किया जा सकता है। दण्डात्मक संस्कृति एक पुलिस प्रशासन का आधार है। उसके स्थान पर अगर उचित व्यवहार अपनाया जाये तो अधिक उद्देश्य पूर्ण होगा।

पुलिस प्रशासन की एक झलक **थॉमस ए0 जॉनसन** की पुस्तक "द पुलिस एण्ड सोसाइटी" में उद्धृत **बेन बिथकर** के इस कथन से स्पष्ट होती है– उन्होंने लिखा है कि हम उससे "पुलिस" आशा करते हैं कि मानवीय हो और कहते हैं कि अमानवीय है। हम "शासन" उन्हें विधि के द्वारा क्रियान्वित रखते हैं फिर भी कहते हैं कि उन्हें न मानें, हम उसका विरोध करते हैं जब वह हमारे मामले में कानूनी कार्यवाही करती है किन्तु हम उसकी बर्खास्तगी की माँग करते हैं। जब वे दूसरों के मामले में विधिक कार्यवाही नहीं करते हैं। हम उन्हें रिश्वत का प्रलोभन देते हैं फिर भी हम पुलिस भ्रष्टाचार की निन्दा करते हैं हम आशा करते हैं कि वे हमारे समाज के सदस्य हैं किन्तु हम उनके मूल्यों में साझेदार नहीं होते हैं। हम हिंसा को भड़काते हैं किन्तु जब पुलिस उन्हें रोकने हेतु बल प्रयोग करती है तब हम उसका विरोध करते हैं। हम पुलिस से कहते हैं कि उसे जनता से सूचना प्राप्त करनी चाहिए किन्तु हम सही सूचनायें उन तक पहुँचाने में बाधा उत्पन्न करते हैं।

भारतीय सामाजिक जीवन में विघटनकारी तत्वों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जीवन का आज कोई ऐसा क्षेत्र नजर नहीं आता जो विघटन की ओर नहीं बढ़ रहा हो। वर्तमान में हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में इतनी तेजी से गिरावट आयी है कि व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित अनेक समस्यायें उठ खड़ी हैं। आज अपराध, बाल अपराध, श्वेतवसन अपराध, आत्महत्या, मद्यपान, जुआखोरी, वेश्यावृत्ति आदि की समस्यायें बढ़ती जा रही हैं। परिवार के क्षेत्र में भी आज की स्थिति बदल चुकी

है। अनेक वैवाहिक एवं पारिवारिक समस्यायें उठ खड़ी है। राजनैतिक दलबन्दी, दलबदल और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार स्पष्टता से दिखायी पड़ रहा है। आज जातिवाद, भाई—भतीजा वाद, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद, तोड़फोड़, घेराव, युवा तनाव व छात्र असंतोष सम्पूर्ण जन जीवन को दूषित कर रहा है। पिछले पैंतालीस वर्ष के नियोजन के बाद भी देश को सामाजिक पुनर्निर्माण और समाज कल्याण की दिशा में बहुत आगे नहीं बढ़ाया जा सका है। गरीब अमीर के बीच असमानता बढ़ती ही जा रही है। परिणामस्वरूप विभिन्न आर्थिक स्थिति के लोगों में कहीं जातीय आधार पर तो कहीं वर्गीय आधार पर घृणा द्वेष तनाव और संघर्षपूर्ण सम्बन्ध पाये जाते हैं।

"हमारे देश भारत के बारे में अक्सर कहा जाता है कि यहाँ अपराध भी फलदायी है। इसके बहुत से कारण हैं लेकिन न्याय मिलने में विलम्ब इसका मुख्य कारण है। इन्साफ में देर का एक मतलब हमेशा के लिये इन्साफ न मिलना भी हो सकता है। इसके बहुत से उदाहरण भी हमारे सामने है। लगभग एक दशक पूर्व ***हर्षद मेहता*** ने आम जनता के करोड़ों रुपये धोखे से ठग लिये थे। इसी तरह का एक मामला हमारे सामने है जो कि ***केतन पारिख*** नामक शेयर दलाल का है। जिसने बैंक और छोटे निवेशकों के करोड़ों रुपये गबन कर लिये। अब ठगे हुये लोग इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि उन्हें उनका पैसा वापस मिलेगा या नहीं साथ ही ***केतन पारिख*** को इस जालसाजी की उचित सजा मिल भी पायेगी या नहीं क्योंकि पुलिस और न्याय प्रक्रिया में देरी है जिस कारण से अपराधी को सजा नहीं मिल पाती।"[3]

सेधना ने अपनी पुस्तक ''सोसाइटी एण्ड द क्रिमनल'' में व्यक्ति की समस्याओं की अपेक्षा उसके मानसिक विचारों को अधिक महत्व दिया। जिस प्रकार भवन के निर्माण में उसकी नींव की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से अपराधिक प्रवृत्तियों के प्रति व्यक्ति की इच्छा एवं मानसिक क्षमता ही आधार होती है। अपराधी समाज के शत्रु नहीं होते हैं वह समाज का दूषित भाग होते हैं जिससे समाज कभी उन्हें शत्रु नहीं मान सकता है।

अपराधियों में सुधार देते हुये उन्होंने कहा है कि प्रत्येक अपराधी को सभी अपराधियों से अलग रखकर उसके विचारों की जानकारी प्राप्त करना चाहिए कि कौन सा कारण है कि जिसकी बजह से अपराधी अपराध करता है और एक रोगी से उसकी तुलना करते हुये कहा है कि रोगी की बीमारी का नयी विधियों से उसका शारीरिक उपचार किया जाता है, उसी प्रकार अपराधी का मानसिक उपचार करते हुये सामाजिक एवं पारिवारिक स्तरों पर उसकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, उनके प्रति अपराधी को आकृष्ट करें तत्पश्चात किसी प्रकार का दण्ड दें।

''हमारा देश भारत दुनिया का सबसे मजबूत एवं बड़ा लोकतंत्र है, भ्रष्टाचार के मामलों में भी भारत अगली पँक्ति के देशों में शामिल हो गया है। हालांकि सर्वाधिक भ्रष्ट देशों की सूची में इसका स्थान नौवाँ है पर हालात ऐसे ही रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हम नम्बर एक पर होंगे।''[4]

भ्रष्टाचार और अपराध यह एक दूसरे के पूरक हैं। भ्रष्टाचार भारत में एक महामारी का रूप ले चुका है। यह एक वास्तविक तत्व

है कि केवल सामाजिक और आर्थिक कारक अपराध के प्रति जिम्मेदार नहीं है बल्कि उच्च आकांक्षा, भौतिकवादी सुख एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो अपराध के लिये जिम्मेदार है। "दरअसल भ्रष्टाचार और अपराध एक दूषित मनोविकार है चूँकि यह निरंतर जोड़ तोड़ की प्रक्रिया है। अतः जब कानून और पुलिस व्यवस्था का शिकंजा ढीला होता है, तो लोग भ्रष्ट होने को प्रेरित होते हैं, खासकर सत्ता एकाधिकार वाली कुर्सी पर आसीन व्यक्ति को भ्रष्ट होने के लिये पूरा प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि किसी के प्रति जबावदेह न होने का उनका रुतवा उन्हें बहुत कम जोखिम में डालता है।"[5]

जे०सी०करी ने अपनी पुस्तक "द इन्डियन पुलिस" में 1861 से 1931 तक के समय की भारतीय पुलिस भूमिकाओं का वर्णन किया है। जिसके अन्तर्गत लेखक ने प्राचीनतम् से नवीनतम् भारत में पुलिस प्रशासन की ऐतिहासिक विशेषताओं का वर्णन किया और अपराधों के प्रकारों को प्रकाश में लाये और इस निर्णय पर पहुँचे कि भारत में अपराध के प्रकार विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा अत्यधिक विलक्षण है। उनके अनुसार– कि साम्राज्यवादी पुलिस के अधिकार और कर्तव्य भारतीयों के विरुद्ध हैं। किस प्रकार वह भारतीय पुलिस के चरित्र को जनता के समक्ष लायें और अपराध एवं अव्यवस्था के प्रति उनको ध्यान दिलायें।

अभी हाल में ही पुलिस और अपराधी राजनेताओं की संघर्ष स्थली बना बिहार, जहाँ खादी और खाकी के बीच हिंसक मुठभेड़ें हुयीं। खादी यानी महान राजनेताओं के विचार में पुलिस द्वारा किया गया कोई

भी हमला उनके सत्ता आधार को चोट पहुँचा सकता है और दूसरी ओर पुलिस आत्मरक्षा और सुरक्षा कारणों से इस तरह की कार्यवाही के लिये विवश है। यह सम्पूर्ण मामला मुख्य तौर पर बिहार के सीवान जिले के रा0ज0द0 के सांसद ***मुहम्मद शहाबुद्दीन*** से जुड़ा हुआ है। उक्त सांसद हथियारों में बेहद दिलचस्पी रखता है। इसी कारण उसे साबू ए के 47 के नाम से पुकारा जाता है परन्तु पुलिस और अपराधी राजनेताओं के बीच न्याय अन्याय की प्रक्रिया एवं पुलिस और नौकरशाही, समाज और कानून की सुरक्षा के बजाय खुद को सुरक्षित करने की जरूरत महसूस करने लगे हैं।

पी0डी0 शर्मा ने अपनी पुस्तक "ए डवलपमेंट एर्पोच" में भारतीय पुलिस संगठन और उसकी समस्याओं की अपेक्षा उसकी कार्यप्रणाली का मूल्यांकन किया है। आज भारतीय पुलिस संगठित अनुशासित बल है। पुलिस और समाज एक दूसरे के आवश्यक अंग है। "एक प्रजातांत्रिक समाज में पुलिस की भूमिका एक सामाजिक सेवा संस्था तथा प्रजातांत्रिक प्रणाली के संरक्षक की है। जापान, फ्राँस, इंग्लैण्ड और अमेरिका आदि सभी प्रजातांत्रिक समाज में पुलिस अपनी अनेक विभिन्नताओं के साथ–साथ भिन्न–भिन्न स्वरूप लिये हुये हैं।"[6]

डेविट एच0 बेले ने अपनी पुस्तक "द पुलिस एण्ड पोलिटिकल डवलपमेंट इन इण्डिया" की रचना करके भारत में पुलिस की भूमिका एवं कार्य का परीक्षण करके विचित्र वर्णन प्रस्तुत किया है। यद्यपि **बेले** विदेशी थे फिर भी उन्होंने अद्भुत एवं आश्चर्यजनक कार्य भारतीय

पुलिस और समाज पर किया। उनका कार्य न ही लिखित दस्तावेजों पर आधारित था और न ही उन्होंने पुस्तकालय में बैठकर अपने अध्ययन को पूर्ण किया। आधुनिकता एवं आधुनिकीकरण भारत के लिये कोई नयी बात नहीं है बरना इसकी नींव 19वीं शताब्दी में उस समय रखी जा चुकी होती जब **राजा राममोहन राय** सुधार और नवीन सामाजिक विधानों के द्वारा इस देश की परम्परात्मक सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिये प्रयत्नशील थे। "इससे पहले देश में पुलिस प्रशासन को वैधानिक शक्ति दे दी तथा साधारणतया सभी राज्यों में रेग्यूलेटिंग एक्ट भी शामिल कर लिया गया।"[7]

सर्वप्रथम पुलिस मद्रास, कलकत्ता राज्यों में प्रकाश में आयी 1770 में एक पुलिस परिषद का गठन ब्रिटिश संविधान के अनुरूप किया गया और एक अध्यक्ष की नियुक्ति की गयी। कुछ वर्षों पश्चात पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस कोतवाल की नियुक्ति की गयी।

1783 में सरकारी न्याय अभिकर्ता द्वारा पुलिस संगठन और व्यवस्था पर व्यापक अनुसूची सम्मिलित की गयी। 1791 में गर्वनर लार्ड हर्बट द्वारा पुलिस कमेटी के नाम से योजना पर पुनः कार्यान्वयन किया गया।

मद्रास में पुलिस व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने हेतु एक अध्ययन समिति का गठन किया गया। यह निर्णय 1806 में लिया गया एवं इसके लिये एक यूरोपीय पुलिस अधीक्षक को नियुक्त किया गया। उन्होंने दस यूरोपीय दरोगाओं तथा पाँच सौ चपरासियों के साथ कार्य को अग्रसारित किया।

1812 में पुलिस व्यवस्था के नियमों में एक और परिवर्तन किया गया। शहर का पुलिस अधीक्षक पहले मजिस्ट्रेट होता था उसके अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करके विदेश यात्रा के सरकारी आज्ञा पत्रों के निरीक्षण एवं बाजार में बिकने वाले माल की गुणवत्ता एवं सही नाप तौल का निरीक्षण तथा जिन सैनिकों की भागने की सम्भावना हो उनकी निगरानी इन सभी कार्यों को भी पुलिस के सामान्य कार्य से जोड़ दिया।

बारेन हेस्टिंग्स पहले व्यक्ति थे जिन्होंने परिषद की पुलिस व्यवस्था के पहले अपनी योजना तैयार की थी उनकी योजना बड़ी थी जो समिति द्वारा पास की गयी और कार्यान्वित करने के आदेश दिये गये। ''न्याय और प्रशासन की वास्तविक व्यवस्था अंग्रेजी कानून के आधार पर थी लेकिन भारतीयों के साथ उनके अधिकार क्षेत्र और व्यवहार में स्वदेशी कानून एवं रीति रिवाजों दोनों का ध्यान दिया जाता था।''[8]

आज वर्तमान समय में पुलिस और समाज संवैधानिक नियमों को भूलते जा रहे हैं। ऐमनेस्टी इण्टरनेशनल ने हाल की अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि पुलिस कर्मियों द्वारा अन्वेषण या ड्यूटी के दौरान तरह तरह की अमानवीयता प्रदर्शित की जाती है। यदाकदा पुलिस अभिरक्षा में महिला के शील भंग होने के समाचार प्रकाशित होते हैं। संदिग्ध व्यक्ति से पूँछताँछ के दौरान भिन्न–भिन्न तरीकों से कष्ट पहुँचाना और कभी इस प्रताड़ना या अमानवीयता का परिणाम पुलिस हिरासत में मृत्यु का दावा किया गया है। कहा गया है कि इन लोगों को बर्बरतापूर्वक पीटा गया तथा मृत्यु होने तक सताया गया। इन सभी

प्रकरणों की गहन छानबीन के पश्चात पुलिस उच्चाधिकारियों ने केवल पच्चीस मामलों से सम्बन्धित पुलिस कर्मियों को दोषी पाया।

डा० किरण वेदी के अनुसार "अब मैं तिहाड़ जेल की प्रमुख हूँ, जो मानवीय आयाम के रूप में एशिया पेसेफिक में सबसे बड़ी जेल है। 1993 में तिहाड़ जेल में चार जेल थे, जो 7200 बन्दियों के लिये न्यायिक हिरासत के रूप में काम आते थे जबकि उनकी अधिकृत क्षमता 2273 बन्दियों की थी। उन्होनें मुझे बतलाया कि उस समय तिहाड़ जेल के अन्दर रहने वालों में केवल दस प्रतिशत बन्दी दोषी थे, जबकि शेष 90 प्रतिशत विचाराधीन कैदी थे।"[9]

भारतीय संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो कि पुलिस संरक्षण में किसी भी अनावश्यक बल प्रयोग को अनुचित एवं असंवैधानिक ठहराते हैं। संविधान की धारा 14 में कानून समान संरक्षण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार एवं धारा 22 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की असंवैधानिक गिरफ्तारी के बाद संरक्षण का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि इस तरह अवरुद्ध व्यक्ति के पास अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने तथा अपनी रुचि के अनुसार विधिक सलाह लेने का संवैधानिक अधिकार है।

पुलिस, समाज, संस्कृति और सभ्यता ये चारों शब्द विचारणीय और कथनीय है। नई संस्कृति एवं सभ्यता ने नये नये अपराधों को जन्म दिया है जिसके कारण नये कानूनों को बनाना आवश्यक हो गया है। पुराने कानूनों को कड़ा बनाया गया है फिर भी उनका ठोस

रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। आधुनिक बदलते सामाजिक परिवेश में कुशल पुलिस संरक्षा की आवश्यकता है। सामाजिक सम्बन्धों की जटिल व्यवस्था, महानगरों का विकास, खतरनाक शस्त्रों का निर्माण एवं विकास, अपराधों का विशेष संगठन और समस्त सामाजिक रचना पर इसका प्रभाव, अपराधी दलों के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने वाले यातायात के तीव्रगामी साधन जो अपराधियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भगाने में सहायता करते हैं। समाज में इस प्रकार परिवर्तनों से कुशल पुलिस प्रशासन की आवश्यकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अपराधियों एवं जनमानस के सम्बन्ध एवं व्यवहारों में अन्तर निर्धारण करना अत्यधिक कठिन कार्य है।[10]

भारत लगातार खूनी वारदातों, अमानवीय हिंसक गतिविधियों की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आजादी के बाद के दशकों की राजनीति की सबसे बड़ी विकृति यही रही है कि इसमें नैतिक एवं अनैतिक कुछ भी न रहा। राजनीति के राजनीतिज्ञों को अपने उद्देश्यों की पूर्ति यदि किसी ओर से संभव दिखलायी पड़ती है तो वे बड़े से बड़े नैतिक मूल्यों व आदर्शों को ताक पर रखकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं इस अधोगामी प्रवृत्ति के कारण देश में हत्या, डकैती, लूटपाट, चोरी, अपहरण, बलात्कार, महिला उत्पीड़न, दजेह प्रथा जैसे अपराधों व हिंसक गतिविधियों में लगातार वृद्धि हुयी और कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ीं।

अपराधों को रोकने के लिए पुलिस बल बना हुआ है जो देश में कानून और व्यवस्था को कायम रखता है। देश के अन्दर शान्ति

बनाये रखना अपराधियों को पकड़ना तथा समाज को हिंसा से दूर रखना पुलिस बल का कर्तव्य है। भारतीय संविधान के अन्तर्गत भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। सभी धर्मों के प्रति समान आदर रखता है किन्तु रुढ़िवादी, अलगाववादी एवं धर्मान्ध अनुयायी छोटी–छोटी बातों को लेकर हिंसा का वातावरण पैदा करते हैं। साम्प्रदायिकता एक विष की बेल की तरह समाज में फैल चुकी है जिसमें भारत के वैदिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप को दूषित कर दिया है। सम्प्रदायवाद या साम्प्रदायिकता से धर्म नैतिकता एवं प्रथायें बिखरती हैं।

थॉमस ओडियो के अनुसार– कि धर्म व्यक्ति को समूह के योग्य बनाता है। अनिश्चितता की दिशा में उसकी सहायता करता है, निराशा की स्थिति में उसे ढांढस बँधाता है। कर्तव्य भावना का विकास करता हैं तथा सभी व्यक्तियों को एक दूसरे के समीप आने की प्रेरणा प्रदान करता है।[11]

भाषावाद के कारण कई जगह हिंसात्मक आन्दोलन चलाये गये भाषावाद और क्षेत्रवाद हिंसात्मक रूप धारण करता जा रहा है। पश्चिमी बंगाल में नेपाली मूल के लोगों के द्वारा चलाया गया हिंसात्मक आन्दोलन, पंजाब में, खालिस्तान की मांग, असम में पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों द्वारा बोडो लैण्ड की माँग, उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड की माँग देश की शान्ति व्यवस्था के समक्ष एक विकट चुनौती प्रस्तुत करती है।

मिजोरम, नागालैण्ड, मणिपुर में उग्रवाद, छत्तीसगढ़, आन्ध्र एवं केरल में नक्सलवाद के माध्यम से स्वतंत्र राज्य घोषित करने के प्रयास किये गये। कश्मीर आतंकवादी गतिविधियों से गुजर रहा है। आतंकवादियों

द्वारा देश के विभिन्न महानगरों में जैसे दिल्ली बम्बई एवं धार्मिक स्थलों को आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाया जा चुका है। आतंकवादी एवं घुसपैठियों द्वारा कश्मीर की घाटी में कश्मीरी पंडितों की हत्यायें की जा रही हैं जो एक अमानवीय एवं अनैतिक कृत्य है। सामाजिक कुरीतियाँ समाज में असमानतायें एवं प्रत्येक व्यक्ति के आर्थिक विकास का लक्ष्य रखते हुये कई सामाजिक कानून बनाये गये हैं जिसके क्रियान्वयन हेतु पुलिस व्यवस्था के ऊपर भार रखा गया है। कई राज्यों में जैसे बिहार और पश्चिम बंगाल में सवर्णों और दलितों का भयंकर नरसंहार हुआ। आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाना एवं उनके सुसंगठित होने के फलस्वरूप अभी तक अपना वर्चस्व कायम रखने वाले व्यक्तियों को अपना वर्चस्व समाप्त होते हुये दिखाई देने लगा है जिसके कारण तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। यह तनाव सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक गतिविधियों पर भी प्रभाव डाल रहा है।

भौतिकवादी समाज में कई प्रकार की विसंगतियाँ और संस्कृति विरोधी नीति पनप रही है। सबसे बड़ी हास्यास्पद बात यह रही कि हिन्दी भाषा में ज्ञान विज्ञान की प्रगति के साथ साथ अनभिज्ञता और अविश्वास पनप रहा है।

अपराध की समस्या आज व्यापक एवं जटिल समस्या का रूप धारण कर चुकी है। यह समस्या हमारे गाँव, कस्बों, नगरों, महानगरों, प्रांतों व देश की न होकर सम्पूर्ण विश्व की है। यह एक चौंका देने वाला तथ्य है कि भारत में पिछले तीन दशकों से अपराधों में काफी

वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण राजनैतिक अपराधीकरण, बेरोजगारी, जनसंख्या विस्फोट, यौन अतृप्ति एवं आतंकवाद है। इस कारण से मध्यम एवं निचले वर्ग का जीवन आज असुरक्षित है परन्तु हमारे देश का अभिजात, पूँजीपति, उद्योगपति वर्ग अपनी रक्षा के लिये कई प्रकार के साधन ढूँढ़ लेता है परन्तु आम जनमानस सुरक्षित नहीं है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। पुलिस और खुफिया एजेन्सियों की सक्रियता के बावजूद भी आज आम नागरिक का जीवन असुरक्षित है।

आजादी के बाद देश की राजनीति की सबसे बड़ी विकृति यही रही है कि इसमें नैतिक तथा अनैतिक कुछ भी नहीं रहा। आज राजनीति के क्षेत्र में राजनेताओं के लिये नैतिकता या मानवीय आदर्शों का कोई मूल्य नहीं है। उन्हें कर्म अकर्म का कोई ज्ञान नहीं होता। धर्म को व्यवसाय का रूप दे दिया गया है। अधोगामी प्रवृति के कारण देश में हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। हमारे देश की कानून व्यवस्था के पालन में ढिलायी बरतने के कारण या यह कहिए कि हमारी लचर कानून व्यवस्था की वजह से समय–समय पर गम्भीर एवं भयंकर अपराध होते हैं। विडम्बना यह है कि अपराधी तत्व स्वच्छंदता के साथ विभिन्न नगरों एवं महानगरों में भोगी एवं विलासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं क्योंकि उनके विरुद्ध या तो अपराध सिद्ध नहीं हो पाते हैं या फिर वे राजनैतिक पहुँच के सहारे बच निकलते हैं अथवा पकड़ ही नहीं पाते हैं। इन्हीं बातों का परिणाम है कि हिंसक गतिविधियों में लगातार वृद्धि हुयी और कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ी।

अपराधों को रोकने के लिये पुलिस बल बनाया गया जो देश में कानून व व्यवस्था रखता है। देश के अन्दर शान्ति बनाये रखना अपराधियों को पकड़ना तथा समाज को हिंसा से दूर रखना पुलिस बल का कर्तव्य है। समाज और पुलिस एक दूसरे के पूरक हैं। भ्रष्टाचार के कारण वर्तमान समय में पुलिस की छवि गिरी और पुलिस विभाग भ्रष्टाचार के कारण विकृत हुआ। अपराध का मुख्य कारण अज्ञानता, सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास एवं अपने मूल सिद्धान्तों से विचलन तथा धर्म को गलत तरीके से परिभाषित करना।

वर्तमान समय में अपराधों में काफी वृद्धि हुयी है। वैध तथा अवैध शस्त्रों में वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि, सामाजिक मूल्यों की मर्यादाओं में कमी, पूर्व मान्यताओं का अनादर, ऐतिहासिक पुरुषों पर कटाक्षेप, साहित्यकारों एवं समाज सेवियों पर व्यंग्य तथा कानून एवं संविधान का अनादर करना इन्हीं सभी कारणों से समाज में नये नये अपराधों का प्रादुर्भाव हुआ।

वर्तमान समय की पीढ़ी वेदों में वर्णित मंत्रों एवं सूक्तियों को भूल चुंकी है। ऋषियों एवं मुनियों के उपदेशों को कपोल कल्पित बातें कह कर सर्वहिताय के मूल सिद्धान्त को विनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। महिलायें वास्तविक चिन्तन से दूर जा चुकी है। उनका अधिकांश समय शारीरिक सौन्दर्य अपनाने में लगा रहता है जिस कारण से महिलायें असुरक्षित हैं और अपराधों में वृद्धि हो रही है।

वर्तमान समय में रामजन्म भूमि, बावरी मस्जिद, काशी विश्वनाथ मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के विवाद को लेकर पुलिस की कर्तव्य परायणता और उत्तरदायित्वता पर उँगली उठने लगी है और कुछ समुदाय के लोगों के द्वारा पुलिस का विरोध किया गया, उन पर बम फेके गये। शासन से पुलिस एवं पी0ए0सी0 के स्थान पर सेना की माँग की गयी तथा पुलिस कर्मियों एवं प्रशासन के विरोध में जुलूस निकाले गये। संविधान के रक्षकों को हमारे देश की जनता दोषी ठहराती है या तो देश की जनता स्वार्थ सिद्धि के लिये उन्हें दोष देती है या फिर हमारे पुलिस प्रशासन में कुछ कमियाँ होंगी। अतः बदलते सामाजिक परिवेश में जनता एवं पुलिस के सम्बन्ध में काफी तेजी से परिवर्तन आया है। आज समाज में पुलिस के प्रति आम नागरिक अभद्र शब्दों का प्रयोग कर उनके उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य बोध पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

पुलिस विभाग लोकतंत्र एवं लोकमत पर आधारित एक विभाग हैं। आज हमारे सामाजिक जीवन में गिरावट आ रही है। इसका मूल कारण प्रशासन की अकुशलता, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों का ह्रास, राष्ट्रीयता की भावना में कमी तथा हमारा समाज प्रकृतिवाद से बहुत दूर एवं साम्यवाद से पूँजीवाद की ओर बढ़ रहा है। इस प्रकार से पूरे समाज एवं राष्ट्र में घुटन व दमन के चिन्ह दिखलायी पड़ते हैं।

पुलिस की कार्यप्रणाली और कानून पक्ष से भी आम जनता को परिचित कराना आवश्यक है। पुलिस द्वारा अभिरक्षा में रखे गये व्यक्तियों से पूछताँछ में जो गोपनीयता बरती जाती है, उससे भी आम

लोगों को भ्रम हो जाता है कि पुलिस पूछताँछ के समय अमानवीय व्यवहार करती है, यह बात बहुधा सही नहीं है। अपराधों की विवेचना में पुलिस द्वारा अपनाये जाने वाले वैज्ञानिक तरीकों के सम्बन्ध में जनता में लगातार भ्रांति का निवारण बहुत सीमा तक हो सके।[12]

इसके लिये पुलिस विभाग में भी जनसम्पर्क कार्यालय होना चाहिए जो पुलिस के कार्यों से जनता की रुचि को जागृत करने और बढ़ाने का सतत् प्रयत्न करें। पुलिस का व्यवहार समाज के लिये मित्रवत होना चाहिए जिससे समाज के बहुत से अपराधियों को सही मार्ग निर्देशन देकर उनकी मनोवृत्ति एवं मनोविकार को बदला जा सके। पुलिस विभाग लोक सम्पर्क की एक अनिवार्य आवश्यकता है। पुलिस और जनता के बीच मित्रता विश्वास, इज्जत और प्यार भरे सम्बन्धों में निहित है। भारत में भी पुलिस के प्रति जनता के मानस पटल में शताब्दियों से चली आ रही दमनकारी छवि को दूर करने के लिये एक तरफ यह आवश्यक है कि जनता को पुलिस के कार्यों एवं विभागीय प्रक्रिया से अवगत कराया जाय तो दूसरी तरफ यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक पुलिसकर्मी अपने कार्य और व्यवहार में सिद्ध करे कि पुलिस जनता की मित्र है।

कुछ समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि संस्कृति को नष्ट करने में अपराधियों का प्रमुख हाथ है। उन्होंने वातावरण को अश्लील और उदासीन बना दिया। महिलाओं के प्रति विभिन्न समाजशास्त्रियों के मतानुसार नारी कोई बाजारू वस्तु नहीं है, उसका सम्मान एवं आदर होना चाहिये। महिलाओं में भी भूल निश्चित है वे अपने मूल सिद्धान्तों से भटक

गयी हैं पहले भी फैशन शो होते थे, स्त्रियाँ अपने शरीर की मर्यादा को ध्यान में रखकर फैशन का प्रदर्शन करती थी। आज वही भारतीय स्त्रियाँ वस्त्र विहीन होकर परेड कर रही हैं, केवल पैसे के लिये। आकर्षक वस्त्र एवं भड़काऊ सौन्दर्य प्रशाधनों का प्रयोग करके आज भारतीय समाज में अनुशासनहीनता और परस्पर प्रतिशोध व द्वेष की भावना बलवती हो रही हैं। अब संस्कृति और सांस्कृतिक संकट पर होने वाली बहसों का एक कोण संस्कृति वर्चस्व भी है। चिन्तकों, समाजशास्त्रियों एवं दार्शनिकों का मानना है कि भूमण्डलीकरण और तकनीकी विकास ने न सिर्फ राजनीति तथा धन को प्रभावित किया है बल्कि समूचा सांस्कृतिक परिदृश्य उसकी गिरफ्त में है। आज पूरे विश्व में भौतिकवादिता के कारण मनुष्य अपने आचरण को भूल चुका है।

नववर्चस्व, आर्थिक भूमण्डलीकरण, सेटेलाइटकरण, सूचना एवं प्रौद्योगिकीकरण सब कुछ हो रहा है। इसे सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य परन्तु सांस्कृतिक एवं नैतिक ह्रास तथा समाज के तमस को दूर करने के लिये सारे राष्ट्र को जागरुक करना पड़ेगा जिससे उनमें समाज और राष्ट्र के प्रति चेतनता की धारा पैदा हो। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि पुलिस अधिकारियों के अधिकारों और कर्तव्यों की सीमा का ज्ञान रखते हुये उनका आदर करना चाहिये। पुलिस अधिकारी को न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये तथा स्वयं निर्णय देने की चेष्टा नहीं करना चाहिये और न ही किसी व्यक्ति का पक्ष लेते हुये किसी से प्रतिशोध लेने का प्रयास करना चाहिये। अपराध और अव्यवस्था को

रोकना पुलिस का प्रथम कर्तव्य है। प्रत्येक पुलिस अधिकारी की क्षमता की कसौटी अपराध और अव्यवस्था का अभाव है न कि इनसे निपटने के लिये की गयी पुलिस कार्यवाही का प्रत्यक्ष प्रमाण।

बदलते सामाजिक परिदृश्य का सबसे भयावह पहलू है अब संस्कृतियों का उदय तथा इनके प्रभाव से समाज में भोगवादी दृष्टिकोण को अपनाना जिससे लोकतंत्रात्मक प्रणाली को क्षति होती है। आज महानगरों में धन को अर्जित करने के लिये प्लेब्याय, टामब्याय, पेंटहाउस और ब्लू हाउस जैसी संस्कृतियां दिनों दिन बढ़ रही है। जिस कारण से मनोरंजन के नाम पर ढेर सारी यौन विकृतियों का प्रदर्शन हो रहा है।

महानगरों में जैसे दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता एवं चैन्नई में चलने वाले रात्रि क्लबों में बहुत सी बालायें एवं नव युवतियाँ जाकर जिस्म फरोसी का धंधा करती हैं और कई प्रकार के अपराधों को जन्म देती हैं। उन क्लबों के मालिकों से पैसा लेकर पुलिस किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं करती जिससे समाज में कई प्रकार के नवयुवकों को पथ भ्रष्ट बनाकर उनको अपराध की ओर प्रेरित किया जा रहा है। विचित्र व्यंजन, मंहगी मदिरा (बोगदा, शैम्पेन एवं स्कॉच) अन्य मादक पदार्थ (कोकीन, चरस, हीरोइन) वेशभूषा और सौन्दर्यीकरण पर अत्यधिक खर्च किया जाता है परन्तु बहुजन समाज केवल ललचायी आँखों से देखता रहता है।

गरीब देशों के पाँच सितारा होटल चमचमाते विमान व कारें आधुनिकतम अस्त्र और शस्त्र भ्रष्टता एवं अपराध के प्रतीक हैं। इन स्थानों पर सत्यान्वेषण करना एक कठिन कार्य है। विडम्बना यह है कि यह सब आज संसार भर की अनिवार्यतायें मानी जानी लगी हैं। परिवार का ढाँचा उबाऊ एवं उदासीन सा लगता है। पीढ़ियों की सवांदहीनता बढ़ रही है। फिलहाल वर्तमान अतीत से बेहतर है परन्तु अपराधों में वृद्धि तथा विलासिता पूर्ण जिन्दगी व्यतीत करने की लालसा प्रत्येक घर में प्रत्येक सदस्य तक पहुँच रही है। ***डा० किरण वेदी*** ने भारतीय जेलों का सर्वेक्षण किया और जेलों में माँ और बच्चों के भविष्य के विषय में राय जानना चाही।

"भविष्य अतीत से निश्चय ही बेहतर है हमें एक मुद्दा खड़ा करने की जरूरत है और तभी भविष्य की ओर तेजी से बढ़ा जा सकता है कि जब कानूनी आयोग और अधिक सकारात्मक रुख अपनायें और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों की सहायता ली जाये.... अच्छे फैसलों की कमी नहीं है.... इन पर अमल होना चाहिये और जबावदेही होना चाहिये।[13] "यह काम कौन करेगा? मानव अधिकार करेगा?
"हाँ"

"आप मुझे संदेहशील कह सकती हैं। मुझे संदेह है कि मानव अधिकार आयोग अपने पंख इतने विस्तृत और गहरे फैलाएगा या इतना कार्यकुशल होगा जितना आप मान रही हैं।" मेरा अनुमान है कि जिस चीज की जरूरत है वह है सकारात्मकता आपको कार्यशील

अधिकारी बनना होगा। सारी कहानी व्यक्ति पर आकर रुक जाती है। यदि आप, व्यक्ति के रूप में, सकारात्मक परिवर्तन लेना चाहते हैं तो आपको कोई चीज रोक नहीं सकती। यदि वे सब लोग जो जेलों के इंचार्ज हैं या जेलों में काम कर रहे हैं, जेल में माँ और बच्चे के जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो केवल ईमानदार, सच्चे इरादे की जरूरत है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पहाड़ों को भी चला सकता है।"[14]

अपराधी गतिविधियों के बढ़ने का प्रमुख कारण महिलाओं और बच्चों को संस्कार और शिक्षा का अभाव है। भारतीय बाजारों में नई नई विलासिता की वस्तुयें दिखायी पड़ती है जिन्हें प्राप्त करने की इच्छा हर वर्ग में रहती है परन्तु धन के अभाव में पीछे रह जाते हैं। इस कारण से महिलायें और बच्चे Professional Criminal बन जाते हैं। वास्तव में अपराध के मैदान में स्त्रियों तथा लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कानून बाध्यता एवं व्यवहारिक कठिनाइयों में अनाथालय एवं नारी निकेतन संदिग्ध है क्योंकि उनके संचालक स्वयं पथभ्रष्ट एवं दिशाहीन है। 1989 में भारतीय दंड संहिता तथा स्थानीय कानून के तहत 6397701 लोग पकड़े गये जिनमें 2420425 स्त्रियाँ थीं। 1991 में 390604 व्यक्ति पकड़े गये जिनमें 165258 स्त्रियाँ थीं। दिल्ली में 22876 अपराधियों में 1081 स्त्रियाँ थीं। 1980 में नये कानून के आधार बाल अपराधियों की श्रेणी में लड़कियों की उम्र सोलह वर्ष तक तथा लड़कों की उम्र अट्ठारह वर्ष तक रखी गयी। 1981 में कुल बाल अपराधियों की संख्या में 1689 लड़कियां थीं जिनका प्रतिशत 4.2 था। 1991 में 25951 बाल

अपराधियों में 6890 लड़कियां थी और उनका प्रतिशत 21.6 हो गया। मंत्रालय की आख्या के अनुसार उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, उड़ीसा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों में काफी वृद्धि हुयी है। पुलिस की सक्रियता के बावजूद उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों पर अत्याचारों में काफी वृद्धि हुयी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से में कुछ जातियाँ जो सम्पन्न एवं धनाढ्य हैं। विभिन्न प्रकार के अपराधों में लिप्त हैं। अपराध का मुख्य कारण मूल सिद्धान्तों से विचलन एवं पलायन है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1988 में इन जातियों पर अपराध की 4250 घटनायें दर्ज हुयी जिनमें 1267 संज्ञेय अपराध थे। 1990 में 5543 अपराधों में 1488 संज्ञेय अपराध 1991 में 1692 संज्ञेय अपराध 7021 अपराधों में थे। 1992 में राष्ट्रपति शासन के दौरान अपराधों में पांच से दस प्रतिशत तक वृद्धि हुयी।

बदलते सामाजिक परिवेश में विकास की प्रक्रिया ने नये किस्मों के अपराधों को जन्म दिया है। जहाँ आज अपराधी गुट आधुनिक हथियारों और साधनों से सुसज्जित है, वहीं पुलिस बल को आधुनिक हथियार से सुसज्जित करने के लिए विभिन्न प्रांतों में कदम उठाये जा रहे हैं जैसे महानगरों की पुलिस को अत्याधुनिक शस्त्रों से (दूरसंचार एवं नई तकनीकि प्रणाली से) सुसज्जित करना अनिवार्य रूप से सामाजिक आवश्यकता है।

महिलाओं और बच्चों के प्रति हत्या, अपहरण, यातना, बलात्कार जैसे अपराध हो तो निर्बिवाद रूप से माना जाता है कि जिस

समाज में यह परिघटना मौजूद है वह समाज असभ्य, जंगली, अनुशासनहीनता और बर्बर समाज कहलाता है। औरत के विरुद्ध बढ़ते अपराधों का सम्बन्ध सामाजिक विकृतियों एवं गंदे मनोविकारों से है। इस तरह की सामाजिक प्रगति में औरत के विरुद्ध होने वाले अपराधों का कारण मनोवैज्ञानिक परिवर्तन एवं सामाजिक शून्यता है। गरीबी, अशिक्षा जैसे कारणों के साथ–साथ असंतुलित, अनियंत्रित उपभोक्ता संस्कृति के फैलाव में भी महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के कारणों के कीटाणु छुपे हुये हैं। नारी जाति की स्थिति में अभी सुधार की काफी आवश्यकता है जिसकी जिम्मेदारी पुरुषों, राजनेताओं, नारी सुधार से जुड़ी स्वयं सेवी संस्थाओं टी0वी0 चैनलों पर भी है। लड़कियों के अभिभावकों को इन टी0वी0 चैनलों के कार्यक्रमों को अवश्य देखना चाहिये ताकि उन्हें अपने पुत्र एवं पुत्रियों की मनोदशा का ज्ञान हो सके जिससे समय रहते बदलाव लाया जा सके। अन्यथा न जाने कितनी लड़कियों का जीवन हमारे लिये निरंतर बोझ बना रहेगा जिनके साथ हम यूँ ही अच्छे बुरे तरीकों से सामंजस्य बैठाते रहेंगे या फिर सामंजस्य बैठाने के लिये वे बचेंगी ही नहीं। बहुत देर हो चुकी है कम से कम हम सबको इन स्थितियों का अवलोकन अवश्य कर लेना चाहिये।[15]

वर्तमान समाज में तकनीकि विकास ने महिलाओं के ऊपर अत्याचार में काफी वृद्धि हुई है। हमारे समाज में पहले गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण नहीं होता था परन्तु वर्तमान समय में तकनीकि विकास के कारण गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण कर लिया जाता है कि वह

लड़का है कि लड़की। अगर लड़की है तो उसकी जन्म लेने के पूर्व ही अविकसित अवस्था में हत्या कर दी जाती है।

महिलायें प्रति हजार पुरुषों पर

स्वतंत्रता के पश्चात हुये सर्वेक्षण को भारत की जनसंख्या में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या देखें तो वर्तमान की संख्या काफी सोचनीय है। 1951 में हमारे देश में 1000 पुरुषों पर 946 महिलायें, 1961 में 941 महिलायें, 1971 में 930 महिलायें, 1981 में 934 महिलायें, 1991 में 929 तथा 2001 में 1000 पुरुषों पर 725 महिलायें हैं। वर्तमान में यह परिवर्तन महिलाओं पर अत्याचार की वृद्धि की ओर संकेत करता है। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किसी एक के अभाव में समाज का निर्माण एवं विकास दोनों एक परिकल्पना ही सिद्ध होगा।

हिंसा मानव के व्यक्तित्व का एक पहलू है। दुष्चरित्र को समाज का अंग मानकर पुलिस को उनसे ऐसा बर्ताव करना चाहिये जिससे

उनको ईमानदारी और मेहनत का जीवन पुनः प्रारम्भ करने की प्रेरणा मिले। उसे बुरी तरह से दुत्कारना गालियाँ देना तथा उत्पीड़न नहीं करना चाहिए। इससे उसके अहं और स्वाभिमान को चोट पहुंचती है। ऐसा करना नितान्त अनुचित है, यदि ऐसा होता है तो वह विद्रोही बनकर पुनः अपराधी जीवन में सक्रिय रूप से आकर समाज और पुलिस के लिये बहुत महँगा साबित होगा।

दोहरी नैतिकता न केवल समाज में है बल्कि देश के कानून में भी मौजूद है। अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 7 उपधारा 2 कहती है– जो जान बूझकर किसी स्थान को वेश्यावृत्ति के लिये उपयोग करता है उसे प्रथम दोष सिद्ध के आधार पर तुरन्त तीन माह का कारावास एवं रु0 200/– का जुर्माना हो सके। यदि दोष सिद्ध हो गया तो कारावास की अवधि छः माह हो सकेगी। इसी कानून की धारा 8 में यह कहा गया है कि अगर कोई महिला उपर्युक्त कृत्य करती है तो उस महिला को प्रथम दोष सिद्ध के आधार पर छः माह का कारावास और रु0 500/– का जुर्माना हो सके। तथा मामले की पुष्टि होने पर 1 वर्ष के कारावास का प्रावधान है।

हिन्दी साहित्यकार ***अमृतलाल नागर*** का उपन्यास "ये कोठे वाली" बहुचर्चित उपन्यास है जिसमें उन्होंने समाज की उस सच्चाई से अवगत कराया है कि साहूकार जमींदार और उच्च कुल में जन्म लेने वाले महन्तों और पण्डितों को बेनकाब किया। क्योंकि समाज के द्वारा दुस्चरित्रता इन्हीं से पनपती है। महिला उत्पीड़न की समस्या तब और

बढ़ जाती है, जब वह निम्न जाति की हो। सरकार की तरफ से एक निम्न जाति की औरत का ऊँची जाति के पुरुष द्वारा बलात्कार करने पर पाँच हजार रुपया राहत के तौर पर दे दिये जाते हैं। क्या उसके कौमार्यपन की कीमत मात्र इतनी ही है? जो जीवन भर कुन्ठित और मनोविकारों से पीड़ित रहेगी।

भारतवर्ष में पुलिस संगठन एक तात्कालिक घटना नहीं है। पुलिस प्रशासन हमारे देश में बहुत पहले से मौजूद हैं ऐतिहासिक तथ्यों को देखने से ज्ञात होता है कि मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में भी भारत में पुलिस व्यवस्था तत्कालीन परिस्थितियों में उत्तम प्रकार की थी। मौर्यकालीन व्यवस्था में जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार पुलिस रक्षिन (सिपाही) मामरक्षक रात्रि के प्रहरी (गूढ़ पुरूष) गुप्तचर, इस प्रकार पुलिस विभाग के तीन अंग थे। गुप्तचरों में स्त्रियाँ (वैश्यायें) सम्मिलित थी। गुप्तचर दो प्रकार के थे, एक स्थान पर रहकर सूचना एकत्र करना। दूसरे संचार (छद्मवेश में टहलकर सूचना एकत्र करना) थे।

फिर भी तकनीकी दृष्टिकोंण से पुलिस संगठन का निर्धारण भारतवर्ष में अत्यधिक देर से ब्रिटिशकाल में 1860 में हुआ। तकनीकी आधार पर प्रारम्भिक समय से एक शताब्दी का समय पुलिस संगठन के निर्धारण में लगा।

सर्वप्रथम मुगल शासकों ने भी निश्चित रूप से थानेदार, फौजदार, कोतवाल और होलकर के पदों पर पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की। लेकिन ये सभी पद सफलता नहीं प्राप्त कर सके। मुगलकालीन अस्त्र

जो पुलिस को प्रदान किये जाते थे, काफी बड़े होते थे और पुलिस प्रशासन की कार्य सम्पादन प्रणाली काफी जटिल थी। उस समय दो व्यवस्थायें प्रचलित थी। नाजित अथवा राज्यपाल जो राज्य के मुख्यालय में होते थे और फौजदार किसी घटना के घटित होने पर मिलिट्री पुलिस के साथ जनपद पर जाते थे।

मुगल साम्राज्य की अवनति के कारण उनकी प्रशासनिक व्यवस्था का टूटना प्रारम्भ हो गया। ब्रिटिशवासी जो पूर्ण रूप से व्यवसायिक उद्देश्य से भारत में आये। उन्होने अपनी व्यवस्था के प्रारम्भ में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास को एक के पश्चात एक को अपने नियंत्रण में ले लिया।

1668 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने कलकत्ता राज्य के तीन गांवों में जमींदारी का अधिकार प्राप्त किया। उस समय वह धन (लगान) एकत्र करते थे और मुगल शासकों के पास जमा करते थे। मुगलों द्वारा प्रदान किये गये अधिकार के द्वारा न्याय और प्रशासनिक व्यवस्था के प्रतिनिधित्व करते थे और नागरिकों के अपराध सम्बन्धी विषयों पर पूर्ण जिम्मेदारी पूर्ण भूमिका अदा करते थे। 1765 में मुगल शासकों ने कम्पनी को दीवानी अधिकार प्रदान किये जो बंगाल की दीवानी के नाम सेजानी जाती थी। प्रथम दृष्टया सहयोग के सम्बन्ध में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अन्तर्गत किया गया जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी समिति को निश्चित रूप से बम्बई और मद्रास के सीमित अधिकार प्रदान किये। 1753 में एक बहुत बड़े सैनिक मण्डल ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बनाया। गवर्नर

और उसकी समिति नियमों के बनाने के अधिकारी थे, यह अध्यादेश और नियम फोर्ट विलियम की कलकत्ता की नागरिक सरकार के लिये और (कारखाना) कर्मचारियों के लिये अच्छे आदेश थे।

बम्बई और मद्रास में एक बड़े सैनिक अधिकारी की शर्त पर जो 1726 के अधिनियम की अपेक्षा 1753 और 1774 के अधिनियम को उलझन में डाल दिया। 1807 में गर्वनर और उसकी समिति के द्वारा अत्यधिक औपचारिक रूप से ब्रिटिश शासित भारत के लिये थी। भारतीय राजाओं द्वारा शासित राज्यों के लिये नहीं थी। इस प्रकार ये पुलिस आयोग पुलिस की महत्ता एवं उत्तमता की दृष्टि से किसी वास्तविक परिणामों के प्रति सफल नहीं हो सके।

भारतीय पुलिस के इतिहास में 1902 में ब्रिटिशकाल में दूसरे भारतीय पुलिस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने प्रस्तावित किया कि योग्य और शिक्षित भारतीय पुलिस में अधिकारी स्तर पर भर्ती हो सकते हैं। परिणामस्वरूप 1920 के पश्चात के वर्षों में पुलिस प्रशासन की सेवाओं के लिये निरपेक्ष रूप से भारतीयों के लिये खोल दिया गया। पुलिस नौकरी की लिखित प्रवेश परीक्षा भारत और इंग्लैण्ड में करायी जाती थी। पुलिस संगठन एवं प्रशासन की नौकरियों में यह पुनः एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी।

यद्यपि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारत देश के सामाजिक ढ़ांचे एवं राजनीतिक ढांचे में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। लेकिन यह परिवर्तन पुलिस प्रशासन की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं ला सका।

वर्तमान की पुलिस व्यवसथा पूर्णरूपेण या सूक्ष्म रूपेण अंग्रेजों की व्यवस्था (स्वतन्त्रता के पूर्व की पुलिस व्यवस्था) के पद चिन्हों पर चल रही है। यह ठीक है कि भारतीय पुलिस व्यवस्था मध्यकाल और ब्रिटिशकाल की मिश्रित पुलिस व्यवस्था है। पिछले 48 वर्षो में केन्द्र और राज्य सरकारों के लिये अपराध और अव्यवस्था की दृष्टि से काफी चुनौतीपूर्ण रहे हैं।

भारतीय संविधान में राज्य पुलिस सूची का स्थान है। राज्य सरकारों पर न्याय प्रक्रिया के अधिकार क्षेत्र का अनावश्यक दबाव है। केन्द्रीय सरकार राज्य पुलिस के अधिकार क्षेत्र में विशेष प्रकार के केसों (मुकदमों) में केन्द्रीय अन्वेषण व्यूरों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया जाता है।

भारतीय पुलिस व्यवस्था में केन्द्र और राज्य सरकारों को अपनी विषय सामग्री पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान में निम्नवत् पुलिस शाखायें हैं। सी0बी0आई0, सी00आर0पी0एफ0, बी0एस0एफ0, आर0पी0एफ0, सी0आई0एस0एफ0, पी0ए0सी0, सी0आई0डी0, एल0आई0यू0 और होमगार्ड आदि।

सामाजिक जीवन में किसी भी ऐसी व्यवसथा की कल्पना नहीं की जा सकती है जिसमें उन व्यक्तियों के व्यवहार नियन्त्रण की विधियों का नितान्त अभाव है जो सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं, मर्यादाओं, आदर्श, नियमों, रीति–रिवाजों तथा वैधानिक नियमों का सर्वथा उल्लंधन करते हैं। व्यक्ति एवं समाज की बढ़ती हुई जटिलताओं को दूर करने के लिये पुलिस व्यवस्था की मुख्य भूमिका है। इस व्यवसथा के द्वारा

अपराधी प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण किया जा सकता है। यह शोध भी इसी श्रृंखला की एक कड़ी है।

विषय का चयन :

भारत में पुलिस व्यवस्था के प्रति जन अभिरूचि सदैव से विमुख रही है। पुलिस व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनावश्यक दुर्व्यवहार, अपराधियों के साथ नृशंस व्यवहार इत्यादि अनेक आरोपों से भारतीय पुलिस व्यवस्था विलग रही है। फलतः दंड प्रक्रिया के वर्तमान ध्येय सुधार एवं पुनरूद्धार की भावना पर मूलाघात न्यायिक प्रणाली के इसी प्रारम्भिक स्रोत से पहुंचता है।

हमारे देश में पुलिस व्यवस्था प्राचीनकाल से लेकर वर्तमान तक अत्यधिक विरोध एवं समालोचनाओं के दौर से गुजरती रही है। पुलिस व्यवस्था के निर्माण के लिये अलग–अलग आयोगों का गठन हुआ, जिसके अन्तर्गत दण्ड की व्यवस्था की गई परन्तु वर्तमान पुलिस प्रशासन प्रजातंत्र के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है। अध्ययन का उद्देश्य पुलिस प्रशासन का अनुभाजन करते हुये न उसकी प्रशंसा करना है और न ही उस पर दोषारोपण करना है बल्कि वर्तमान परिस्थितियों में पुलिस कर्मियों के कार्य विवरण का निष्कर्ष जितना उद्देश्यात्मक सम्भव होगा, प्रस्तुत करने का प्रयास किया जायेगा।

यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस प्रशासन पर विस्तृत अध्ययन किये गये लेकिन पुलिस प्रशासन पर छोटे–छोटे क्षेत्रों में एवं जनपद स्तर पर क्या कार्य हुआ। इसका आशय यह नहीं कि अन्वेषणकर्ताओं द्वारा

किये गये अध्ययनों की अवहेलना करना है। बल्कि उनके द्वारा किये गये अध्ययनों का भलीभांति अध्ययन करते हुये एवं सम्मान करते हुये अपने जनपदीय स्तर के अध्ययन को पूर्ण किया। यह सच है कि बहुत सी रिपोर्टों में राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस प्रशासन एवं उसकी कार्यविधियों पर व्याख्या की गई और राजकीय स्तर पर भी आयोगों द्वारा विस्तृत सूचनायें दी गयी।

आज का समाज पहले जैसा समाज नहीं है। वर्तमान समाज के विचार पहले जैसे नहीं है और न ही आज का समाज। वर्तमान समाज के विचार अपेक्षाकृत अडिग है। कानून और उसके नियमों के पालन की धारणा बदल रही है। यह सच है कि कल्याणकारी समाज में पुलिस के विभिन्न कार्यों की व्याख्या को स्वीकार किया गया है। अपराध को जड़ से कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये तो अपराधों की संख्या में कमी की जा सकती है। क्रान्ति का कभी अन्त नहीं होता लेकिन प्रशासन क्रान्ति के द्वारा समाज के रूपान्तरण के लिये निरीक्षण नीति के अन्तर्गत क्रान्ति को सम्मिलित कर सकता है। दण्डात्मक संस्कृति जो पुलिस प्रशासन का आधार है उसके स्थान पर अगर उचित व्यवहार अपनाया जाये तो अधिक उद्देश्यपूर्ण होगा।

विषय की आवश्यकता एवं उपयोगिता :

समाज के मूल्य सदा एक से नहीं रहते, उनमें उतार चढ़ाव समय के साथ–साथ आता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को उसी अनुसार

चलना पड़ता है जिस प्रकार की विचारधारा जनमानस में मौजूद हो। आधुनिक युग औद्योगिक विकास का युग है जिसमें संसार के प्राणी (मनुष्य) तीव्र गति से दौड़ लगा रहे हैं। उद्योग की बढ़ोत्तरी के लिये नाना प्रकार के उपकरण बनते जा रहे हैं, उनका नवीनतम रूप समाज के सामने उपस्थित होता जा रहा है। इन सभी कारणों से समाज के पुराने मूल्य घट रहे हैं। अगर कोई मनुष्य प्राचीन परम्पराओं को अपनाता है तो उपहास का पात्र बनता है। प्राचीनकाल में धन, धर्म और स्त्री तीनों का सम्मान होता था, परन्तु वर्तमान सामाजिक परिवेश में इनके स्वरूपों में काफी परिवर्तन आया है।

प्राचीन भारतीय समाज एक सुसंगठित समाज था जिसके अन्तर्गत विभिन्न सामाजिक इकाइयां सम्बद्ध होने के साथ–साथ अपने निर्धारित उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूर्ण रूप से करती थी। सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत इन इकाईयों की तर्कसंगत आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति का उपयुक्त प्रबन्ध था।

समाज की उत्पत्ति विकास का क्रम परम्परागत समाज से सहभागिता समाज की ओर भागता है जिसकी विशेषतायें जटिल श्रम विभाजन, शिक्षा प्रचार और प्रसार साधनों का तीव्र प्रसार, सरकार के प्रतिनिधित्व में उच्च स्तर पर सहभागिता आदि। परम्परागत समाज में शिक्षितों की संख्या नाम मात्र की होती थी, जन संचार लगभग शून्य था, शासन में जनता की सहभागिता विस्तृत रूप से नहीं होती थी।

समाज गतिशील है, इसका गतिशीलता के लिये समकालीन समाजशास्त्री तीन प्रमुख स्रोतों– जनसंख्या वृद्धि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में प्रगति तथा समाज के वैज्ञानिकों में क्रियावादी भावों के उद्भव को उत्तरदायी स्वीकार करते हैं।

प्रत्येक समाज की व्यवस्था चलते रहना इस बात पर निर्भर करता है कि उस समाज के लोग कितने अनुशासित हैं, समाज अपने सदस्यों के आत्म संयम के स्तर बढ़ाने के तरीके निकाल सकता है या समाज के अन्दर ही अनुशासन की निश्चित व्यवस्था करने के लिये वाह्य संस्थागत ढांचे को विकसित कर सकता है। समाज को अपना अनुशासन बनाये रखना आवश्यक होता है क्योंकि उसका अस्तित्व सदस्यों के अनुशासित होने पर निर्भर करता है। कोइ भी समाज केवल एक तरीका अपनाकर अनुशासन का इच्छित स्तर नहीं प्राप्त कर सकता, उसे हर प्रकार से अपने सदस्यों के आत्म अनुशासन के स्तर को बढ़ाने के प्रयास करने होते हैं।

समाज की गतिशीलता होने के कारण हमेशा समाज में ऐसे समूह बन जाते हैं जिन पर अनौपचारिक अनुरोध से अनुशासित होने की अपील काम नहीं करती। वे व्यक्ति आत्म अनुशासन को आचार संहिता का उल्लंघन करके अन्य बातों के अलावा अपनी आजीविका पर ध्यान देते हैं या कानूनी मानदण्डों और सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिये औपचारिक संस्थागत ढांचे चाहिये, वे व्यक्ति गिरोह के रूप में या पेशेवर व्यक्ति के रूप में होते हैं, इनको ठीक रास्ते पर लाने का कार्य पुलिस प्रशासन करता है।

वास्तव में पुलिस अधिकारयों एवं कर्मचारियों को देश एवं प्रदेश में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये अत्यधिक नाजुक और कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ता है। कभी–कभी उनके जीवन में निकटतम चरण भी आते हैं कि उन्हें राष्ट्रहित में अपने प्राणों तक की आहूति देनी पड़ती है। समाज में विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया के साथ विविध समस्यायें सदैव ही जुड़ी रहती हैं। इन समस्याओं के चलते समाज में कुछ असन्तोष एवं तनाव की भावनायें भी परिलक्षित होती हैं जो अक्सर प्रशासन के लिये चुनौतियां प्रस्तुत करती रहती हैं। दृढ़संकल्पबद्धता, मनोयोग, धैर्य, सूझबूझ और संवेदनशीलता के सहारे ही इन समस्याओं पर नियन्त्रण पाया जा सकता है। प्रादेशिक पुलिस के समक्ष भी विधि व्यवस्था बनाये रखना, विधि प्रकार के अपराधों को मुस्तैदी से निपटाने, साम्प्रदायिक माहौल न बिगड़ने देना आदि महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। बढ़ती जनसंख्या आर्थिक पिछड़ेपन, शिक्षित नवयुवकों की बेरोजगारी की स्थिति के कारण समाज के अन्दर वैमनस्यता का विषवमन कर अपने निहित स्वार्थों की सिद्धि हेतु तत्पर कुछ समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों ने आज पुलिस बल का कार्य अत्यधिक जटिल एवं समस्यायुक्त बना दिया है। शोध का उद्देश्य भारतीय सामाजिक परिवेश में पुलिस की भूमिका एवं उसकी गतिशीलता का अध्ययन करना है।

सम्बन्धित ज्ञान की वर्तमान दशा :

प्रस्तुत अध्ययन के सन्दर्भ में सम्बन्धित ज्ञान की वर्तमान दशा का उल्लेख करते समय तीन बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देने की

आवश्यकता है। प्रथम– अपराध एवं अपराधियों के विषय में किये गये अध्ययन। द्वितीय– अपराध एवं अपराधियों के प्रति पुलिस प्रशासन की भूमिका सम्बन्धी अध्ययन। तृतीय– पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर किये गये अध्ययन।

जहां तक अपराध एवं अपराधियों के सन्दर्भ में किये गये अध्ययनों का प्रश्न है, इनमें प्रमुख रूप से वेयर्ड वी.वी. (1936) लीटर एस.एफ. (1942) एम.पी.वी. (1952) क्लिनार्उ एम.वी. (1952) एवं इसके अतिरिक्त पुलिस की भूमिका के सम्बन्ध में आरनोल्ड डेविड (1976), अली ए.ए. (1973), पालस जे.एन. (1977) आदि आधार अध्ययन है।

अपराधों पर नियंत्रण पाने एंव अपराधियों को सजा दिलवाने के विषय में तथा समाज में शान्ति एंव अनुशासन की व्यवस्था के लिये पुलिस प्रशासन की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है लेकिन सामाजिक जटिलता, बढ़ती हुई समस्यायें, पुलिस प्रशासन के कार्य में राजनैतिक हस्तक्षेप, डयूटी अवधि के प्रति असंतोष आदि कारणों से पुलिस प्रशासन अपनी अपेक्षित भूमिका का निर्वाह सही तरीके से नहीं कर पाता है।

इस सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण अध्ययन हुये हैं जिनमें सिंह एम0पी0 1975, वर्मा परिपूर्णानन्द 1984, भटनाकर एस0सी0 1985 आदि विशेष उल्लेखनीय है।

प्रस्तुत विषय में अपराध एवं अपराधियों के प्रति पुलिस प्रशासन की भूमिका एवं पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली इत्यादि का भी

अध्ययन किया गया है। इस सन्दर्भ में मैने स्वयं जनपद के विभिन्न थानों, चौकियों एवं कोतवालियों में जाकर सर्वेक्षण किया और पाया कि बदलते सामाजिक परिवेश में पुलिस के प्रति समाज का सकारात्मक एंव नकारात्मक दृष्टिकोंण है। कहीं पर पुलिस जनपदीय समाज में समालोचना की पात्र होती है तो कहीं पर आलोचना की।

अध्ययन विषय :

प्रस्तुत अध्ययन का विषय निम्नलिखित है– ''बदलते सामाजिक परिवेश में पुलिस की भूमिका 1990 से 2005 तक एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (जिला–जालौन के विशेष संदर्भ में)''।

अन्य प्रारम्भिक जानकारी :

भारतवर्ष में सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से पुलिस की भूमिका अपराध को रोकने के लिये। पुलिस प्रशासन की मुख्य रूप से सामाजिक, पारिवारिक एवं राजनैतिक हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिये अपनी मुख्य भूमिका निभाता है तथा पुलिस विभाग की जानकारी करने के लिये राज्य सरकार के विभिन्न पुलिस संगठन, ट्रेनिंग सेन्टर, हैडक्वार्टर्स, पुलिस लाइब्रेरी, एस0पी0 कार्यालय एवं विभिन्न संभागों के डी0आई0जी0 कार्यालय, जनपद जालौन पुलिस हेडक्वार्टर्स एवं झांसी संभाग के डी0आई0जी0 कार्यालय से जानकारी लेगें।

वर्ष 1838 से 1853 तक जालौन का यह पूरा क्षेत्र गवर्नर जनरल के पॉलिटिकल एजेन्ट और कमांडर–इन–चीफ के अधीन सुपरिनटेंडेंट की देखरेख में शासित होता था। वर्ष 1853 में झाँसी के

राजा गंगाधंर राव की मृत्यु होने पर झाँसी जिला बना और सुपरिनटेंडेंट भी बनी, इसमें तीन जिले झाँसी, चन्देरी और जालौन रखे गये। प्रत्येक जिले में एक डिप्टी सुपरिनटेंडेंट रखा गया जो झाँसी के सुपरिनटेंडेंट के मातहत था।

वर्ष 1853 में परगना कालपी और कोंच को जालौन जिले में मिलाकर बदले में महोबा और जैतपुर परगना को हमीरपुर जिले को दिया गया। वर्ष 1854, 1856 के मध्य गरौठा, भांडेर, मोंठ और चिरगाँव जालौन से निकाल कर झाँसी जिले में शामिल कर दिये गये।

1857 की क्रांति में सिन्धिया ने अंग्रेजों की बहुत मदद की थी। अतः 1861 में इनाम के रूप में गवर्नर जनरल ने जालौन परगना के इन्दुरखी और माधौगढ़ के 125 गाँव तथा परगना दबोह के 101 गाँव सिन्धिया को प्रदान कर दिये।

"As a true gift and willing acknowledgement of his highness. Scindia's services during the mutinies.

12 दिसम्बर 1860 की सन्धि में यही भाषा लिखी है। इस प्रकार 1861 में जालौन जिले से 255 गाँव और निकाल दिये गये। अब जालौन जिले में परगना जालौन, उरई, माधौगढ़, कोंच और कालपी बचे। इसके बाद जालौन जिले में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। 1891 तक हमीरपुर जिले के तीन गाँव जालौन जिले को मिले। वर्ष 1914 में झाँसी जिले के 10 गाँव और जालौन जिले को मिले, लेकिन 1951 में जालौन जिले के 6 गाँव पूँछ, खिल्ली, झाँसी, टाठी, सराय–झाँसी और भोरा–एरच झाँसी

जिले में गये। 1955 में हमीरपुर जिले के शमशी हाजीपुर, सलैया, वसराही, क्योटरा, चीपुरा और हेमनपुरा गाँव जालौन जिले में आये।

स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद विन्ध्य प्रदेश बना मगर कुछ ही वर्षों के बाद उसका विघटन होने पर दतिया स्टेट की नदीगाँव तहसील के गाँव और कदौरा—बावनी राज्य के अधिकाँश गाँव को जालौन जनपद में शामिल किया गया, तब से जालौन अपने वर्तमान स्वरूप में है।

जनपद जालौन में वर्तमान में 18 थाने, 4 कोतवाली (उरई, कोंच, कालपी, जालौन) तथा 6 चौकी हैं। जिसमें हदरुख, पिरौना, ईंटों, कंझारी, ज्ञानभारती, न्यामतपुर (थाना सिरसा कलार है) तथा पुलिस बल की संख्या 1175 है। वर्तमान समय में 5 सी0ओ0 तथा 4 इंस्पेक्टर हैं।

जनपद जालौन में प्रमुख रूप से अपराध डकैती, लूट, गृहभेदन, शस्त्र चोरी, वाहन चोरी, बिजली सामान की चोरी, तार चोरी, अपहरण, बलात्कार, राहजनी आदि अपराध हैं। अपराधों की संख्या प्रतिमाह एवं प्रति वर्ष घटती बढ़ती रहती है। जिसमें पुरुष अपराधी, महिला अपराधी एवं अल्प वयस्क अपराधी अर्थात 18 वर्ष से कम आयु के अपराधी सम्मिलित हैं। जनपद—जालौन में 2002 से 2006 तक के तुलनात्मक अपराधिक आँकड़ों का आधार निम्नवत् है :—

तालिका सं0– 1.1

जनवरी से पक्ष के अन्त तक प्रगतिशील वास्तविक घटित अपराधों के पांच वर्षीय अपराध आंकड़े

जनवरी	डकैती	लूट	गृह भेदन	रोड होल्डप	चोरी शस्त्र	चोरी वाहन	चोरी ट्रान्सफा0	चोरी तार	चोरी अन्य	योग चोरी	हत्या	307 भादवि	307 भादवि	बलवा	गम्भीर चोट	अपहरण फिरौती हेतु	अन्य अपहरण	दहेज हत्या	376 भादवि	अन्य भादवि	योग भादवि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2006	—	5	20	1	1	19	—	2	27	49	30	9	23	11	3	2	17	27	3	373	573
2005	1	6	18	—	—	21	—	—	37	58	39	7	24	15	4	1	8	16	2	339	538
2004	3	8	30	—	1	28	—	1	54	84	44	6	40	18	6	2	23	16	4	340	624
2003	2	3	6	—	1	6	—	11	11	29	37	9	13	4	3	1	12	12	4	229	365
2002	2	13	27	—	1	17	—	20	60	98	48	5	30	13	20	1	21	16	2	549	835

स्रोत– पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जनपद–जालौन (उ0प्र0)

अपराध के कारक

1. भौतिक एवं शारीरिक कारण

(i) भौतिक पर्यावरण

(ii) आनुवांशिकता

(iii) शरीर रचना की दशायें

(iv) भौतिक एवं शारीरिक विकृतियाँ

(v) आयु अनुपात

(vi) लैंगिक अनुपात

2. मनोविकृतियाँ

(i) मानसिक हीनता

(ii) मनोविक्षिप्त

(iii) स्नायु रोग के अन्तर्गत

(iv) मनोविकृत व्यक्तित्व

(v) मद्यपान

(vi) संवेदन मंदक औषधियाँ

(vii) मनोविश्लेषणीय कारक

3. प्रजाति एवं देशीय

(i) प्रजाति

(ii) अप्रवास

4. सांस्कृतिक क्षेत्र

(i) क्षेत्रीयता

(ii) ग्रामीण बनाम नगरीय क्षेत्र

(iii) पारिस्थितिकी

(iv) अपचार क्षेत्र

(v) पड़ोस

(vi) गिरोह

(vii) पड़ोसी सँस्थायें

5. <u>घर एवं परिवार</u>

(i) घर में अपराजिता

(ii) भग्न परिवार

(iii) अवैध सन्तान

(iv) समस्याग्रस्त परिवार

(v) वैवाहिक प्रस्थिति एवं आपराधिक कारण

6. <u>सामाजिक संस्थायें</u>

(i) आर्थिक संस्थायें

(ii) सरकारी संस्थायें

(iii) धार्मिक संस्थायें

(iv) शैक्षणिक संस्थायें

(v) सम्प्रेषण के लोक अभिकरण

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ0 एस0 अखिलेश, "पुलिस और समाज" पृष्ठ संख्या 269 राधाकृष्ण प्रकाशन प्राईवेट लिमिटेड 2/38, अंसारी मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली।

2. डॉ0 एस0 अखिलेश, "पुलिस और समाज़" पृष्ठ संख्या 269 राधाकृष्ण प्रकाशन प्राईवेट लिमिटेड 2/38, अंसारी मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली।

3. डॉ0 किरण वेदी, "जैसा मैने देखा", पृष्ठ संख्या 25, प्रकाशक फ्यूजन बुक्स एक्स–30, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–II, नई दिल्ली

4. डॉ0 किरण वेदी, "जैसा मैने देखा", पृष्ठ संख्या 25, प्रकाशक फ्यूजन बुक्स एक्स–30, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–II, नई दिल्ली

5. डॉ0 किरण वेदी, "जैसा मैने देखा", पृष्ठ संख्या 25, प्रकाशक फ्यूजन बुक्स एक्स–30, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–II, नई दिल्ली

6. डॉ0 एस0 अखिलेश, "पुलिस और समाज" पृष्ठ संख्या 296 प्रकाशक राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 2/38 अंसारी मार्ग दरियागंज, नई दिल्ली।

7. ग्रिफ्थस पीठ "दि हिस्ट्री ऑफ द इण्डियन पुलिस" इरनेस्ट वेन, 1971, पृष्ठ संख्या 18–21

8. ग्रिफ्थस पीठ "द इण्डियन पुलिस" इरनेस्ट वेन, 1971 पृष्ठ संख्या 54–56

9. डॉ0 किरण वेदी की प्रस्तुति "सलाखों की परछाइयाँ पृष्ठ संख्या 75 प्रकाशक फ्यूजन बुक्स एक्स–30 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज–II, नई दिल्ली

10. सोशोलोजीकल आब्सट्रेक्ट जून 1986, हेंडिंग रोजर एण्ड आकुइस चार्ल्स लन्दन 32816, पब्लिक ओपिनियन, डेथ पेनाल्टी एण्ड द क्राइम रेट्स इन क्रियेटिव सोशियोलॉजी, 1985, 13–2, 141–144

11. एस0पी0 गुप्ता एवं डॉ0 गोपाल कृष्ण अग्रवाल (समाजशास्त्र) पृष्ठ संख्या 138 साहित्य भवन आगरा।

12. डॉ0 एस0 अखिलेश "पुलिस और समाज", पृष्ठ संख्या 319 राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड।

13. डॉ0 किरण वेदी की प्रस्तुति "सलाखों की परछाइयां" पृष्ठ संख्या 112 प्रकाशक फ्यूजन बुक्स नई दिल्ली।

14. डॉ0 किरण वेदी की प्रस्तुति "सलाखों की परछाइयां" पृष्ठ संख्या 112 प्रकाशक फ्यूजन बुक्स नई दिल्ली।

15. डा0 किरण वेदी "जैसा मैने देखा" पृष्ठ संख्या 75 प्रकाशक फ्यूजन बुक्स नई दिल्ली।

द्वितीय अध्याय

शोध प्रारूप एवं अध्ययन क्षेत्र

शोध प्रारूप एवं अध्ययन क्षेत्र

जनपद जालौन ब्रिटिश युग में अन्य जनपदों से भिन्न था। यहाँ की पुलिस को दो भागों में बाँट रखा था। 39 सब—इन्सपेक्टर 8 असिस्टेंट सब इन्सपेक्टर 47 हेड कांस्टेविल 434 कांस्टेविल थे। पुलिस नियंत्रणकर्ता झाँसी में बैठता था तथा 3 डिप्टी सुपेरिन्टेंडेंट थे।

जनपद के विभिन्न तहसीलों में चौकीदार थे जिनकी संख्या 495 थी। चौकीदार एक प्रकार से विभिन्न गाँवों की सुरक्षा करते थे। इसके अतिरिक्त ग्रामीण सुरक्षा समितियाँ, होमगार्ड जिसको दो भागों में बाँट रखा था। 9 श्रेणी ग्रामीण क्षेत्र के भागों में बाँट रखा था। 9 श्रेणी ग्रामीण क्षेत्र के लिये तथा 4 शहरी क्षेत्र के लिये।

जनपद के विभिन्न तहसीलों में चौकीदारों की स्थिति (ब्रिटिश काल में) सम्बन्धी तालिका

तालिका नं० 2.1

Name of The Tahsil	No. of Village Chowkidars
Orai	106
Jalaun	186
Konch	125
Kalpi	78
Total	**495**

Uttar Pradesh district Gazetteers Jalaun Balwant Singh I.S.S. State Editor.

1858 में जालौन को नर्मदा व सागर संभागों से अलग करके इसको झाँसी उप संभाग में कर दिया। जनपद के लोगों ने 1857 के युद्ध में प्रमुख हिस्सा लिया। 1909 में दो डिप्टी कलेक्टर दिये जिनको

पूरे अधिकार दिये गये तथा 4 तहसील जिनका सम्बन्ध जगम्मनपुर व गोपालपुर रियासत से था एवं सारे सम्भाग का न्यायाधीश झाँसी बैठता था तथा उरई मुंसफी थी तथा न्यायाधीश फरवरी एवं अगस्त व नवम्बर के प्रथम सोमवार को बैठता था। जो सारे जनपद की कानून समीक्षा करता था और विभिन्न न्यायिक मामलों को भी देखता था। 8 जून 1972 में कोंच में भी मुसिफ को बनाया गया।

शोध प्रारूप

विज्ञान प्राकृतिक हो या सामाजिक दोनों में ही विभिन्न प्रकार की घटनाओं की व्याख्या तत्वात्मक एवं गुणात्मक होती है। प्राकृतिक घटनाओं से सम्बनिधत विज्ञानों में विषय वस्तु की सार्थकता, नियमत्ता, मात्रात्मकता, परिणात्मकता तथा विश्वव्यापकता के गुणों के कारण उनकी वैज्ञानिकता सत्यता एवं निर्वाधित है। किन्तु सामाजिक एवं पारिवारिक घटनाओं की रहस्यात्मक प्रकृति, व्यक्तिनिष्ठता, कठोरता, जटिलता, गत्यात्मकता एवं परिवर्तनीयता आदि तथ्य विश्वसनीयता एवं प्रमाणिकता के तथ्य एवं अवधारणायें उत्पन्न करने में बाधक होते हैं। यही कारण है कि सामाजिक आपराधिक घटनाओं को वैज्ञानिक अध्ययन के सम्बन्ध में जोड़कर कई प्रकार की आपत्ति एवं जटिलता उठायी जाती है किन्तु विषयवस्तु को विज्ञान न मानते हुये वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से वस्तुनिष्ठ निष्कर्षों पर पहुंचना पड़ता है।

जबसे भाषा बनी है, समाज व समुदाय की परिकल्पना हुई है। अपराध अकेला शब्द है जिसकी अनगणित सापेक्ष परिभाषायें उपलब्ध हैं। अपराध एक निःसन्देह सामाजिक व्यवस्था है और सामाजिक व्याख्या

हो या नहीं फिलहाल उसे अन्तिम तो कभी नहीं माना जा सकता है। यही सापेक्षतया अपराध के सभी शास्त्रों पर भारी पड़ती है।

शोध प्रारूप तथ्य सिद्धान्त तथा अवधारणाओं पर आधारित रहते हैं।

सामाजिक सर्वेक्षण व शोध में सामाजिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया गया है परन्तु अध्ययन मनमाने ढंग से नहीं अपितु वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया जाता है। हम यह जानते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति नियमों की खोज करने के लिये अपनाई गयी प्रविधियों की एक व्याख्या है। इस व्यवस्था या वैज्ञानिक पद्धति का उद्देश्य किसी भी घटना के सम्बन्ध में सत्य को खोज निकालना है। इस सत्य की खोज कल्पना के आधार पर सम्भव नहीं है। इसके लिये तो घटना से सम्बन्धित वास्तविक तथ्यों का संकलन आवश्यक ही नहीं, प्रथम शर्त भी है। एकत्रित तथ्यों का उचित व व्यवस्थित वर्गीकरण कर लेने के पश्चात अध्ययन विषय से सम्बन्धित अवधारणाओं का निर्माण आवश्यक हो जाता है। अवधारणाओं से अध्ययन कार्य में सुविधा इस अर्थ में होती है कि एक सम्पूर्ण परिस्थिति या प्रक्रिया को केवल दो एक शब्दों के माध्यम से (अर्थात एक अवधारणा द्वारा) सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। सही अवधारणाओं के आधार पर ही सिद्धान्तों को प्रतिपादित करना सरल होता है। सिद्धान्त वास्तव में तथ्यों व अवधारणाओं के उचित विश्लेषण व व्याख्या के आधार पर निकाले गये निष्कर्षों का अति संक्षिप्त रूप होते हैं। वास्तव में सिद्धान्तों का प्रतिपादन तथ्यों व अवधारणाओं के

विश्लेषण व व्याख्या का अन्तिम चरण व शोधकर्ता के अध्ययन कार्य की परम सार्थकता है। 1

शोध कार्य का मूलभूत उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति तथा वृद्धि है। वरन् यह भी हो सकता है कि शोध का उद्देश्य किसी समस्या के कारणों के सम्बन्ध में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उस समस्या के समाधानों को भी प्रस्तुत करना हो। इसी प्रकार की शोध प्ररचना को निदानात्मक शोध प्ररचना कहते हैं अर्थात विशिष्ट सामाजिक समस्या के निदान की खोज करने वाले शोध कार्य को निदानात्मक शोध कहते हैं। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट रूप से स्मरणीय है कि इस प्रकार के शोध में शोधकर्ता समस्या का हल प्रस्तुत करता है न कि स्वयं उस समस्या का दम करने के प्रयास में जुट जाता है। समस्या को हल करना समाज सुधारक प्रशासक तथा नेताओं का काम होता है। शोधकर्ता केवल वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा समस्या के कारणों का ज्ञान लेने के बाद उसका उचित समाधान किस ढंग से सर्वोत्तम रूप में हो सकता है। इस बात की खोज करता है। इसलिये निदानात्मक शोधकार्य में समस्या का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से करके समस्या की गहराई में पहुँचने का प्रयास किया जाता है जिससे कि समस्या के प्रत्येक सम्भावित कारण का पता ठीक ढंग से लग सके। इस प्रकार समस्या के कारणों का ज्ञान सर्वप्रथम ही, उसके निदानों की खोज उसके बाद की बात है। इस प्रकार की खोज इस कारण की जाती है क्योंकि समस्या विशेष का हल तत्काल ही करने की आवश्यकता होती है। 2

वैज्ञानिकों का मत है कि व्यक्ति अपने असामान्य शारीरिक गुणों के कारण भी अपराधी बन जाते हैं जिन व्यक्तियों में क्रोमोसोम की असामान्यता होती है। एक्स–वाई–वाई। क्रोमोसोम होते हैं। ।। एक्स वाई क्रोमोसोम अधिक ।। उन व्यक्तियों के अपराधी बनने की सम्भावनायें अधिक होती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख कारण हैं जो व्यक्ति को अपराधिक प्रवृति की ओर आकर्षित करते हैं। असंतुलित वातावरण, परिवार में सद्भावना का अभाव, पारिवारिक असंतुलन, क्रूर व्यवहार, असंगठित समुदाय, सीमित क्षेत्र में जरूरत से अधिक जनसंख्या, सिनेमा, ऐसे क्षेत्र जहाँ अश्लील माने जाते हों, इसी प्रकार की अन्य संस्थायें जो व्यक्ति के अन्दर उत्तेजना पैदा करती हों आदि।

सामाजिक सर्वेक्षण एवं शोध प्रारूप से ज्ञात होता है कि आज समाज में पुलिस और इसका बृहत् अलग है। अपराध के आज विभिन्न प्रक़ार के कारक हैं जो शोध प्रारूप को गतिशील बनाने के लिये बड़े उपयोगी हैं जिस कारण से शोधार्थी एवं समाजशास्त्रियों के लिये प्रेरणा के स्रोत हैं।

शोध प्रारूप एक सामाजिक सिद्धान्त पर आधारित है जिसमें कि पुलिस व समाज के बीच एक तालमेल व वैज्ञानिक विधियों के आवश्यक तत्वों का संचरण करती है। जिसके माध्यम से शोध प्रारूप के विभिन्न परिकल्पनाओं एवं असम्भावित प्रतिक्रियाओं का चयन किया जाता है।

पुलिस का स्वरूप एवं समाज का स्वरूप एक अन्तर्विषयक शोध है जिसमें कि विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं को समाहित किया गया है। शोध प्रारूप बहुमुखी एवं बहुविमीय होना आवश्यक है। इस प्रकार की समस्या के समाधान के लिये विभिन्न विशेषज्ञों का सहयोग आवश्यक होता है तथा शोध की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका कितनी बारीकी से विश्लेषण किया जाता है।

उपकल्पना

सामाजिक शोध सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है और कोई भी अध्ययन तब तक वैज्ञानिक नहीं हो सकता जब तक उनमें वैज्ञानिक पद्धति को काम में न लाया जाये। इस वैज्ञानिक पद्धति का सदुपयोग तब तक नहीं हो सकता जब तक हमें अपने अध्ययन विषय के सम्बन्ध में कुछ न कुछ आरम्भिक ज्ञान एवं सामान्य अनुभव न हो। इस आरम्भिक ज्ञान व अनुभव के आधार पर हम अपने अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों के सम्बन्ध में एक सामान्य अनुमान पहले से ही लगा सकते हैं। उदाहरणार्थ– यदि हमारा अध्ययन विषय 'बाल अपराध' है तो हम अपने आरम्भिक ज्ञान व सामान्य अनुभव के आधार पर एक कामचलाऊ अनुमान यह कर सकते हैं कि निर्धनता व टूटे परिवार ही बाल अपराध को जन्म देने के सबसे प्रभावशाली कारक हैं। उस अवस्था में हमारा यह अनुमान हमारे अध्ययन कार्य में अत्यन्त सहायक सिद्ध होगा। इसी आरम्भिक सामान्य तथा कामचलाऊ अनुमान को जो कि आगे के अध्ययन कार्य का आधार और वैज्ञानिक के लिये एक सहारा बन जाता है। कार्य निर्वाही अथवा कामचलाऊ प्राकल्पना या उपकल्पना कहते हैं।

प्राकल्पना की परिभाषा

श्री लुण्डवर्ग के अनुसार– "प्राकल्पना एक सामयिक अथवा कामचलाऊ सामान्यीकरण या निष्कर्ष है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। बिल्कुल आरम्भिक स्तरों पर प्राकल्पना कोई भी अटकलपच्चू, अनुमान, कल्पनात्मक विचार, सहज ज्ञान या और कुछ हो सकता है जो कि क्रिया या अनुसन्धान का आधार बन जाता है।"3

प्राकल्पना की व्याख्या करते हुये **प्रो0 यंग ने लिखा है** कि अपने तथ्यों के विषय में सामान्य ज्ञान के आधार पर एक वैज्ञानिक प्रयत्न व भूल चूक की अथवा परीक्षण द्वारा भूल सुधार की पद्धति के द्वारा उन विशिष्ट कारकों को छाँट लेता है जो कि अध्ययन किये जाने वाली समस्याओं पर रोशनी डाल सकें। यह सूक्ष्म कल्पना, सामयिक केन्द्रीय महत्वपूर्ण विचार जो कि फलप्रद अनुसन्धान का आधार बनता है, एक कार्यनिर्वाही प्राकल्पना कहलाता है।

प्रस्तुत अध्ययन में 300 अपराधियों का चयन किया गया है जो जनपद जालौन के विभिन्न कारागारों में पुलिस कर्मचारियों एवं अधिकारियों की देखरेख में है। इन्हीं अपराधियों के आधार पर 40 प्रतिशत पुलिसकर्मियों का अध्ययन किया यगा जो जनपद के विभिन्न थानों एवं कोतवालियों में तैनात हैं। शोध कार्य को प्राकार्यात्मक बनाते समय पुलिस और अपराधियों का मानसिक, शारीरिक आर्थिक, सामाजिक प्रतिकूलताओं एवं परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है एवं ग्रामीण तथा शहरी अपराधियों की भावनाओं व महत्वाकांक्षाओं को भी शोधकार्य की दृष्टि से गतिशील बनाना पड़ेगा जिससे शोध का उद्देश्य पूरा हो सके।

<u>शोध प्रचना</u>

प्रत्येक सामाजिक शोध के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि योजनाबद्ध रूप से शोधकार्य का आरम्भ नहीं किया गया हो। इसी योजना की रूपरेखा को शोध प्रचना कहते हैं। इसका तात्पर्य यही हुआ कि एक सामाजिक शोध की समस्या या उपकल्पना जिस प्रकार की होगी। उसी के अनुसार शोध प्रचना का निर्माण किया जाता है जिससे शोधकार्य को एक निश्चित दिशा प्राप्त हो सके।

कोई भी सामाजिक शोध बिना किसी लक्ष्य या उद्देश्य के नहीं होता है। इस उद्देश्य या लक्ष्य का विकास और स्पष्टीकरण शोधकार्य के दौरान नहीं होता अपितु वास्तविक अध्ययन आरम्भ होने से पूर्व ही इसका निर्धारण कर लिया जाता है। शोध के उद्देश्य के आधार पर अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों को उद्घाटित करने के लिये पहले से ही बनाई गयी योजना की रूपरेखा को शोध प्रचनाएं कहते हैं। **श्री ऐकॉफ** ने प्रचना का अर्थ समझाते हुये लिखा है कि "निर्णय क्रियान्वित करने की स्थिति आने से पूर्व ही निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया को प्रचना कहते हैं।"

समस्त शोधों का एक ही आधारभूत उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। सामाजिक शोध प्रचना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सम्पूर्ण अध्ययन को व्यवस्थित रूप देने तथा इसे सही दिशा प्रदान करने के लिये एक व्यवस्थित प्रारूप का निर्माण करना अत्यधिक आवश्यक होता है। यह प्रारूप सदैव शोध से सम्बद्ध समस्या की प्राकृतिक उद्देश्यों एवं परिकल्पना के अनुरूप होता है। इस दृष्टिकोण से शोध प्रारूप एक ऐसी सही दिशा प्रदान

करती है वरन् प्रस्तावित अध्ययन के उद्देश्यों तथा उसकी परिकल्पनाओं को निर्धारित करती है। शोध प्ररचना, अन्वेषण पर आधारित है जिसमें विभिन्न अपराधियों के विभिन्न व्यक्तिगत एवं सामाजिक तथा अन्य कारणों को जानने का एवं विश्लेषण करने पर प्रयास किया जायेगा।

निदर्शन

"कुछ" को देखकर या परीक्षा कर "सब" के बारे में अनुमान लगा लेने की विधि को निदर्शन कहते हैं।

आम तौर पर समग्र में से चुने गये ऐसे "कुछ" को जो कि समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करता है, निदर्शन कहते हैं। इस परिभाषा से यह स्पष्ट हे कि निदर्शन किसी भी चीज या समूह का सम्पूर्ण भाग या समस्त इकाइयाँ नहीं होती है। अपितु उस समग्र का एक छोटा भाग या केवल कुछ इकाइयाँ ही होती है। **गुडे एवं हॉट के अनुसार–** "एक निदर्शन जैसा कि नाम से स्पष्ट है किसी विशाल सम्पूर्ण का छोटा प्रतिनिधि है।"

श्रीमती यंग के अनुसार– "एक सांख्यिकीय निदर्शन उस सम्पूर्ण समूह अथवा योग का एक अति लघु चित्र है जिसमें से कि निदर्शन लिया गया है।"

श्री फ्रेंक याटन के शब्दों में– "निदर्शन शब्द का प्रयोग केवल किसी समग्र चीज की इकाइयों के एक सेट या भाग के लिये किया जाना चाहिये जिसे इस विश्वास के साथ चुना गया है कि वह समग्र का प्रतिनिधित्व करेगा।' 4

देव निदर्शन

प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन के चुनाव में अनुसन्धानकर्ता के स्वयं के पक्षपात तथा मिथ्या झुकाव अपना पूर्वग्रह की सम्भावना से बचने के लिये तथा सम्पूर्ण समग्र की प्रत्येक इकाई को समान रूप से चुने जाने का अवसर प्रदान करने के लिये दैव प्रणाली द्वारा निदर्शनों का चुनाव एक सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। इस अर्थ में दैव निदर्शन वे निदर्शन हैं जिन्हें कि दैव प्रणाली या 'संयोग प्रणाली' से चुना जाता है। अर्थात समग्र के किसी भी इकाई को वांछनीय या अवांछनीय न मानते हुये एवं सभी को चुने जाने का समान अवसर प्रदान करते हुये जब लाटरी निकालने जैसे तरीकों से निदर्शन का चुनाव किया जाता है तो उसे दैव निदर्शन कहते हैं।

श्री थॉमस कारसन के शब्दों में– "दैव निदर्शन में आने या निकल जाने का अवसर घटना के लक्ष्ण से स्वतंत्र होता है।"

श्री पार्टन के शब्दों में– " दैव निदर्शन का प्रयोग उस अवस्था में किया जाता है जबकि चुनाव की पद्धति समग्र में से प्रत्येक व्यक्ति या तत्व को चुने जाने का समान अवसर प्रदान करने का आश्वासन देती है।"

लॉटरी प्रणाली

इस प्रणाली के अन्तर्गत वही तरीका अपनाया जाता है जो कि अन्य प्रकार के लॉटरी निकालने में प्रयोग में लाया जाता है। समग्र की समसत इकाइयों के नाम अथवा नम्बर कागज की चिटों या छोटे चौकोंर क़ार्डो पर लिख लिये जाते हैं और फिर उन्हें किसी वर्तन, बक्स या झोले में डालकर अच्छी तरह से हिला दिया जाता है ताकि वे खूब अव्यवस्थित हो जायें। फिर आँख बन्द करके उतने कार्ड या चिट निकाल लिये जाते

है जितनी इकाइयाँ निदर्शन में लेनी हैं जो भी इकाइयाँ इस प्रकार दैव योग से चुनाव में आ जाती हैं उनका अध्ययन किया जाता है।

पद्धति एवं प्रविधियाँ

पद्धति वह प्रणाली है जिसके द्वारा वैज्ञानिक अपने अध्ययन विषय की विवेचना करता है। दूसरे शब्दों में पद्धति अध्ययन की वैज्ञानिक प्रणाली है। पद्धति सभी विज्ञानों में समान होती तथा इसका सम्बन्ध एक शोध या अनुसंधान कार्य की सम्पूर्ण प्ररचना तथा प्रतिमान से होता है।

सामाजिक अनुसन्धान के लिये आवश्यक वास्तविक तथ्यों को एकत्रित करने के लिये काम में लाये गये निश्चित व प्रमाण सिद्ध तरीकों को प्रविधि कहते हैं। प्रविधि वह तरीका है जिससे अध्ययन विषय से सम्बन्धित सूचनाओं तथा आंकड़ों को प्राप्त किया जाता है। प्रविधि दूसरे पर आश्रित होती जबकि पद्धति स्वयं में स्वतंत्र है।

साक्षात्कार– साक्षात्कार व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा सूचना एकत्रित करने एवं उन्हें लिखने की ऐसी क्रमबद्ध प्रविधि है, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य को सामने रखकर परस्पर आमने–सामने होकर बातचीत, संवाद या उत्तर–प्रतिउत्तर करते हैं।

यदि हम यह जानना चाहते हें कि लोग क्या महसूस करते हैं, क्या अनुभव रखते हैं और क्या याद रखते हैं। उनकी भावनायें एवं उनके उद्देश्य कया हैं तो उनसे स्वयं क्यों नहीं पूछते? वास्तव में साक्षात्कार प्रविधि की उत्पत्ति यहीं से प्रारम्भ होती है।

श्री मानेन्द्रनाथ बसु के अनुसार– "एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने–सामने का मिलन कहा जा सकता है।"

पी0वी0 यंग के अनुसार– "साक्षात्कार को ऐसी क्रमबद्ध पद्धति के रूप में माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आन्तरिक जीवन में थोड़ा–बहुत कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है जो कि उसके लिये सामान्यतया तुलनात्मक रूप से अपरिचित है।" 300 अपराधियों का साक्षात्कार लिया गया। विभिन्न जनपद जालौन के थानों से उनमें से 15 प्रतिशत वो अपराधी हैं जिनका रिकार्ड 5 वर्ष से अव्यवस्थित है, 30 प्रतिशत एवं 45 प्रतिशत उन अपराधियों को लिया गया जो मुख्य रूप से 10 वर्षों से अधिक विभिन्न अपराधों में लिप्त है। इन्हीं अपराधियों के आधार पर 40 प्रतिशत पर्यवेक्षक स्तर के पुलिसकर्मियों का साक्षात्कार लिया जिनमें कांस्टेबिल, हेडकांस्टेबिल एवं निरीक्षक हैं तथा 5 वर्ष से अधिक पुलिस विभाग की सेवा कर रहे है।

साक्षात्कार अनुसूची

अनुसूची वास्तव में प्रश्नों की एक लिखित सूची है जिसे कि अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय की प्रकृति व उद्देश्य को ध्यान में रखकर तैयार करता है जिससे कि उन प्रश्नों का उत्तर सम्बन्धित व्यक्तियों से मालूम किया जा सके।

अनुसूची सूचनादाताओं से प्रत्यक्षतः व औपचारिक रूप से पूछे जाने वाले उन प्रश्नों की एक आयोजित व व्यवस्थित सूची है जो कि अध्ययन विषय की वास्तविकताओं को प्रकट करने वाले तथ्यों या सूचनाओं को प्राप्त करने के लिये आवश्यक समझे जाते हैं।

गुडे एवं हॉट के अनुसार– "अनुसूची उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो साक्षात्काकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से आमने–सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं।"

बोगार्ड्स के अनुसार– "अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की औपचारिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है जो वैषयिक रूप में है तथा सरलता से प्रत्यक्ष योग्य है।"

साक्षात्कार की प्रत्यक्ष प्रणाली की भूमिका

साक्षात्कार की सफ़लता में साक्षात्कार का वास्तव में अत्यधिक महत्व है। वास्तव में सफल साक्षत्कार का रहस्य कुशल साक्षात्कारकर्ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एकबार साक्षात्कारदाता साक्षात्कार की अनुमति प्रदान कर दे, फिर तो सारी बात साक्षात्कारकर्ता पर ही निर्भर करती है, बल्कि साक्षात्कार की अनुमति देना भी बहुत कुछ साक्षात्कारकर्ता के प्रथम व्यवहार व कुशलता पर निर्भर करता है।

साक्षात्कारकर्ता में निश्चित ही वे सभी गुण होने अवश्यम्भावी है जो कि एक कुशल अनुसन्धानकर्ता में होते हैं क्योंकि साक्षात्कारकर्ता एक कुशल अनुसन्धानकर्ता भी होना चाहिये। साक्षात्कारदाता जब अपनी कोई बात लम्बे रूप में सुना रहा होता है तो अनेक बातें गप्पों के रूप में सुना जाता है।

इन सब बातों के अतिरिक्त साक्षात्कारकर्ता को बौद्धिक रूप से ईमानदार एवं पक्षपातरहित होना चाहिये क्योंकि इसके बिना निष्कर्षों में भी वैषयिकता नहीं आने पायेगी जो कि सामाजिक अनुसन्धानों की एक आवश्य शर्त है।

साक्षात्कार करते समय किसी अपराधी या पुलिसकर्मी का सामान्यतौर पर सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पूँछतांछ प्रणाली को अपनाना चाहिये जिससे समस्त अनुसन्धानकर्ता को शोध को लिखते समय वास्तविकता से परिचित कराया जा सके। पूँछतांछ प्रणाली हमेशा तटस्थ व सकारात्मक होनी चाहिये जिससे साक्षात्कारकर्ता अपनी उत्कण्ठा एवं महत्वाकांक्षाओं को शोधकार्य पर खरा उतर सके।

अवलोकन

अवलोकन विधि अनुसंधान की अत्यधिक प्राचीन और सर्वाधिक प्रचलित विधि हैं मानव ने अपने चारों ओर के विश्व का प्रारम्भिक ज्ञान अवलोकन द्वारा ही प्राप्त किया। अवलोकन शब्द अंग्रेजी भाषा के से बना है जिसका अर्थ देख्ना, प्रेक्षण, निरीक्षण करना आदि से है। अवलोकन विधि का प्रयोग केवल भौतिक विज्ञानों तक ही सीमित नहीं है, वरन् सामाजिक विज्ञानों में भी इसका प्रयोग काफी हुआ है।

प्रो0 सी0ए0 मोजन के अनुसार– ''ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता है।''

श्रीमती यंग के अनुसार– '' अवलोकन स्वतः विकसित घटनाओं का उनके घटित होने के समय ही अपने नेत्रों द्वारा व्यवस्थित तथा जानबूझकर किया गया अध्ययन है।'' 5

प्रत्यक्ष अवलोकन पद्धति

हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन नियन्त्रित और अनियन्त्रित दोनों प्रकार के अवलोकनों द्वारा कर सकते हैं। अनियन्त्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता एवं अवलोकित किये जाने वाले समूह दोनों में से किसी पर

भी किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं रखा जाता। अवलोकनकर्ता घटनाओं का उनके वास्तविक एवं स्वाभाविक रूप से ही अध्ययन करता है। अनियन्त्रित अवलोकन तीन प्रकार का होता है— सहभागी, असहभागी एवं अर्द्धसहभागी। अवलोकन को ही प्रत्यक्ष अवलोकन कहते हैं जिसका सर्वप्रथम **उल्लेख लिण्डमैन** ने सन् 1942 में अपनी पुस्तक **"सोशल डिस्कवरी"** में किया।

सहभागी अवलोकन करने के लिये अवलोकनकर्ता उस समूह अथवा समुदाय में जाकर रहने लगता है जिसकी सामाजिक घटनाओं का वह अध्ययन करना चाहता है। वह लोगों की दैनिक एवं अन्य सभी क्रियाओं में भाग लेता है और उनका निरीक्षण भी करता है। इसमें अवलोकनकर्ता को समूह के लोग अपना लेते हैं और वे उसे अपना एक सदस्य समझने लगते हैं।

पी0वी0 यंग के अनुसार— "अनियन्त्रित अवलोकन का प्रयोग करने वाला सहभागी अवलोकनकर्ता साधारणतया उस समूह के जीवन में रहता तथा भाग लेता है जिसका कि वह अध्ययन कर रहा है।"

लुण्डवर्ग के अनुसार— "अवलोकनकर्ता अवलोकित समूह के प्रति यथासम्भव पूर्णतया घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करता है अर्थात वह समुदाय में बस जाता है तथा उस समूह के दैनिक जीवन में भाग लेता है।"

5. <u>लिकर्ट पैमाना विधि</u>

सन् 1932 में **श्री लिकर्ट एन0 ने श्री थर्सटन** से कुछ भिन्न तथा सरल पैमाने का निर्माण किया और उसकी सहायता से विभिन्न समूहों के मनोवृत्तियों को जानने का प्रयास किया। पैमाने को तैयार करने के लिये एक वस्तु या विषय से सम्बन्धित बहुत से कथनों को एकत्रित किया जाता

है। इसके पश्चात् जिन लोगों की मनोवृत्ति का अध्ययन करना है उनमें से प्रत्येक को कहा जाता है कि इन कथनों में से प्रत्येक के प्रति अपनी मनोवृत्ति की मात्रा पाँच विभिन्न श्रेणियों में व्यक्त करें। इन पाँच श्रेणियों को क्रम से 5,4,3,2,1 अंक प्रदान कर दिया जाता है जिस कथन को अधिक अंक मिलता है उसे अनुकूल मनोवृत्ति का द्योतक माना जाता है।

6. सांख्यिकीय पद्धति

सर्वप्रथम **गिडिंग्स** ने इस पद्धति का प्रयोग प्रारम्भ किया। वर्तमान में समाजशास्त्र में सांख्किीय पद्धति का प्रयोग काफी मात्रा में किया जाने लगा है। सांख्यिकी पद्धति का अर्थ स्पष्ट करते हुये **संलिगमेन** ने लिखा है,– "सांख्यिकी वह विज्ञान है जो उन संख्यात्मक तथ्यों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, तुलना तथा निर्वचन की विधियों से सम्बन्धित है जिनको जाँच के किसी भी क्षेत्र पर प्रकाश डालने के लिये एकत्रित किया गया है।"

लॉविट के अनुसार– "सांख्यिकी वह विज्ञान है जो घटनाओं की व्याख्या, वर्णन तथा तुलना के आधार के रूप में संख्यात्मक पद्धतियों के संकलन, वर्गीकरण तथा सारणीयन से सम्बन्धित है।"

राबर्टसन ने लिखा है–"सांख्यिकी एक ऐसा उपकरण या साधन है जिसे आनुभाविक अनुसन्धान के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर आक्रमण करने या उनके निराकरण के लिये काम में लिया जा सकता है।"

यदि हम सांख्यिकी पद्धति की कार्यप्रणाली पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि इसमें सबसे पहले क्षेत्र का निर्धारण कर समग्र में से निदर्शन प्रणाली की सहायता से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चुनाव किया जाता है

तथ्य संकलन :

सामाजिक शोध के विषय को स्पष्ट करने के लिये सम्बन्धित तथ्यों का अत्यधिक महत्व होता है। शोध के आयोजन के पश्चात इन तथ्यों का संकलन करना होता है। तथ्य सामग्री प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती है, प्राथमिक तथ्य एवं द्वितीयक तथ्य।

प्राथमिक तथ्य वे तथ्य होते हैं जिन्हें शोधकर्ता द्वारा अपने शोध ा कार्य के प्रयोग के लिये पहली बार स्वयं घटनास्थल पर जाकर अथवा सम्बन्धित व्यक्तियों से साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन द्वारा एकत्रित करता है। अतः प्राथमिक तथ्यों को शोधार्थी पहली बार स्वयं प्रत्यक्ष रूप से मूल स्रोत से प्राप्त करता है।

द्वितीयक तथ्य वे तथ्य होते हैं जो पहले से ही किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये किसी अन्य शोधकर्ता या व्यक्ति द्वारा एकत्रित किये जाते हैं। इसी एकत्रित सामग्री को जब वर्तमान शोधार्थी द्वारा प्रयोग किया जाता है तो यह सामग्री इसके लिये द्वितीयक तथ्य के रूप में सामने आती है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन अनुभवात्मक होने के कारण प्राथमिक तथ्यों पर आधारित है फिर भी द्वितीयक तथ्यों का संकलन भी शोध अध्ययन की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हुआ। शोध विषय से सम्बन्धित द्वितीयक तथ्यों की जिला कारागार कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, अध्ययन क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न थानों, पुलिस आयोग की विभिन्न रिपोर्टो एवं विभिन्न अभिलेखों पत्र–पत्रिकाओं, जिला क्राइम रिकार्ड व्यूरो जालौन आदि के आधार पर एकत्रित किया गया हैं।

अध्ययन क्षेत्र :

अध्ययन का क्षेत्र बुन्देलखण्ड का जनपद–जालौन है। इसका भौगोलिक एवं ऐतिहासिक महत्व उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों से भिन्न है। इसकी सीमा मध्य प्रदेश के भिण्ड एवं दतिया जिले से सम्पर्क रखती है एवं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, कानपुर देहात, झाँसी, औरैया एवं इटावा से सीमा छूती है। इस जनपद की प्रमुख नदियाँ पहूज, बेतवा एवं यमुना है। यहाँ की मिट्टी काली, दोमट एवं पीली है जो खरीफ एवं रबी की फसल के लिये उपयोगी है।

ऐतिहासिक दृष्टि से इस जनपद में मौर्य, तुगवंश तथा कुतुबुद्दीन ऐवक जैसे शासकों ने यहां पर शासन किया था। जालौन के शासक मराठा थे। जालौन जनपद की जीविका का मुख्य साधन कृषि है, यहाँ पर रबी एवं खरीफ की फसलें पैदा होती हैं। उरई यहाँ का प्रमुख नगर है जो झाँसी–कानपुर, उत्तर–मध्य रेलवे पर बसा हुआ है। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा है परन्तु उरई नगर में हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड जैसी महत्वपूर्ण संस्थान बहुत से परिवारों को जीविका की पूर्ति करती है।

जनपद जालौन झाँसी मण्डल के अन्तर्गत आता है। इस जनपद को जावालिक ऋषि ने बसाया था तथा जनपद के अन्य नगरों जैसे कालपी को कालपनाथ, उरई को उद्दालक ऋषि ने एवं कोंच को क्रोंच ऋषि ने बसाया था। जनपद जालौन में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सूत्रधार विलायां के ठाकुर बरजोर सिंह थे। जालौन उ0प्र0 का निःसंदेह एक छोटा सा हिस्सा है, फिर भी स्वतंत्रता संग्राम में अटूट छाप छोड़ चुका है।

तालिका नं० 2.2

थाना एवं चौकी की स्थिति को प्रदर्शित करती हुयी तालिका

Police	Police station	Police post or out post	No. of Ins-pector	No. of Sub Inspector	No.of Asstt. Sub-Inspector	No.of Head Constable	No.of Canstable
1	2	3	4	5	6	7	8
Jalaun	-	Jalaun	-	3	1	1	18
	Rampura	Police Post	-	-	1	2	14
	Rendhar	Umri Police	-	-	-	1	16
	Kuthaund	-	-	2	-	1	1
	Madhogarh	-	-	2	-	1	16
	-	Gohan Police	-	1	-	1	14
		Post					
	-	Nadigaon	-	1	-	1	7
		Police Post					
Kalpi	Kalpi	-	-	2	-	1	16
		Mohmoodpura	-	-	-	1	6
		Police Post					
		Terhanganj		-	-	2	11
	Ata	-	-	2	-	1	14
	Dakore	-	-	2	-	1	14
	Kadaura	-	-	1	1	1	13
	Churkhi	-	-	2	-	1	13
Orai	Orai Kotwali	-	1	5	1	2	20
		Jadid Police Post	-	-	-	3	18
		Deputyganj	-	-	-	4	24
		Police Post					
Konch	-	-	-	2	1	1	16
		Khere Police	-	-	-	-	6
		Post					
		Sarahi Police	-	-	-	1	6
		Post					
		Sagar Police	-	-	-	2	12
		Post					
	Ait	-	-	1	1	1	16
		Kotra Police Post	-	-	-	1	4
	Kailiya	-	-	1	-	1	13

पैमाना : 1.2 c.m. प्रति सैंकड़ा

जनपद में बलात्कार के पुलिस आंकड़े

पैमाना : 1.2 c.m. प्रति सैंकड़ा

<u>जनपद में अपहरण में पुलिस आंकड़े</u>

पैमाना : 1.2 c.m. प्रति सैंकड़ा

जनपद में यातना के पुलिस आंकड़े

पैमाना : 1.2 c.m. प्रति सैंकड़ा

जनपद में दहेज हत्या के पुलिस आंकड़े

पैमाना : 1.2 c.m. प्रति सैंकड़ा

जनपद में यौन उत्पीड़न के पुलिस आंकड़े

पैमाना : 1.2 c.m. प्रति सैंकड़ा

जनपद में राहजनी के पुलिस आंकड़े

पैमाना : 1.2 c.m. प्रति सैंकड़ा

जनपद में हत्या सम्बन्धी पुलिस आंकड़े

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. रविन्द्रनाथ मुखर्जी, ''सामाजिक शोध व सांख्यिकीय'' विवेक प्रकाशन जवाहर नगर, दिल्ली पृ0सं0–129

2. रविन्द्रनाथ मुखर्जी ''सामाजिक शोध एवं सांख्यिकीय'' विवेक प्रकाशन दिल्ली पृ0 सं0– 155–156

3. गुप्ता एवं शर्मा, ''समाजशास्त्र'' साहित्य भवन पब्लिकेशनन्स, आगरा पुनः संशोधित 2006 पृ0सं0–975

4. गुप्ता एवं शर्मा, ''समाजशास्त्र'' साहित्य भवन पब्लिकेशनन्स, आगरा पुनः संशोधित 2006 पृ0सं0–1048

5. गुप्ता एवं शर्मा, ''समाजशास्त्र'' साहित्य भवन पब्लिकेशनन्स, आगरा पुनः संशोधित 2006 पृ0सं0–1002

तृतीय अध्याय

अध्ययन का उद्देश्य

अध्ययन का उद्देश्य

परिवर्तन संसार का नियम है। आज हर समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है। समाज के मूल्य सदैव एक–से नहीं रहते हैं, इनमें उतार चढ़ाव समय के साथ–साथ आता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को उसी के अनुसार चलना पड़ता है जिस प्रकार की विचारधारा जनमानस में मौजूद हो। आधुनिक युग औद्योगिक विकास का युग है जिसमें संसार के प्राणी तीव्रगति से दौड़ लगा रहे हैं। दुनिया के प्रत्येक देश में आगे बढ़ने की होड़ लगी हुयी है। वर्तमान समय का मानव भौतिकवादिता में अधिक रुचि लेता है। उसके सामाजिक जीवन में विभिन्न प्रकार की विलासितापूर्ण वस्तुयें उपलब्ध हैं। कारखानों की बढ़ोतरी के लिए विभिन्न प्रकार के उपक्रम बनाये जा रहे हैं, उनका नवीनतम रूप समाज के सामने उपस्थित होता जा रहा है। इन सभी कारणों से समाज के नैतिक, पारम्परिक एवं मानवीय मूल्य घट रहे हैं। अगर कोई मनुष्य प्राचीन परम्पराओं और प्रथाओं को अपनाता है तो समाज में उपहास एवं परिहास का पात्र बनता है। वैदिक एवं मध्ययुगीन काल में धन, धर्म एवं स्त्री तीनों का सम्मान होता था परन्तु सामाजिक परिवेश में इनके स्वरूपों में काफी परिवर्तन आया है।

प्रत्येक समाज की व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि समाज के लोग कितने अनुशासित, संयमी और सदाचारी हैं। समाज अपने सदस्यों के आत्मसंयम, आत्मअनुशासन एवं आत्मनियंत्रण के स्तर बढ़ाने के तरीके निकाल सकता है। यह समाज के अन्दर अनुशासन की निश्चित

व्यवस्था करने के लिये वाह्य संस्थागत ढाँचे को विकसित कर सकता है। समाज को अपना अनुशासन बनाये रखना आवश्यक होता है क्योंकि उसका अस्तित्व सदस्यों के अनुशासित होने पर निर्भर करता है। कोई भी समाज केवल तरीका अपनाकर अनुशासन का इच्छित स्तर प्राप्त नहीं कर सकता, उसे हर प्रकार से अपने सदस्यों के आत्म अनुशासन के स्तर को बढ़ाने के प्रयास करने होते हैं।[1]

सामाजिक समस्या की परिभाषा में एक तत्व यह भी है कि यह एक ऐसी दशा है जिसे समाज खतरे के रूप में देखता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक विशिष्ट दशा की उपस्थिति मात्र से सामाजिक समस्या निर्मित नहीं होती है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि लोग उस दशा को किस रूप में परिभाषित करते हैं। वे विभिन्न परिस्थितियों या दशाओं को अपने मूल्यों, मनोवृत्तियों तथा प्रेरणाओं की पृष्ठभूमि में ही देखने या समझने की कोशिश करते हैं। इनमें सबसे अधिक महत्व मूल्यों का है जो सामान्य रूप से अधिकाँश लोगों के मूल्यों की दृष्टि से खतरे के रूप में देखी जाती है, सामाजिक समस्या मानी जाती है। एक सामाजिक दशा को सामाजिक समस्या के रूप में परिभाषित करने में समाज विशेष की मूल्य व्यवस्था का काफी महत्व होता है। जब तक किसी सामाजिक दशा को समाज के अधिकतर लोग अपने कल्याण के लिये खतरे के रूप में नहीं देखें, तब तक वह सामाजिक समस्या नहीं कहला सकती।

बेकारी अथवा मद्यपान उसी समय सामाजिक समस्याओं की श्रेणी में आ जाते हैं जब इनकी मात्रा बढ़ जाये एवं समाज को इनसे

खतरा पैदा हो जाये। ये समस्या का रूप उसी समय ग्रहण करते हैं जब बहुत से लोग इसने प्रभावित हों तथा विभिन्न प्रकार के अपराध समाज में हों जिससे सामाजिक गतिशीलता पर प्रभाव पड़े तथा समाज का विकास अवरुद्ध हो जाये।

समाज की गतिशीलता होने के कारण समाज में ऐसे समूह बन जाते हैं जिनका अनौपचारिक अनुरोध से अनुशासित होने की अपील काम नहीं करती। वे व्यक्ति आत्म अनुशासन को आचारसंहिता का उल्लंघन करने अन्य बातों के अलावा अपनी आजीविका पर ध्यान देते हैं या कानूनी मानदण्डों या सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए औपचारिक संस्था के ढाँचे चाहिये। ये व्यक्ति गिरोह के रूप में या पेशेवर व्यक्ति के रूप में होते हैं। इनको ठीक रास्ते पर लाने का कार्य पुलिस व कानून व्यवस्था करती है।

वास्तव में पुलिस अधिकारियों को राष्ट्र एवं राज्य में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये अत्यधिक नाजुक व कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों व फर्जों का निर्वहन करना पड़ता है। कभी–कभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को विकटतम परिस्थितियों में राष्ट्र और समाज की रक्षा के लिये अपनी जीवन की आहुति तक देनी पड़ती है। समाज में विकास व परिवर्तन की प्रक्रिया के साथ विभिन्न समस्यायें सदैव ही जुड़ी रहती हैं। इन समस्याओं के चलते समाज में असंतोष, घृणा, प्रतिशोध, साम्प्रदायिकता, जातिवाद एवं तनाव की घटनायें परिलक्षित होती, जो प्रशासन के लिये विभिन्न चुनौतियों को प्रस्तुत करती हैं। दृढ़संकल्प,

बाध्यता, मनोयोग, धैर्य, सूझबूझ एवं संवेदनशीलता के सहारे ही इन समस्याओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। प्रादेशिक पुलिस के समक्ष भी कानून व्यवस्था बनाये रखना, विभिन्न प्रकार के अधिकारियों से निपटना, साम्प्रदायिक माहौल न बिगड़ने देना आदि प्रमुख चुनौतियाँ हैं। बढ़ती जनसंख्या, आर्थिक पिछड़ापन, शिक्षित नवयुवकों की बेरोजगारी के कारण समाज में वैमनष्यता का प्रसाद दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जिस कारण समाज में विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ मौजूद हैं जो पुलिस बल द्वारा नियंत्रित की जाती हैं।

पुलिस बल आत्मचिंतन करने, समस्याओं की मीमांसा (मूल्यांकन करना) कर उनका समाधान करने की राजनीति तैयार करना, अपराधों में आ रही है। नवीनता एवं उनको अंजाम देने में प्रयुक्त नई तकनीक से निपटने में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने व समाज में शान्ति बनाये रखने के उपाय सुलझाने हेतु एक सार्थक धरातल प्रस्तुत करता है। इस अवधि में होने वाली सामाजिक असमानता के कारण पुलिस बल पर समाज में विधि एवं व्यवस्था बनाये रखने की अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के परिप्रेक्ष्य में सार्थक जन–आकांक्षाओं एवं जनआशाओं के अनुरूप प्रभावी भूमिका अभिनीत करने हेतु पुलिस बल को सतत् जागरुक, सजग एवं कर्तव्यबोधता की सीमाओं में रहना पड़ता है। बदलते सामाजिक परिवेश में आज पुलिस कार्यों में अत्यधिक वृद्धि कर दी है। आये दिन साम्प्रदायिक दंगे, कॉलेजों एवं कारखानों में हड़तालें और आन्दोलन होते रहते हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिये पुलिस बल की प्रमुख भूमिका रहती है।

नई सभ्यता व संस्कृति ने नये–नये अपराधों को जन्म दिया है जिसके कारण नये कानूनों को बनाना आवश्यक है। आधुनिक बदलते सामाजिक परिवेश में कुशल एवं दक्ष पुलिस की आवश्यकता है। सामाजिक सम्बन्धों की जटिल व्यवस्था, महानगरों का विकास, रासायनिक एवं विषैले शस्त्रों का निर्माण एवं विकास अपराधों का विशेष संगठन एवं समस्त सामाजिक संरचना पर इसका प्रभाव, अपराधी दलों के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने वाले यातायात के तीव्रगामी साधन जो अपराधी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भगाने में सहायता करता है। समाज में इस प्रकार के परिवर्तन से कुशल एवं दक्ष पुलिस प्रशासन की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अपराधियों और जनसामान्य के सम्बन्ध एवं व्यवहारों में अन्तर निर्धारण करना एक कठिन कार्य है।[2]

अपराध की समस्या आज व्यापक एवं जटिल समस्या का रूप धारण कर चुकी है। यह समस्या हमारे प्रान्त व देश की न होकर सम्पूर्ण विश्व की है। कुछ चौंकाने एवं विस्मय में डालने वाले तथ्य सामने आये हैं, कि भारत में पिछले 10 वर्षों में अपराधों में काफी वृद्धि हुयी है। राजनैतिक अपराधीकरण बढ़ा है। पुलिस एवं खुफिया की सक्रियता के बावजूद राजनीतिज्ञों, व्यापारियों, उद्योगपतियों एवं आम नागरिक का जीवन असुरक्षित है।

आजादी के बाद के दशकों की भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी विकृति यही रही है कि अधिकांशतः विधायक, सांसद एवं मंत्री नैतिक एवं अनैतिक मूल्यों में अन्तर नहीं समझ पाते। राजनीति के राजनैतिज्ञों

को अपने उद्देश्य की पूर्ति यदि किसी और से सम्भव दिखलायी पड़ती है तो वे बड़े से बड़े नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों को ठुकरा कर अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। इस अधोगामी प्रवृति के कारण देश में हिंसात्मक व आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला, दूसरे हमारे देश की कानून व्यवस्था के पालन में ढिलाई बरतने के कारण या यह कहिये हमारी लचर कानून व्यवस्था की बजह से समय–समय पर गम्भीर एवं भयंकर अपराध होते हैं और बम विस्फोट व आतंकवादी घटनाओं में अनेक निर्दोष लोग मौत के घाट उतार दिये जाते हैं। विडम्बना यह है कि इस तरह के अपराध करने वाले स्वच्छन्द घूमते रहते हैं क्योंकि उनके विरुद्ध या तो अपराध सिद्ध नहीं हो पाते या फिर वे राजनीतिक पहुंच के सहारे बच निकलते हैं। इन्हीं बातों का परिणाम है कि आज हत्या, डकैती, लूटपाट, चोरी, अपहरण, महिला उत्पीड़न और हत्या जैसे अपराधों व हिंसात्मक गतिविधियों में लगातार वृद्धि हुयी और कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ीं।

अपराधों को रोकने के लिये पुलिस बल बना हुआ है जो देश में कानून और व्यवस्था को कायम रखता है। देश के अन्दर शान्ति बनाये रखना अपराधियों को पकड़ना तथा समाज को हिंसा से दूर रखना पुलिस बल का कर्तव्य है। भारतीय संविधान के अन्तर्गत भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है जो सभी धर्मों के प्रति सम्मान व आदर की दृष्टि रखता है किन्तु धर्म के नाम पर धर्मान्ध अनुयायी छोटी–छोटी बातों को लेकर हिंसा का वातावरण पैदा कर देते हैं। साम्प्रदायिकता एक विष बेल की

तरह समाज में फैल चुकी है। आज भारत में साम्प्रदायिक दंगों में काफी वृद्धि हुयी है। साम्प्रदायिकता भारत के सामने एक ऐसी चुनौती बन चुकी है जिसका निवारण करना काफी कठिन प्रतीत होता है।

भाषावाद के कारण कई जगह हिंसात्मक आन्दोलन चलाये गये। भाषावाद एवं क्षेत्रवाद हिंसात्मक रूप धारण करता जा रहा है। पश्चिमी बंगाल में नेपाली मूल के लोगों द्वारा चलाया गया हिंसात्मक आन्दोलन, पंजाब में खालिस्तान की माँग, असम में पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों द्वारा वोडोलैण्ड की माँग, उ0प्र0 में बुन्देलखण्ड की माँग देश की शान्ति व्यवस्था के समक्ष एक विकट चुनौती प्रस्तुत करती है।

पुलिस बल और समाज का आपस में गहरा सम्बन्ध है परन्तु पुलिस की सोच एवं समाज की सोच एक दूसरे के विरोधी और असामंजस्यपूर्ण होती। कभी–कभी पुलिस बल द्वारा दण्ड सामाजिकता पर खरा नहीं उतरता। जिस कारण से समाज के लोग उसको अप्रसांगिक मानते हैं। वर्तमान समय में भ्रष्टाचार द्वारा विधि व न्याय व्यवस्था को कमजोर किया है जिससे सामाजिक व पारम्परिक ढाँचा भी कमजोर होगा। आज पुलिस का स्वरूप समाज में बदला हुआ है। जितना कि ब्रिटिशकाल में पुलिस के अनुशासन की गरिमा थी उतनी आज आधुनिक परिवेश में नहीं है।

वर्तमान समय में भौतिकवादिता के कारण जीवन अधिक से अधिक भोगी, विलासी बना जिस कारण से आधारभूत सिद्धान्तों में परिवर्तन आया। आज का प्रत्येक नवयुवक और नवयुवतियाँ विभिन्न प्रकार

की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये अमानवीय व अनैतिक निर्णयों को अपनाकर इच्छाओं व आकांक्षाओं की पूर्ति करती हैं जो व्यक्तिगत एवं सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है। आज का प्रत्येक पुरुष आडम्बरी व दिखावटी जीवन जी रहा है तथा दिन प्रतिदिन वैदिक एवं प्राचीन संस्कृति व सभ्यता से पलायन करता जा रहा है। पुलिस बल हर समय समाज में कहाँ तक नैतिक व विधिक मूल्यों का निर्माण करेगी, यह तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वास्तविकता व यथार्थ को समझें जिससे समाज में धार्मिक मूल्यों की रक्षा हो सके।

पुलिस और समाज को एक दूसरे में सामंजस्य के प्रतिमानों व आयामों को स्थापित करना चाहिए। जिससे सामाजिक विकृति एवं विसंगतियों को दूर किया जा सके। पुलिस बल तथा समाज वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं जो समाज में कर्तव्य परायणता और कर्तव्यबोधता का निर्माण करते हैं। सामाजिक कुरीतियों एवं असमान्यताओं को ध्यान में रखते हुये कई सामाजिक कानून बनाये गये जिनके क्रियान्वयन हेतु पुलिस बल के ऊपर भार रखा गया फिर भी लोगों में तनाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यह तनाव ही सामाजिक व्यवस्था कायम रखने में पुलिस बल के लिये चुनौती बन गया है।

वर्तमान समय में अपराधों में काफी वृद्धि हुई है। जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी, भुखमरी, वैध एवं अवैध शस्त्रों में वृद्धि, नैतिक मूल्यों में कमी, प्राचीन मान्यताओं का अनादर, सामाजिक प्रतिष्ठाओं में गिरावट एवं बुजुर्गों का असम्मान आदि इन सभी कारणों से समाज में नये–नये

अपराधों का प्रादुर्भाव हो रहा है। विश्व में मादक दृव्यों एवं जिस्म फरोसी के धंधे का व्यापार दिनों–दिन बढ़ता जा रहा है।

भारत के प्रत्येक राज्य में अपराध दर अलग–अलग है। उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल जैसी घनी बस्ती वाले प्रान्तों में अपराध में वृद्धि तेजी से हो रही है। इसका मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या एवं घटते रोजगार है। आज पुलिस के सामने कई प्रकार की आपराधिक चुनौतियाँ हैं जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक एवं राष्ट्रीय गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। राज्यों में अपराध को बढ़ावा देने में श्वेत वस्त्र–पोशधारियों का प्रमुख हांथ है जो अपने स्वार्थ के लिए विभिन्न प्रकार के दुष्कर्मों के द्वारा अपने लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं।

भारत एक विशाल देश है जिसमें विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग, जातियाँ रहती हैं परन्तु आज लोगों ने संविधान के स्वरूप एवं मौलिक अधिकारों को दूषित कर दिया जिसके फलस्वरूप भारत की प्रभुता, एकता एवं अखण्डता का संतुलन बिगड़ने लगा है। राज्य की कार्यपालिकायें, मंत्रिपरिषद एवं विधान परिषद भी कलंकित हो चुकी है। पुलिस प्रशासन में आधुनिक संसाधन की कमी है जिससे कि वो सही ढंग से आन्तरिक सुरक्षा नहीं कर पाते। आज हमारे देश की लोक संस्कृति एवं प्रशासन बुरी तरह से चरमरा रहा है। भारत के दक्षिण एवं पूर्वी हिस्से में अपराध दर अधिक है।

संविधान के रक्षकों को हमारे देश की जनता दोषी क्यों ठहराती है या तो देश की जनता स्वार्थ सिद्धि के लिये दोषी ठहराती

है या हमारे पुलिस प्रशासन में कहीं न कहीं कमी है। बदलते सामाजिक परिवेश में जनता एवं पुलिस के सम्बन्धों तथा उनकी भूमिकाओं का अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक है। पुलिस के ऊपर विभिन्न प्रकार के दोषों को लगाया जाता है एवं उनकी आलोचना की जाती है परन्तु इसमें दोषी पूरा पुलिस विभाग नहीं है, गलती हमारे समाज की भी है। आज समाज के सामने कई प्रकार की चुनौतियां हैं।

मनुष्यों के सामाजिक व्यवहार में विवेक तथा संकल्प का स्थान महत्वपूर्ण है। यह मूलप्रविधियों के समान ही मनुष्यों के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। बौद्धिक विचारकों ने मानव विवेक को सर्वोपरि स्थान दिया है। उनके मतानुसार मनुष्य ही यह निश्चय करता है कि किस इच्छा को सबसे अधिक महत्व दिया जाये। वास्तव में मनुष्य अपनी अनुभूतियों के आधार पर विशेष शक्ति को प्राप्त करता है जिससे मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। विवेक व संकल्प मानव व्यवहार के विचारात्मक तथा संकल्पनात्मक पहलू है।

अध्ययन का उद्देश्य

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बदलते सामाजिक परिवेश में अपराधीकरण की प्रवृत्ति के ऊपर पुलिस का नियंत्रण एवं उसकी भूमिकाओं के सम्बन्ध में अन्वेषण करना है कि किस प्रकार पुलिसकर्मी सामाजिक परिवेश में अपने को ढालते हुये अपनी भूमिका निर्वहन करते हैं और किस प्रकार अपनी भूमिका निर्वहन में असफल हो जाते हैं। वर्तमान सामाजिक परिवेश में किस प्रकार की भूमिका निर्वहन में समस्यायें

आती हैं। क्या वर्तमान परिस्थिति के अनुसार वे प्रभावी होते हैं? अथवा निस्प्रभावी। पुलिस कर्मियों के अधिकारियों एवं उनके सहयोगियों के मध्य सम्बन्ध कैसे हैं, कितने क्रियान्वित होते हैं, कितने पारदर्शी हैं एवं कितने सारगर्भित।

इसके अतिरिक्त अध्ययन का उद्देश्य अपराध को रोकने के लिये कौन उत्तरदायी है धर्म, पुलिस या समाज। ये तीनों ही तथ्य समाज में नैतिकता और अनुशासनबद्धता को जन्म देते हैं परन्तु अपराधियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के अपराध करने से समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिससे सामाजिक धुरी में निष्क्रियता आ जाती है। अपराधियों के द्वारा किये जाने बाले अपराध समाज को गत्यात्मक रूप से अप्रभावी बना देते हैं। जिसके फलस्वरूप पुलिस की सक्रियता, निष्पक्षता और कर्तव्यपरायणता में निष्क्रियता आने लगती है।

प्रस्तावित अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं :–

1. अपराध को रोकने के लिये कौन उत्तरदायी है, पुलिया का समाज।
2. अपराधियों के मन–मस्तिष्क एवं शरीर पर पड़ने वाले नकारात्मक दुष्प्रभाव के लिये कौन उत्तरदायी है? पुलिस या समाज, इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी?
3. अपराधियों के विरूद्ध पुलिस की सक्रियता कितनी सही और कितनी गलत होगी?
4. अपराधियों में आत्मबल तैयार करने में पुलिस की भूमिका।

जनपद जालौन के अपराधी एवं पुलिस अन्य जनपदों की अपेक्षा विभिन्नता को प्रदर्शित करते हैं उसका मुख्य कारण जनपदीय भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रतिकूल विषमतायें और परिस्थितियाँ हैं जो सामाजिक अवरोध उत्पन्न करती हैं।

जनसामान्य की पुलिस के प्रति क्या मनोवृत्ति है और पुलिस की जनसामान्य के प्रति। सामान्यतः वर्तमान परिस्थितियों में आपराधिक प्रवृत्ति के क्या कारण हैं और पुलिस पर जनसामान्य के किस प्रकार का सामंजस्य एवं सहभागिता है। पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है और किस प्रकार की श्रेणी में अधिक मानी जाती है। राजनीतिज्ञ का पुलिस प्रशासन एवं उसके कार्यों में क्या प्रभाव है। क्या राजनैतिक व्यक्ति पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार के प्रति जिम्मेदार है तथा वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन पुलिस प्रशासनिक एवं जेल व्यवस्था में होने चाहिये? जिससे वह पक्षपात रहित अपने कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सके।

पुलिस व अपराध के समाजशास्त्रीय सिद्धान्तीकरण के क्षेत्र में चिन्तकों का सबसे अधिक प्रभाव रहा है जो यद्यपि पेशेवर समाजशास्त्री नहीं थे किन्तु उन्हें इस विचारधारा का पोषक कहा जाता है। आज समाज में विभिन्न प्रकार के "सांस्कृतिक संघर्ष" एवं "सामाजिक विघटन" जैसे कारक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं तथा उनके व्यवहार को निर्धारित करते हैं। अपराध का जनजीवन एक मानवीय सोच से जुड़ा हुआ है जिसमें विभिन्न प्रकार के उपागम एवं प्रतिमानों का सामंजस्य होता है।

दुर्खीम के अनुसार– "अपराध वह कार्य जो किन्हीं बहुत सशक्त सामूहिक भावनाओं पर आघात करता है।[3]

दुर्खीम अपराध को एक सामान्य एवं सार्वभौमिक घटना मापते हैं। उनका मत है कि विश्व का कोई भी समाज अपराध से मुक्त नहीं हो सकता। उसी शब्दों में अपराध मात्र एक विशेष जाति के समाजों के बहुमत में ही नहीं अपितु सभी प्रकार के समाजों में व्याप्त है। कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसके सम्मुख अपराध की समस्या नहीं रही हो। यद्यपि इसका स्वरूप परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार की विशेषता वाले लक्ष्य एक ही प्रकार के नहीं हैं किन्तु सब जगह सर्वदा ऐसे मनुष्य सब जगह रहे हैं जो दण्ड पाने योग्य व्यवहार करते हैं।

समाज में नवाचार, अपवर्तनवाद, विद्रोह एवं सांस्कृतिक तनाव आज समाज के प्रमुख मुद्दे बन चुके हैं जिनके द्वारा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समाज में कई प्रकार के उचित व अनुचित कार्य किये जाते हैं जो जीवन में नैतिक व चारित्रिक मूल्यों का हनन करते हैं।

टेफ्ट अमेरिकी संस्कृति को अपराधी संस्कृति मानते हैं। उनका कहना है कि अमेरिकी संस्कृति में आज अपराधों की ऊँची दर पर्यलोकित की जा सकती है क्योंकि इस संस्कृति की वर्तमान विशेषतायें अपराध को जन्म देने वाली हैं। इन विशेषताओं में हम गतिशीलता, जटिलता, भौतिकवाद, बढ़ती हुयी व्यक्तित्वहीनता, राजनीतिक जनतंत्र, व्यक्तिवाद के महत्व पर बल, समूहनिष्ठा, सीमान्त परम्पराओं की उत्तरजीविता, प्रजाति विभेदीकरण, सामाजिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अभिमुखीकरण,

राजनीतिक भ्रष्टाचार की सहिष्णुता, कानून में सामान्य विश्वास, कुछ कानूनों के प्रति अनादर तथा अर्ध अपराधी शोषण की स्वीकृति आदि को समाविष्ट कर सकते हैं।

अपराधी क्षेत्र तथा अपराधी व्यवहार के बीच सहसम्बन्ध स्थापित करने की पारिस्थितिकी का अध्ययन विभिन्न प्रकार के समाजशास्त्रियों ने किया। जिसमें ***डेवी, मारवर, सदरलैण्ड तथा क्रेसी*** हैं। ***मैके*** तथा उसके अनुयायियों ने विभिन्न प्रकार के शोध उद्देश्यों का निकटवर्ती रूप से परीक्षण किया एवं विभिन्न प्रकार के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करके नई अवधारणाओं को जन्म दिया।

वस्तुतः कार्य कारण के तल अत्यन्त गहरे हैं जिसके अध्ययन की महती आवश्यकता है। विघटित पड़ोस या क्षेत्र आज भी विद्यमान है तथापि अपराध को प्रमाणित करने वाले महत्वपूर्ण निकटवर्ती प्रभावों में से यह एक अद्वितीय प्रभाव है जहाँ के समाज में निकटवर्तिता का क्षय हो चुका है। कहना न होगा कि अपराध एवं उपचार के नियंत्रण के संदर्भ में अपराध क्षेत्र की अवधारणा की एक उपयोगी भूमिका रही है। इसके उपयोग की निरंतरता में ह्रास हुआ है।

अपराधीकरण की प्रक्रिया समाज के लिये एक घातक एवं निरंतरता की श्रेणी में अपराधी व्यवहार को प्रोत्साहित करती है जिस कारण से अपराधिक व्यवहार तात्कालिक व निकटवर्ती निर्धारित परिस्थिति में स्थित होते हैं। अपराधिक व्यवहार हमेशा नकारात्मक होता हैं यह व्यवहार वंशानुगत नहीं होता तथा अपराधिक व्यवहार के मुख्य भाग का ज्ञान एवं उद्देश्य घनिष्ठ वैयक्तिक समूह में प्राप्त होता है।

समाजशास्त्रियों द्वारा अनवेशित किसी एक पाशविक या एक पक्षीय सिद्धान्त के आधार पर आधारित उद्देश्य की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं की जा सकती है। आपराधिक व्यवहार का उत्तर अत्यन्त जटिल है तथा किसी व्यवहारवादी उद्देश्य उपलब्ध ज्ञान के आधार पर इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है क्योंकि आपराधिक घटनायें एक प्रकार से मानवीय आवृत्ति बारम्बारता एवं प्रवृत्ति को दोहराती रहती हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. के0एस0 शुक्ला– भारत के पुलिस प्रशासन, भारतीय जन–संस्थान नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2 मार्च; रो.सं. 1986

2. सोशियोलाजिकल आब्सट्रेक्ट जून 1986, हैण्डिग रोजर एण्ड आकुइस चार्ल्स लन्दन 32816, क्राइन रेट्स इन किथेटिव सोशियोलाजी, 1985, 13–2

3. Emile Durkheim "The Rules of sociological mathod" The Frec Preess, Newyork, 1964, P. 67

चतुर्थ अध्याय

विद्यमान सामाजिक परिवेश एवं पुलिस प्रशासन

विद्यमान सामाजिक परिवेश एवं पुलिस प्रशासन

अंग्रेजी में पुलिस (Police) शब्द, यूनानी भाषा की पालीतेइया (Politeia) शब्द से बना है। पालीतेइया का एक अर्थ शासन व्यवव्था या संविधान (Polity) है। इस शब्द से निर्मित एक अन्य शब्द पॉलिसी (Policy) या नीति है तथा पालीतेइया शब्द से व्युत्पन्न तीसरा शब्द पुलिस (Police) है। पुलिस शब्द का अर्थ व्यवस्था बनाये रखना, कानून का पालन करना तथा राज्य के आन्तरिक शासन के नियंत्रण की पद्धति निर्धारित करना है।

"स्वतंत्रता के पश्चात भारत एक प्रजातांत्रिक सार्वभौम गणराज्य बना जिसका अपना लिखित संविधान है और जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता और उन सबके व्यक्तित्व की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करना है। इन राष्ट्रीय लक्ष्यों के निरूपण और जनता के उत्तरोत्तर राजनीतिकरण से उनमें आकांक्षायें उभरी हैं। लोगों में एक जबरदस्त जागृति आई है और व्यक्ति तथा गुट अपने अधिकारों के प्रति अधिकाधिक सचेत हो गये हैं सत्ता के प्रत्येक कार्य की वे गहरी जाँच–परख करते हैं और राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व के वायदे और उपलब्धियों में अन्तर पाकर वे अधीर हो उठते हैं।"[1]

अब जन समुदाय निष्क्रिय और सुषुप्त नहीं रहा। लोग अपनी सहिष्णुता और नाराजगी की भावना को खुलकर अभिव्यक्त करने के लिये

कभी–कभी हिंसा पर उतर आते हैं। इस तरह आजादी के वाद पुलिस की भूमिका काफी जटिल हो गई है। विगत पाँच दशकों के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक और मौलिक परिवर्तन हुये हैं जिससे समाज में पुलिस का कार्य नितांत कठिन हो गया है। इस देश में पुलिस संगठन का जन्म एक संगठित संस्था के रूप में भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के अन्तर्गत हुआ है जिसमें यह कहीं भी उल्लेख नहीं है कि पुलिस का कार्य जनसेवा है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1978–1981) में भी इस तथ्य को इंगित करते हुये कहा है कि "पुलिस का कर्तव्य जनता की सेवा करना है। ऐसा कोई आदेश या उल्लेख 1861 के पुलिस अधिनियम में नहीं है जो थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ अभी भी पुलिस जनों का मार्गदर्शक है।" इसलिये पुलिस की छवि सुधर नहीं रही है। यह भी सही है कि पुलिस अपने कर्तव्यों का निर्वहन तटस्थ एवं सुचारु रूप से कर पाने में अपने को अनेक अवसरों पर असहाय पाती है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में हुये राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न हुयी स्थिति भी इसका एक कारण है। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हुये परिवर्तनों ने भारतीय समाज के स्वरूप और मूल्यों को बहुत अधिक प्रभावित किया है। जनसंख्या में अपार वृद्धि हुयी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विलक्षण प्रगति हुई है। प्राचीन नैतिक मूल्यों के प्रभाव में कमी के कारण व्यक्तिगत और सार्वजनिक नैतिक मूल्यों के स्तर में गिरावट आई है। शहरी क्षेत्र के प्रसार ने नये प्रकार के अपराधों को जन्म दिया है। यह परिवर्तन पुलिस के लिये समस्या उत्पन्न

करते हैं। इसी तरह आर्थिक क्षेत्र में हुये परिवर्तनों से शहरी और देहाती क्षेत्रों में एक असन्तुलन पैदा हुआ है। पिछले दो दशकों की राजनीतिक प्रक्रिया और व्याप्त सामाजिक असंतुलन के कारण विशेष प्रकार के कुछ अपराधों की संख्या भी बढ़ी है। सार्वजनिक निधि के दुरूपयोग, सरकारी सम्पत्ति का गवन तथा सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण बहुत अधिक बढ़ा है। समाज में राजनैतिक चेतना और साक्षरता बढ़ने पर भी भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार और शोषण की मात्रा में कमी नहीं आई है। प्रशासन में बढ़ता हुआ राजनैतिक हस्तक्षैप भी इसके लिये एक अंश तक उत्तरदायी है। इन परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुये तात्कालिक प्रधानमंत्री ने कहा था कि पुलिस जनों के सामने भारी चुनौतियां हैं, हम निश्चित तौर पर आर्थिक गतिशील अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। इससे सामाजिक बदलाव होगा और वह कहीं–कहीं सामाजिक तनाव के रूप में प्रकट होगा, इसलिये उन्होंने पुलिस जनों को संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठने की अपेक्षा की थी। इस परिप्रेक्ष्य में हमें स्वातंत्रयोत्तर भारत में राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों और उनका पुलिस पर पड़ते हुये प्रभावों का अध्ययन करना चाहिये।

स्वाधीन भारत में विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिवेशों में परिवर्तन हुये। आज समाज में कई प्रकार के अपराध एवं दुराचार मानवीय दृष्टिकोण के अनुसार गलत और समाज विरुद्ध है। सामाजिक परिवेश बदलते रहते हैं जो विभिन्न आयामों को समय–समय पर अपेक्षित एवं निम्नता की श्रेणी में ले जाते हैं। सामाजिक परिवेश का सम्बन्ध

राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक है। जिस पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासन पर भी प्रभाव पड़ता है। प्रशासन हमेशा अनुशासन एवं कर्तव्यवोधता के बीजों को समाज में स्थापित कर सामाजिक बुराईयों को दूर करने का प्रयास करता है।

समाज और पुलिस एक दूसरे के पूरक हैं। पुलिस हमेशा समाज में होने वाली अप्राकृतिक, असामाजिक एवं अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाती है। जिससे कि समाज में किसी प्रकार के नकारात्मक एवं उपेक्षित कार्य न हो क्योंकि उपेक्षित कार्य सामाजिक पर्यावरण एवं परम्पराओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं जिससे मानवीय जीवन एवं सामाजिक स्वरूप का ढाँचा विगड़ जाता है।

भारत में ही नहीं अपितु समूची दुनिया में नागरिकों का एक सांझा इतिहास और सांझा भविष्य है। अतः एक जगह की घटनाओं का असर दूसरी जगह पर भी पड़ता है। हम सभी को एक दूसरे की संवेदनशीलता का ख्याल रखना चाहिये।[2]

भारत में समाज सुधार के लिये कई प्रकार के सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। सुधार के महत्व का तात्पर्य यह है कि सुधार क्यों किया जाता है। सुधार से क्या लाभ है। समाज में सुधार की क्या उपयोगिता है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में अपराधी सुधार का अर्थ समाहित है। अपराधी सुधार समाज तथा अपराधियों के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अपराधशास्त्र के अध्ययन से अपराधियों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है तथा उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण करने

में भी सहायता प्राप्त होती है। यह जानकारी अपराधियों के सुधार तथा उन्हें फिर से समाज में स्थापित करने के लिये सहायता प्रदान करती है।[3]

स्वाधीनता के पूर्व भारत में देशी रियासतों और ब्रिटिश शासित क्षेत्रों में पुलिस संगठन मोटे तौर पर एक समान रूप से कार्य करते थे। ब्रिटिश शासनकाल में पुलिस का प्रमुख कर्तव्य शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखना जो कि दैनिक प्रशासन चलाने के लिये आवश्यक था। भूराजस्व वसूल करना एवं अन्य सामान्य कर्तव्यों का निर्वहन करना था। ***लार्ड डलहौजी*** तथा ***रिपन*** के शासनकाल में पुलिस की भूमिका इससे कुछ आगे भी बढ़ाई गयी। पुलिस संगठन को सुव्यवस्थित करने के लिये सर्वप्रथम प्रयास उस समय हुआ जब इण्डियन पुलिस एक्ट 1861 का निर्माण किया गया। स्वतंत्र भारत की वर्तमान सभी पुलिस इकाइयाँ इसी इण्डियन पुलिस एक्ट के अन्तर्गत संगठित की गयी हैं। इस तरह ब्रिटिश शासनकाल में पुलिस का प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजों के व्यापार की सुरक्षा करना तथा अंग्रेज शासकों के हितों की रक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासनिक कुशलता बनाये रखना था। जनता को सुरक्षा और उनके कल्याण कार्यों का महत्व आम तौर पर स्थानीय पहल, संगठन तथा प्रयत्नों तक सीमित रहता था। जिन क्षेत्रों में जीवन स्तर बहुत ही नीचे दर्जे पर था और जहाँ अंग्रेजी शासन का असर नहीं के बराबर था वहीं ठगी और डकैती का बोलवाला था। अंग्रेजों का ध्यान इन बुराईयों की ओर तब तक नहीं जाता था जब तक कि यह लूटपाट की वारदातें उनकी सीमा तक नहीं पहुँचती थीं। 19वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में

जब मध्य भारत क्षेत्र में पिण्डारियों की समस्या उत्पन्न हुयी और बे ब्रिटिश क्षेत्रों में लूटपाट और हत्यायें कर रियासती क्षेत्रों में छिपने लगे तब अंग्रेजों ने सम्बन्धित देशी रियासतों से संधियाँ की और पिण्डारियों के सफाये के लिये पुलिस बल का तेजी से प्रयोग किया। मध्य भारत एजेन्सी की एक प्रमुख रियासत "रीवा" के नरेश **महाराज जयसिंह जू देव** के साथ 1803 में एक ऐसी ही संधि ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सरकार ने की थी। 19वीं शताब्दी के अन्त में और 20वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्भव से भारतीय स्वाधीनता के प्रथम राष्ट्रीय युद्ध 1857 की दबी एवं सुषुप्तावस्था में पड़ी हुयी चिनगारियाँ पुनः प्रकट हुयी और 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में स्वाधीनता आन्दोलन में तेजी आई। इस तेजी का पुलिस की कार्य प्रणाली पर बहुत अधिक असर पड़ा। दिन प्रतिदिन पुलिस की जनता से दूरी बढ़ती गई और पुलिस को घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा। **महात्मा गाँधी** के नेतृत्व में चलाये गये असहयोग और सविनय अवज्ञा आन्दोलन ने देश के कोने–कोन को प्रभावित किया और सम्पूर्ण देशवासी एक स्वर से ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में उठ खड़े हुये। इस परिस्थिति में पुलिस बल जो कि संख्या में बहुत थोड़ा था, को राष्ट्रीय आन्दोलन को दवाने के लिये अरुचिकर कार्य करने पड़ते थे। इससे पुलिस के प्रति लोगों में घृणा की भावना तीव्र होती गयी और इस शताब्दी के तीसरे, चौथे दशक में पुलिस ब्रिटिश साम्राज्य की पिट्ठू के रूप में कुख्यात हो गयी। उन परिस्थितियों में

पुलिस के प्रति लोगों में सहानुभूति न होना स्वाभाविक था। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि सभी पुलिस कर्मचारियों में देशभक्ति की भावना नहीं थी। सच तो यह है कि उन्हें बड़ी कठिन परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता था और उस समय के शासन के प्रति वफादारी के साथ उनकी अर्न्तरात्मा का सतत संघर्ष होता रहता था। पुलिस के प्रति चली आ रही यह भावना स्वाधीनता के बाद भी चली आ रही है।

पुलिस और समाज का आपस में गहरा सम्बन्ध है परन्तु प्रत्येक व्यक्ति का सम्बन्ध पुलिस से नहीं होता है क्योंकि वह हिंसक एवं आपराधिक स्वभाव का नहीं है। पुलिस हमेशा प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करती रही है परन्तु वर्तमान व्यापक भ्रष्टाचार के कारण आज पुलिस की गरिमा एवं ख्याति धूमिल हो गयी है क्योंकि अस्तित्व एवं कोई स्वामित्व पहचान नहीं है। अब पुलिस बल में अधिक शिक्षित लोग आ रहे हैं और उन्हें स्वाधीन भारत में पुलिस की जनतांत्रिक भूमिका के सम्बन्ध में विधिवत प्रशिक्षण दिया जाने लगा है। आशा है कि पुलिस जैसे–जैसे प्रजातांत्रिक ढाँचे के अनुरूप अपने को ढालती जायेगी वैसे ही वैसे उसे जनता का सहयोग व सम्मान प्राप्त होता जायेगा। स्वतंत्रता के पश्चात पुलिस की कार्य प्रणाली में काफी हद तक परिवर्तन हुआ है। अब उसका नियंत्रण और संचालन संवैधानिक तरीके से विधिवत निर्वाचित सरकारों द्वारा किया जाता है और वह अब गृह मंत्रालय के माध्यम से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। पुलिस को जनसेवी संगठन के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिये प्राथमिक आवश्यकता यह है कि भारत सरकार

इण्डियन पुलिस एक्ट 1861 के स्थापन पर स्वाधीन भारत के लक्ष्यों के अनुरूप पुलिस अधिनियम का निर्माण करे।[4]

भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात प्रजातांत्रिक स्वरूप में काफी तेजी से परिवर्तन आया जिसका वास्तविक तेजी से ह्रास हुआ। प्रजातांत्रिक ढाँचे में विघटनकारी तत्वों ने हस्तक्षेप करके पुलिस प्रशासन की गरिमा को दूषित किया जिससे आज सारे राष्ट्र का अनुशासन चरमरा रहा है तथा पुलिस प्रशासन पर कई प्रकार के कलंक और धब्बे दिन प्रतिदिन लगते रहते हैं। पुलिस प्रशासन और राजनैतिक परिवर्तन से अपराध व हिंसा में तेजी से वृद्धि हो रही है। पुलिस भी समाज की अंग होती है उसमें कुछ त्रुटियाँ व कमजोरियाँ हैं। उसकी कमजोरियों व त्रुटियों को दूर किया जा सकता है किन्तु उन्हें भी समाज के सहयोग की आवश्यकता है।

समाजशास्त्रियों में सामाजिक विघटन की अवधारणा के सम्बन्ध में मतैक्य नहीं है। 1927 में ***थामस एवं नैनिकी*** ने किसी भी समूह के सदस्यों को नियन्त्रित करने वाले व्यवहारों की प्रभावहीनता को सामाजिक विघटन कहकर सम्बोधित किया था।

1959 में ***ए०के० कोहन*** ने सामाजिक विघटन को विचलित व्यवहार कहकर सम्बोधित किया था। इन 32 वर्षों के अन्तराल में सामाजिक विघटन को अनेक सन्दर्भों में परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। कुछ समाजशास्त्रियों ने सामाजिक विघटन का अर्थ "रूढ़ियों और संस्थाओं से संघर्ष" माना है। इन विद्वानों में **सदरलेण्ड, मैक्सवेवर,**

वुडवर्ड का नाम प्रमुख है। **होर्टन तथा लेस्ले के अनुसार–** कि सामाजिक विघटन समाज की वह स्थिति है जिसमें समाज की स्थापित व्यवस्था में विद्यमान निश्चितता का स्थान अव्यवस्था एवं अस्पष्टता ले लेती है। **ल्यूक एवरसोल के अनुसार–** कि सामाजिक विघटन को संस्थात्मक एकीकरण के रूप में भी समझा जा सकता है। **मर्टन** ने सामाजिक विघटन को सामाजिक संरचना के सन्दर्भ में समझाने का प्रयास किया है। सामाजिक विघटन का तात्पर्य पदों और भूमिकाओं के ढाँचे को उतनी दृढ़ता के साथ संगठित नहीं होता है जितना कि होना चाहिये।

दुर्खीम ने सामाजिक विघटन को प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों का परिणाम माना है। उसका विचार है कि प्रौद्योगिकीय प्रगति के कारण श्रम विभाजन का जन्म होता है। श्रम विभाजन समाज में जटिलता को जन्म देता है जिससे सामाजिक सन्तुलन बिगड़ जाता है और समाज का संगठन नष्ट हो जाता है। इसका स्वाभाविक परिणाम सामाजिक विघटन के रूप में होता है। ***दुर्खीम*** ने अपनी पुस्तक **"दि डिवीजन आफ लेवर इन सोसाइटी"** में लिखा है कि "सामाजिक विघटन असन्तुलन की स्थिति और समाज के सदस्यों में सामाजिक दृढ़ता अथवा एकमत की कमी का पाया जाना है।[5]

पुलिस प्रशासन

भारतीय पुलिस व्यवस्था का संगठन भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार किया गया है, जिसका निर्माण पुलिस कमीशन की 1860 की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। इसके बाद 1888 में और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 में पुलिस संशोधन अधिनियम पारित किया गया। ब्रिटिश

शासनकाल में जिस पुलिस व्यवस्था की नींव डाली गई थी, उसमें आवश्यक संशोधन अवश्य किये गये हैं, लेकिन प्रशासनिक ढांचे में कुछ अतिरिक्त पदों के निर्माण और आवश्यकतानुसार कुछ विशेष शाखाओं की स्थापना के अलावा बुनियादी रूप से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वर्तमान समय में भारत में सामान्य पुलिस के अलावा कुछ अन्य पुलिस संगठन भी हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने निर्मित किया है; जैसे–सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, केन्द्रीय गुप्तचर शाखा, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, आसाम रायफल्स, नेशनल पुलिस अकादमी, विधि विज्ञान परीक्षण शालाएं आदि। ये सभी इकाइयां विभिन्न प्रकार के पुलिस कार्यों का सम्पादन करती हैं।

आज भारत में तीन स्तरों में पुलिस सेवा में भर्ती की जाती है–

(1) **अखिल भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.)–** इन अधिकारियों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाती है। ये अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक ओर उसके ऊपर के उच्च पदों में काम करते हैं।

(2) **राजय पुलिस सेवा–** इनकी भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग है। इन्हें उप–पुलिस अधीक्षक और अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के पद पर नियुक्त किया जाता है, ये जिला पुलिस अधीक्षक के अधीन काम करते हैं।

(3) **अधीनस्थ पुलिस सेवा–** इसमें अनेक कैडर होते हैं; जैसे– निरीक्षक, उप–निरीक्षक, सहायक उप–निरीक्षक, मुख्य आरक्षक, आरक्षक आदि। इनकी भर्ती राज्य पुलिस संगठन के द्वारा राज्य स्तर और स्थानीय स्तर पर की जाती है।

भारत में, अन्य सभी देशों के समान अपराध बड़ी तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। परिस्थिति जितनी गम्भीर है, उतनी ही गम्भीर है पुलिस की कार्यप्रणाली के लिये ब्रिटिश शासन काल के नियमों में 1961 व 65 के बीच थोड़े बहुत परिवर्तन किये गये थे परन्तु वे एकदम अपर्याप्त हैं।

वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में पुलिस प्रशासन एवं संगठन तथा उसके अधिकार सम्बन्धी सचिवालय, ग्रामीण स्तर, शहरी एवं अर्द्ध शहरी आंचलिकता का सम्बन्ध पुलिस प्रशासन से है। पुलिस व्यवस्था में छोटे एवं महत्वपूर्ण परिवर्तन सूक्ष्म एवं सुस्पष्ट तरीके से किये जा चुके हैं। वर्तमान सामाजिक संदर्भ में पुलिस प्रशासन में उ0प्र0 में ही नहीं अपितु भारत वर्ष के प्रत्येक राज्य के जनपद में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। जिस कारण से पुलिस प्रशासन पुरातनता से आधुनिकता की ओर जा रही है।

वर्तमान समय में उ0प्र0 की पुलिस व्यवस्था प्राचीन उत्तरी पश्चिमी राज्यों एवं अवध की पुलिस के पद चिन्हों पर चल रही है।6 यद्यपि पुलिस प्रशासन 1861 अधिनियम के अनुसार संचालित हो रहा है। जिस कारण से पुलिस प्रशासन में काफी गहराई, गम्भीरता एवं सार्थकता विद्यमान है। जब अवध का प्रशासन ब्रिटिश हाथों में आ गया और सिन्ध के संगठन के आधार पर इसका संचालन होता था।

भारतीय पुलिस प्रशासन की वास्तविक छवि 1861 के पुलिस अधिनियम के निर्माण के पश्चात जनता के समक्ष आयी। नागरिक पुलिस का संचालन भारतीय सेना के अनुसार होता था तथा सम्पूर्ण पुलिस

व्यवस्था केन्द्रीय थी। जिसका नियंत्रण पुलिस महानिरीक्षक के अधीन होता था तथा उस विभाग के उसके बहुत से अधिकारी उसका सहयोग करते थे। पुलिस व्यवस्था राज्य के मण्डल के अधीन थी तथा विभिन्न प्रकार के विभागों तथा उपविभागों में विभाजित थी। पुलिस अधीक्षक जनपद स्तर पर पुलिस व्यवस्था की देखरेख एवं नियंत्रण करते थे। आज वर्तमान समय में पुलिस अधीक्षक को आई0पी0एस0 के नाम से पुकारते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में पुलिस अधिकारियों को अलग–2 नाम से सम्बोधित किया जाता है। राजस्थान में जनपद की देखरेख करने वाले पुलिस अधिकारी को आर0पी0एस0 तथा म0प्र0 में टी0आई0 एवं उ0प्र0 में सी0ओ0 के नाम से पुकारते हैं।

भारतीय पुलिस सेवा का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता हैं पुलिस अधीक्षक को जनपदीय एवं मण्डलीय स्तरों पर विभिन्न प्रकार की सामाजिक पारिवारिक, आपराधिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जूझना पड़ता है।

ब्रिटिशकाल में पुलिस अधीक्षक के सहयोगी कर्मियों में निरीक्षक, मुख्य सिपाही, सिपाही तथा सरजेन्ट्स होते थे। कुछ समय के पश्चात मुख्य सिपाही के पद का नाम परिवर्तित करके उपनिरीक्षक कर दिया गया। ग्राम का चौकीदार ग्राम की घटनाओं की सूचना देने के लिये गस्तीदल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। 1867 में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया जब एक सहयोगी पुलिस महानिरीक्षक के अधीन रेलवे पुलिस व्यवस्था का निर्माण हुआ।

वर्तमान समय में रेलवे विभाग की देखरेख करने वाली दो प्रकार की पुलिस व्यवस्थायें हैं। एक आर0पी0एफ0 एवं दूसरी जी0आर0पी0 उ0प्र0 की पुलिस व्यवस्था में 1877 में एक ऐतिहासिक घटना घटित हुयी जब अवध पुलिस उत्तरी पश्चिमी राज्य की पुलिस के नाम से परिवर्तित हो गयी। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राज्य की सीमा रेखाओं में व्यापक परिवर्तन हुआ लेकिन वर्तमान पुलिस व्यवस्था पर किसी न किसी रूप से प्राचीन पुलिस व्यवस्था का प्रभाव एवं क्रियान्वयन की छाप मौजूद है।

पुलिस विभाग गृह विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। पुलिस विभाग देश की आन्तरिक सुरक्षा में सहयोग देता हैं गृह विभाग की स्थापना सर्वप्रथम 1941 में हुयी। मुख्य सचिव जो पहले पुलिस से सम्बन्धित मामलों की निगरानी रखता था उसे अब पुलिस विभाग से सम्बन्धित कार्य से मुक्त कर दिया और विभिन्न नियमों का स्थानान्तरण गृह सचिव को कर दिया। बन्दी गृह व आपराधिक न्याय विभाग, न्याय सचिव के पास स्थानान्तरित कर दिये गये और यह विभाग गृह पुलिस एवं गृह अपराध के नाम से जाना जाने लगा है।

गृह विभाग के सम्पूर्ण कार्य गृहमंत्री के निर्देशन में होते हैं एवं वह राज्य विधान सभा विभाग की प्रगति का अतिरिक्त जिम्मेदार होता है। अतः राज्य पुलिस विभाग में दो प्रकार के कर्मी होते हैं। प्रथम सचिवालय कर्मी द्वितीय विभागीय कर्मचारीगण।

तालिका नं0 4.1

सचिवालय कर्मियों के पदों का विवरण सम्बन्धी तालिका

क्रं0	पद	पद संख्या
1.	आयुक्त बनाम गृहसचिव	1
2.	उपसचिव	3
3.	विशेष सचिव	2
4.	संयुक्त सचिव	3
5.	अपर सचिव	1
6.	सहसचिव	2
7.	अधीक्षक	10

पुलिस गृह विभाग सचिवालय स्तर पर 10 अनुभागों में विभाजित है। सचिवालय पुलिस कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों का सम्पादन करता है। जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन, विभिन्न देशों के पासपोर्ट की जानकारी करना कि जो व्यक्ति विदेश जा रहा है उसकी किस प्रकार की गतिविधियाँ हैं।

पुलिस विभाग विभिन्न मामलों की छानबीन करती है जैसे डकैती, तस्करी, बलात्कार, अपहरण, वेश्यावृत्ति, हत्यायें, चोरी, राहजनी इत्यादि। पुलिस विभाग के अन्तर्गत अपराध अन्वेषण विभाग (लखनऊ एवं मेरठ) कुत्ता गश्ती दल (डॉग स्काउट), अंगुली छाप विभाग, विज्ञान एवं अपराध सूचना केन्द्र, पुलिस मुख्यालय की व्यवस्था, जनपद पुलिस की सीमा, गार्ड एवं उड़नदस्ते, एस0ए0एफ0, सी0आर0पी0एफ0 (केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल), यातायात पुलिस, महिला पुलिस एवं पुलिस आयोग यह सारे विभाग गृह पुलिस विभाग के अन्तर्गत आते हैं।

गृह विभाग तृतीय के अन्तर्गत अग्निशमन सेवा, पुलिस कर्मियों को पुरस्कार एवं पदक, विस्फोट पदार्थों की निगरानी रखना इत्यादि। विभिन्न ग्रामीण एवं शहरीय सामाजिक उत्सवों एवं मेले, राजनीतिज्ञ सभायें और समय–समय पर विभिन्न आयोजनों को करना इन सबकी देखभाल गृह विभाग तृतीय करता है।

गृह विभाग चतुर्थ के अन्तर्गत विदेशी नागरिकों का आगमन एवं भारतीयों का विदेशों में प्रस्थान की निगरानी भी पुलिस विभाग तृतीय करता हैं इसके अतिरिक्त जो विदेशी नागरिक भारत में आते हैं उन्हें सही सुझाव एवं मार्गदर्शन देना जिससे कि वे अपनी जीवन की रक्षा कर सकें। विदेशी नागरिकों के बीजा एवं पासपोर्ट को देख्ना एवं उसकी अवधि का मूल्याँकन करना समस्त कार्य गृह विभाग चतुर्थ में आता हैं

गृह विभाग पंचम के अन्तर्गत पाकिस्तानी नागरिकों की भारत की यात्रा के सम्बन्ध में उनकी जानकारी रखना, उनकी गतिविधियाँ, उनके सम्बन्ध में गोपनीय जानकारी रखना, किस शहर और बस्ती में रहते हैं आदि कार्यों की देखभाल करना।

गृह विभाग षष्ठ के अन्तर्गत शस्त्र सम्बन्धी मामले, पुलिस विभाग का वार्षिक वजट, पुलिस भवन, वर्दी के नियम, अग्नि शमन सेवा, रेल सुरक्षा, सरकारी रेलवे पुलिस, सामाजिक उत्सवों पर पुलिस व्यवस्था आदि का कार्यान्वयन होता हैं यह सभी मामले सचिवालय स्तर पर गृह सचिव से सम्बन्धित होते हैं।

"आप पैदा तो करें दस्ते हुनर फिर देखिये आपके हाथों में पत्थर आइना हो जायेगा।"

पुलिस प्रज्ञा के संरक्षक इस सुरक्षा प्रदायिनी रक्षा वाहिनी को हमारे सामाजिक व्यवहार एवं मानव संस्कारों की बेजोड़ कड़ी मानते आये हैं ***रावर्ट पील*** ने पुलिस कार्यप्रणाली का मनोवैज्ञानिक सर्वेक्षण करते हुये कई निष्कर्ष निकाले हैं बिद्रोह तथा बागीपन का वहशीपन पुलिस के लिये सिरदर्द हो जाता है परन्तु इस बिद्रोह के संघर्ष का भी समीक्षात्मक देखाभाल होना जरूरी है। ***सर रावर्ट पील के अनुसार–*** "Agitation is the marshalling of the conscience to a nation to mould its laws."

अर्थात सामाजिक परिवर्तन के साथ तेजी से बदलते हुये माहौल को अनदेखा कर देने से कभी कभी विद्रोह जन्म लेता है। अतः इस चेतावनी के स्वरों को सुनकर, राष्ट्रीय चेतना में सुरक्षा तथा कानून की दृष्टि से बदलाव आना अपेक्षित ही नहीं अपितु अनिवार्य भी है।

"जब तक ऊँची न हो लौ
जिन्दगी को रोशनी नहीं मिलती।"

साहित्यशास्त्रियों की मान्यता है कि कवि को कविता इसलिये करनी चाहियें ताकि यह ज्ञात हो सके कि राजा अथवा शासक का प्रजा के प्रति क्या तथा कैसा व्यवहार है तथा प्रजायें अपने शासकों के प्रति कैसा व्यवहार करें? आज के हिन्दुस्तान में प्रजा ने संतोष एवं सुखपूर्वक पुलिसजनों से सुरक्षा प्राप्त करके उनके प्रशंसा गीत गाये होते तो इस पुरातन मान्यता को समीक्षा का धरातल मिल गया होता परन्तु खेद इस

बात का है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम इस सामाजिक वर्ग को, जिसे हम पुलिसकर्मी कहते हैं, वह सम्मान नहीं दे पाये हैं। कारण क्या है? उन पर हमारी गणवेष्णात्मक दृष्टि पड़नी चाहिये जो बात अकाट्य है वह यह है कि पुलिस हमारी सुरक्षा एवं संरक्षा का विश्वास तत्व है।

"Police the name is security"

इस विषमता तथा पारस्परिक वैमनुष्यता को कम कैसे किया जाये? जहाँ हम मन ही मन सुरक्षाकारिणी पुलिस को भयानक सामाजिक संगठन मान बैठे हैं, यह भ्राँति कैसे समाप्त हो? इस संदर्भ में जागरण मंत्र के द्वारा सुरक्षा का विश्वास पैदा करने की जरूरत हैं अन्यथा सुरक्षा तथा सुरक्षा का हितोपदेश किताबों तथा प्रशिक्षण शिविरों तक ही सीमित रह जायेगा।7 उ0प्र0 का पुलिस विभाग भारत देश का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। इसके अन्तर्गत निम्न पद आते हैं–

1. पुलिस महानिदेशक
2. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
3. पुलिस महानिरीक्षक
4. अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक
5. उप पुलिस महानिरीक्षक
6. पुलिस अधीक्षक
7. उप पुलिस अधीक्षक
8. निरीक्षक

9. उपनिरीक्षक

10. हेड कांस्टेबिल

11. कान्सटेबिल

पुलिस महानिदेशक–

पुलिस महानिदेशक सम्पूर्ण राज्य पुलिस का अध्यक्ष होता है। वह सम्पूर्ण विभाग का निर्देशन एवं नियंत्रण करता है एवं पुलिस प्रशासन की व्यवस्था में सहयोग प्रदान करता है। पुलिस महानिदेशक का अतिविस्तृत कार्यक्षेत्र होता हैं। पुलिस महानिदेशक कार्य की प्रगति की निगरानी एवं विभाग से सम्बन्धित समस्त लेखा–जोखा की जानकारी रखता है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक–

उ0प्र0 में वर्तमान समय में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक का पद होता है जो अपने अधिकार क्षेत्र कानून एवं नियमों का पालन पुलिस महानिदेशक को सहयोग प्रदान करता है।

पुलिस महानिरीक्षक–

पुलिस विभाग में वर्तमान समय में लगभग 80 पुलिस महानिरीक्षक हैं जो अलग–अलग जोन के अपराध को देखते हैं।

पुलिस उपमहानिरीक्षक–

उ0प्र0 में वर्तमान समय में 136 पुलिस उपमहानिरीक्षक कार्यरत हैं। पुलिस उपमहानिरीक्षक कानून व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग प्रदान करते हैं जो भारतीय पुलिस सेवा में कानून व्यवस्था की दृष्टि

से बड़ा महत्वपूर्ण पद माना जाता है। इसके अतिरिक्त पुलिस उपमहानिरीक्षक जनपद में होने वाली सभी प्रकार की सामाजिक गतिविधियाँ एवं पूर्ण उत्तरदायित्व का सामंजस्य बनाये रखते हैं।

पुलिस मुख्यालय स्टाफ–

पुलिस कर्मियों का मुख्यालय इलाहाबाद सिविल लाइन में स्थित है क्योंकि उ0प्र0 की पहले राजधानी इलाहाबाद थी। इस समय लखनऊ है। पुलिस महानिरीक्षक का कैम्प कार्यालय लखनऊ में स्थित है किन्तु मुख्यालय कार्यालय इलाहाबाद है।

पुलिस प्रशासन के पहचान के अलग–अलग चिन्ह हैं जिससे पुलिस पद का पता चलता है। पुलिस पदों को चिन्हित करने के लिये पट्टियाँ (लाल, काली एवं नीली) एवं स्टार हैं जिसको की निम्न चित्र के द्वारा दर्शाया गया है।

पुलिस पदों को चिन्हित करने के लिये विभिन्न पट्टियां एवं स्टार सम्बन्धी चित्रों का विवरण

जरी वाली कैप

कॉलर पर काली पट्टी

I.G.P

बिना जरी वाली कैप

कॉलर पर काली पट्‌टी

D.I.G

कॉलर पर काली पट्‌टी

S.P.

A.S.P.

D.S.P./
C.S.P.

T.I./
C.I.

S. I.
M.P.S.
लाल, नीली पट्टी
A.S.I.
M.P.S.
लाल, नीली पट्टी
H.C.
M.P.S.
Canstable
M.P.P.
नम्बर
बाहों पर काली व लाल पट्टी
सीने पर नम्बर
Kotwal
नीली बर्दी

केन्द्रीय पुलिस संगठन केन्द्र सरकार के गृह विभाग के अध
ीन रहती हैं। गृह विभाग पुलिस के बारे में ऐसी नीति निर्धारित करती हैं जिसका सम्बन्ध समस्त भारत वर्ष से है तथा राज्य से महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करता है। केन्द्रीय पुलिस संगठन को निम्न तालिका के द्वारा दर्शाया जा रहा है।

तालिका नं0– 4.2

केन्द्रीय पुलिस संगठन सम्बन्धी तालिका

क्रं.	बल	बल
1.	सशस्त्र बल	असशस्त्र बल
2.	सीमा सुरक्षा बल	केन्द्रीय गुप्तचर विभाग
3.	इण्डो तिब्बत सीमा पुलिस	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
4.	केन्द्रीय रक्षित पुलिस	केन्द्रीय विधि विज्ञान संज्ञान
5.	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थान
6.	सुरक्षा बल	पुलिस अनुसंधान एवं विकास संस्थान अनुसंधान एवं विश्लेषण प्रभाग

केन्द्रीय पुलिस संगठन को प्रशासन करने का तरीका अन्य पुलिस विभांगों की अपेक्षा सर्वोत्तम, उत्कृष्ट एवं उत्साही माना जाता है। इनके शासन पद्धति में पारदर्शिता स्पष्ट रूप से झलकती है। इसका मुख्य कारण है कि आज जनमानष के सम्पर्क में नहीं रहती है।

पुलिस महानिदेशक के पर्यवेक्षक में पुलिस मुख्यालय कार्य करता है। जिसके अन्तर्गत पुलिस महानिदेशक कई प्रकार के परिवर्तन की भूमिका निभाता है। उसके अधीन पुलिस उपमहानिदेशक कार्मिक पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपअधीक्षक कार्मिक नियुक्त होते हैं।

सामाजिक स्तर पर परिवर्तन लाने के लिये पुलिस उपमहानिदेशक की मुख्य भूमिका होती है जिसको समग्र रूप से देखने पर विविध पक्ष प्रकट होते हैं। मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक पक्षों में जो परिवर्तन होते हैं उनसे सभी मनुष्य जुड़े हुये होते हैं और उन परिवर्तनों से प्रभावित हुये बिना रह नहीं सकते। आज के भारतीय समाज में जातीयता, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता, ऊँच–नीच, अन्याय, निर्बल वर्ग के लोगों का उत्पीड़न, शोषण, भ्रष्टाचार, दुराचार, अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता, अर्थव्यवस्था, रचनात्मक कार्यों में अरुचि तथा राष्ट्रनिर्माण के कार्यों के प्रति समर्पण की भावना का अभाव सर्वत्र व्याप्त है। नागरिकों, खासकर भावी पीढ़ी के स्वास्थ्य एवं शिक्षा, हमारी राष्ट्रीय चिन्ता के विषय नहीं हैं। वे व्यापार के माध्यम से बने हुये हैं। अस्वस्थ्य एवं अशिक्षित नागरिक कैसे राष्ट्र को खुशहाल, प्रसन्न एवं शक्तिशाली बना सकते हैं, यह एक विचारणीय बिन्दु है। राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के निमित्त पिछले कई दशकों से अरबों रुपये आर्थिक उन्नयन की विभिन्न योजनाओं में लगाये गये इन प्रयासों से समाज कितना लाभान्वित हुआ, यह एक चर्चा का विषय हो सकता है, किन्तु आर्थिक अपराधों का उबाल सा आ गया है।

"सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुखभाग्भवेत।"

जैसे आदर्शों से हम हट गये और दिन–प्रतिदिन की हमारी जीवन शैली में नैतिकता एवं अनैतिकता के प्रश्न चिन्तन की परिधि से बाहर हो गये हैं। निश्चितरूपेण यह जीवन दर्शन भारतीय समाज की समृद्धि एवं सौष्ठव के संदर्भ में घोर निराशा का संकेत देता है।[8]

समाज में व्यवस्था व संगठन बनाये रखने के लिये पुलिस प्रशासन का नियंत्रण बहुत जरूरी है। मनुष्य में पाश्विक एवं मानवीय दोनों तरह की प्रवृत्तियां पायी जाती हैं। यदि पाश्विक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण नहीं किया जाये तो जरूरतें पूरी करने के लिये संग्राम हो सकता है परन्तु नियंत्रण के कारण व्यक्ति परस्पर संयोग से अपने उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं जिसके लिये पुलिस विभाग के विभिन्न अधिकारियों की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

चूँकि सामाजिक नियंत्रण व्यक्ति की पाश्विक प्रवृत्तियों को दबाकर उसे सामाजिक नियमों के अनुसार आचरण करने के लिये बाध्य करते हैं। अतः समाज में शान्ति, व्यवस्था व संगठन बना रहता है। जब सभी व्यक्ति नियमों के अनुसार कार्य करते हैं तो उनके व्यवहारों में एकरूपता आती है। अनुभवों और आवश्यकताओं के आधार पर निर्मित होने के कारण परम्परायें समाज के लिये उपयोगी होती हैं। सामाजिक विरासत का हिस्सा होने और समूह कल्याण की भावना जुड़ी होने से प्रथा का पालन करना व्यक्ति लिये अनिवार्य हो जाता है। इसका उल्लंघन करने

पर कठोर सामाजिक दण्ड की व्यवस्था भी होती है। इसके विपरीत आचरण को समाज में अनैतिक माना जाता है। सामाजिक वहिष्कार तक कर दिया जाता है। प्रथाओं व परम्पराओं का प्रभाव व्यक्ति पर कानून से भी अधिक पड़ता है।[9]

पुलिस समाज में मानव के सम्पूर्ण इतिहास में नियंत्रणों का सशक्त माध्यम रहा है। अलौकिक शक्ति के भय से मनुष्य कभी भी समाज विरोधी कार्य करने में डरता है। अलौकिक शक्ति इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में दण्ड दे सकती है। इस धारणा से मनुष्य के अनैतिक व असामाजिक आचरण, दुराचार, हिंसा आदि पर रोक लगी रही है। पुलिस भी एक सामाजिक नियंत्रण व अपराध को रोकने का एक माध्यम है। अधुनिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पाश्विक प्रवृत्तियों को रोका जाता है।

The police is an important government department engaged in maintaining order in society and in controlling crime and interactions of law. It is generally conceded that they perform a variety of functions and touch upon the life of the individual in society in a number of ways. The study therefore aimed at eliciting the views of the people as client or consumers of police service on the need and directions of reforms in the police.[10]

पुलिस विभाग से सम्बन्धित अन्य विभाग

अपराध अनुसंधान विभाग

स्वतंत्रता के पूर्व अपराध अनुसंधान विभाग के दो कार्य थे। प्रथम सूचना एकत्रित करना जो विशेष शाखा कहलाता था एवं दूसरा विशिष्ट अपराधों से सम्बन्धित था जिसे अपराध अनुसंधान विभाग कहा जाता था। 1910 में अपराध अनुसंधान मैनुअल प्रकाशित हुआ। 1922 में अपराध अनुसंधान विभाग को पुलिस उपमहानिरीक्षक के अधीन कर दिया गया। विभाजन के पश्चात् इसका नाम अपराध अनुसंधान विभाग पड़ा।[11]

वर्तमान समय में अपराध अनुसंधान का कार्य पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षित होता है। पुलिस महानिरीक्षक की सहायता के लिये पुलिस उपमहानिरीक्षक नियुक्त किये जाते हैं। अपराध अनुसंधान विभाग को इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, बरेली, झाँसी, जालौन, मेरठ एवं आगरा खण्डों में विभाजित किया है। प्रत्येक खण्ड पर कार्यों का परीक्षण पर्यवेक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है। प्रत्येक खण्ड पर कार्यों का परीक्षण पर्यवेक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है। सम्पूर्ण उ0प्र0 में अपराध शाखाओं को स्थापित किया गया है। अपराध शाखा के निरीक्षक को वही अधिकार प्राप्त हैं जो एक थानाध्यक्ष को दण्ड प्रक्रिया संहिता में उपलब्ध है।[12]

अभिसूचना विभाग

1888 में विशेष शाखा के नाम से यूनाइटेड प्राविन्स पुलिस अभिसूचना की व्यवस्था की गयी, जिसका प्रधान सहायक पुलिस

महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया जो पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी थे।[13]

मुर्दे कभी नहीं बोलते। अगर बोलते हैं तो केवल दादी–नानी की कहानियों और कपोल कल्पनाओं पर आधारित सस्पेंस फिल्मों में। लेकिन कल्पना की हवाई उड़ान नहीं बल्कि विज्ञान की एक नवीनतम उपलब्धि का चमत्कार है जिसका नाम है, डी0एन0ए0 फिंगर प्रिंटिंग। अंगुली चिन्ह प्राप्त करने की तकनीकि की भाँति डी0एन0ए0 अंगुलि चिन्ह भी बीसवीं सदी में विज्ञान जगत की एक क्रांतिकारी तकनीकि है। व्यक्ति की शिनाख्त में अंगुली चिन्ह के समान पुष्टिकारी होने की वजह से इस तकनीक को ''डी0एन0ए0 फिंगर प्रिंटिंग'' भी कहते हैं। इस तकनीक ने अपराध विज्ञान की दुनिया में क्रान्ति ला दी हैं। इसकी मदद से **राजीवगाँधी हत्याकाण्ड, वेअंतसिंह** हत्याकाण्ड से लेकर कुख्यात तंदूर कांड सहित हत्या, अपराध, बलात्कार और पैतृकता आदि के सैकड़ों मामले सुलझाये जा चुके हैं।[14]

प्रोफेसर ***जेफरी*** ने 1984 में लिसटर इंस्टीट्यूट इंग्लैण्ड में कार्य करते हुये डी0एन0ए0 प्रोफाइलिंग अथवा डी0एन0ए0 फिंगर विधि की ख़ोज की थी। डी0एन0ए0 फिंगर प्रिंटिंग तकनीक इस बुनियादी सिद्धान्त पर काम करती है कि विश्व का हर व्यक्ति आण्विक स्तर पर एक दूसरे से अलग होता है और उसके डी0एन0ए0 के आधार पर उसकी पहचान हो सकती है। जुड़वा बच्चों को छोड़कर दुनिया के किसी भी व्यक्ति की डी0एन0ए0 श्रृंखला दूसरे व्यक्ति के समान नहीं हो सकती। डी0एन0ए0

फिंगर प्रिंट हेतु वीर्य या रक्त की एक बूँद पर्याप्त होती। वीर्य एवं रक्त के अतिरिक्त लार के द्वारा भी सक्षमतापूर्वक डी0एन0ए0 फिंगर प्रिंटिंग की जा सकती है।

अर्थ-विषयक अभिसूचना एवं अनुसंधान संगठन, अपराध अनुसंधान विभाग

1970 में उ0प्र0 अपराध अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत अर्थ विषयक अभिसूचना एवं अनुसंधान संगठन की स्थापना की गयी। यह संगठन वन विभाग, परिवहन विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, विक्री कर विभाग एवं विभिन्न अर्द्ध सरकारी विभागों की धोखाधड़ी के मामले इस विभाग के अन्तर्गत आते हैं। यह विभाग भ्रष्टाचार को रोकने एवं नियंत्रित करने के लिये सार्थक हैं।

रेडियो शाखा

उ0प्र0 पुलिस की संचार व्यवस्था का कार्य उ0प्र0 पुलिस रेडियो शाखा द्वारा किया जाता है। यह विभाग पुलिस विभाग की विभिन्न गुप्त सूचनाओं को एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानान्तरित करता है। वर्तमान समय में पूरे उ0प्र0 में 1428 रेडियो स्टेशन हैं जो पुलिस विभाग के लिये बड़े उपयोगी एवं सार्थक हैं।

पुलिस कम्प्यूटर सेवा

इस सेवा के द्वारा जनता एवं पुलिस के बीच सीधे सम्बन्ध ा स्थापित किये जा सकते हैं। यह विभाग आज उ0प्र0 के सभी जनपदों के पुलिस मुख्यालयों, कोतवाली एवं थानों में पुलिस व्यवस्था से जुड़े हुये

हैं। आज विभिन्न अपराधिक मामलों को भी कम्प्यूटर द्वारा एक जनपद से दूसरे जनपदों में आपस में जोड़ा गया है। झाँसी मण्डल के सभी जनपद आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं (ललितपुर, जालौन, बाँदा, हमीरपुर, महोबा एवं झाँसी)।

मोटर वाहन सेवा

मोटर वाहन सेवा के अन्तर्गत पुलिस विभाग की समस्त गाड़ियों की देखभाल, मरम्मत एवं सर्विस की जाती है। इसका कार्य विभिन्न पुलिस मुख्यालयों में होता है। उ0प्र0 के सीतापुर जनपद में सम्पूर्ण उ0प्र0 का मोटर वाहन सेवा उपलब्ध है। मोटर वाहन सेवा का सम्बन्ध आम नागरिकों से नहीं होता बल्कि पुलिस कर्मचारियों से होता है जिसे निम्न तालिका के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है :–

तालिका नं0– 4.3

विगत पाँच वर्षों में क्रय किये गये वाहनों का विवरण सम्बन्धी तालिका

क्रमांक	वर्ष	वाहन संख्या
1.	1999 – 2000	694
2.	2000 – 2001	424
3.	2001 – 2002	383
4.	2002 – 2003	572
5.	2003 – 2004	768
6.	2004 – 2005	770
7.	2005 – 2006	780

पुलिस शोध, नीति नियोजन, रूल्स एवं मेनुअल

वर्ष 1983 में पुलिस विभाग की इस शाखा का सृजन किया गया और इसका प्रभार पुलिस महानिरीक्षक को दिया गया। इस शाखा का मुख्य कार्य विभागीय नियमों में वर्तमान स्थिति में परिवर्तन किये जाने का उत्तरदायित्व इस शाखा को प्रदान किया जाता है।

विशेष जाँच प्रकोष्ठ

समाज के उपेक्षित अनुसूचित जाति एवं कमजोर वर्गों के उत्पीड़न की बढ़ती हुयी शिकायतों से चिंतित होकर सरकार ने सातवीं दशक के दौरान पुलिस महानिरीक्षक उ0प्र0 के कार्यालय में एक विशेष कार्य अधिकारी की नियुक्ति की गयी है जो प्रमुख रूप से अनुसूचित जाति उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायतों की जाँच करता है। वर्तमान में यह प्रकोष्ठ लखनऊ के जवाहर भवन में स्थित है एवं इसका प्रभारी पुलिस महानिदेशक है। जनपद जालौन में दलित एवं गरीब वर्ग के शोषण के सम्बन्धों में एक प्रकोष्ठ खोल दिया है।

घुड़सवार पुलिस

घुड़सवार पुलिस रोड पैट्रोलिंग में अपराधों को नियंत्रण करने में बड़ी उपयोगी एवं सक्रिय है। बरेली घुड़सवार पुलिस का प्रशिक्षण केन्द्र है। इसका उपयोग बलवा, साम्प्रदायिक दंगे एवं अग्निशमन घटनाओं को नियंत्रित करने के लिये किया जाता है।

एक विकासशील समाज की जनता का सोचने का तरीका बदलता है, उसकी सजगता बढ़त है। एक कल्याणकारी देश होने के नाते

समाजकल्याण की योजनाओं का भी विकास और विस्तार हुआ है। जनसंख्या भी बढ़ी है और समस्यायें भी उतनी ही तेजी से बढ़ी हैं। मापदण्ड व नैतिकमूल्य बदले हैं। भौतिक साधनों के नये–नये अविष्कारों से बढ़ा है भौतिकवाद और भौतिकवाद तो बढ़ता गया पर नहीं बदली रुढ़िवादिता, कुप्रथायें और अंधविश्वास। इससे अपराधों का स्तर और भी ऊँचा हो गया।[15]

विकास के दौर में नियंत्रण के अन्य साधन परिवार, प्रथायें, परम्परायें, रीतिरिवाज तथा धर्म आदि शिथिल हो गये हैं। अब पुलिस की आवश्यकता बढ़ गयी है। ऐसे में पुलिस के बिना समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा।

दरअसल पुलिस का गठन अपराध निरोधक सामाजिक संस्था के रूप में किया गया है। वैसे तो समाज सुधार का दायित्व परिवार से लेकर शिक्षण संस्थाओं तक होता है। यदि यह संस्थायें अपने कर्तव्यों का पालन सफलतापूर्वक करें तो पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़े परन्तु इन संस्थाओं की अकुशलता का बोझ एवं दुष्परिणाम पुलिस को ही भुगतना पड़ता है।

पुलिस इन संस्थाओं को दायित्वों के सफल निर्वाह के लिये प्रेरणा दे और दबाव भी डाले ताकि पुलिस की भूमिका सफल हो और समाज भी अपराधियों से बच सके। आज पुलिस को समाज सुधारक और कल्याणकारी संस्था के रूप में विकसित करना होगा।[16]

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ0 एस0 अखिलेश– "पुलिस और समाज", पृष्ठ सं0 117 राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटिड, नई दिल्ली।

2. अनुवाद मुनमुन सरकार तसलीमा नसरीन "लज्जा", पृष्ठ नं0 33 वाणी प्रकाशन नई दिल्ली।

3. महाजन एण्ड महाजन– "अपराध शास्त्र", पृष्ठ सं0 296 विवेक प्रकाशन जवाहरनगर, नई दिल्ली।

4. डॉ0 एस0 अखिलेश– "पुलिस और समाज", पृ0 सं0 120

5. "As a state of disequilibrium and a lack of social solidarity or consent among the members of a society."

6. जहीर एण्ड जगदेव गुप्ता दि आर्गनाइजेशन ऑफ दि गवर्न्मेन्ट ऑफ उ0प्र0 1970, एस0 चन्द्र कम्पनी रामनगर, नई दिल्ली–55, पृ0सं0 14

7. रमेश चन्द्र दीक्षित– "सुरक्षा संस्कृति", प्रकाशक सुरक्षा संस्कृति संस्थान साहित्य विहार, बिजनौर (उ0प्र0), पृ0सं0 16

8. चमनलाल प्रधोत– "सामाजिक व्यवस्था में पुलिस की भूमिका", पृ0सं0 33 वि0विधा0 प्रकाशन वनारस।

9. डॉ0 मीनाक्षी स्वामी– "पुलिस और समाज", पृष्ठ सं0 17 प्रकाशक किताब घर, गाँधी नगर, नई दिल्ली।

10. K. Alezander Police Retormsin India an Analytical STudy Pag. No. 186 discovery publishing house Deayagang, New Delhi..

11. एम0 जहीर एण्ड जगदेव गुप्ता, दि ऑर्गनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उ0प्र0 1970, पृ0 148

12. त्रिपाठी त्रिपुरेश – "आधुनिक भारत में पुलिस की भूमिका", पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रथम मुरादाबाद, मुद्रक मार्डन प्रेस लाजपत नगर, मुरादाबाद।

13. यू0पी0 इन्फारमेशन एण्ड पब्लिक रिलेकशन डिपार्टमेंट लखनऊ, पृष्ठ 268–269

14. डॉ0 आर0 टण्डन– "अपराध पुलिस विज्ञान एवं न्यायिक विज्ञान", पृ0 सं0 179, प्रकाशक साहित्य सेवा सदन सागर।

15. डॉ0 मीनाक्षी स्वामी– "पुलिस और समाज", पृष्ठ सं0 13, प्रकाशक प्रताप घर नई दिल्ली।

16. वही, पेज नं0 16

पंचम अध्याय

पुलिसकर्मियों की भूमिकायें

पुलिस कर्मियों की भूमिकायें
(ऐतिहासिक पृष्ठभूमि)

भारत में अपराध निवारण तथा समाज में शान्ति और व्यवस्था को बनाये रखने में पुलिस की अत्यन्त उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका होती है। जन साधारण के बीच कानून का पालन पुलिस नियन्त्रण में ही हो पाता है। यदि जनता में पुलिस का भय न हो तो निश्चित रूप से समाज अनियमित हो जायेगा। अतएव समाज में शान्ति और व्यवस्था की स्थापना करने में बंदीकरण और दण्ड का प्रवर्तन करने में पुलिस की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम भारतीय दृश्य को देखते हैं तो प्रारम्भिक हिन्दू—राज के समय की पुलिस के सम्बन्ध में हमें बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है। "मनु" द्वारा तत्कालीन समाज का जो वर्णन किया गया है उसके अनुसार उस समय राजा का यह कर्तव्य था कि वह कानून लागू करवायें और उसका उल्लंघन करने वाले को दंडित करें किन्तु इसका निर्वहन किस प्रकार किया जाता था इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। राजा का यह उत्तरदायित्व था कि वह अपने राज्य क्षेत्र में हिंसा को रोके और गलती करने वालों को दंडित करे। यद्यपि इस बात की जानकारी अवश्य मिलती है कि उस समय आंतरिक प्रशासन नागरिक अधिकारियों द्वारा चलाया जाता था। उस समय की दंड व्यवस्था बहुत कठोर थी, चोरी करने वालों के हाथ काट दिये जाते थे।

सर्वप्रथम "कौटिल्य" के अर्थशास्त्र में ***चंद्रगुप्त मौर्य*** के राज्य के समय के प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य

ने अपने राज्य में कानून व्यवस्था बनाने के लिये पुलिस संगठन बना रखा था। उसके समय यह राज्य यथार्थ में एक पुलिस राज्य था। ऐसा कहा जाता है। उसके राज्य में विभिन्न प्रकार का पुलिस संगठन था। चन्द्रगुप्त के पौत्र अशोक के समय में यह व्यवस्था और अधिक संगठित हो गयी थी। उसका वर्णन चीनी यात्री ***"ह्वेनसांग"*** ने किया है।

भारत में पुलिस संगठन का विकास ग्राम समाज की सामूहिक जिम्मेदारी पर आधारित किया गया। यह प्रणाली इंग्लैण्ड की प्रणाली से मिलती–जुलती है। हम इतिहास के पन्ने पलटें तो हम देखते हैं कि भारत में जनशांति बनाये रखने का उत्तरदायित्व जमींदार का होता था। इस व्यवस्था का पालन करने के लिये ग्राम प्रधान तथा उसकी सहायता के लिये प्रत्येक ग्राम में एक या अधिक चौकीदारों की नियुक्ति होती थी। वह अपने गाँव में आने वाले अजनवी और संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी ऊपर पहुँचाता था। ग्राम प्रधान होने के नाते यह उसका उत्तरदायित्व होता था कि वह प्रभावित व्यक्ति के घाटे को पूरा करे, वह यह घाटा पूरा करने के लिये अपनी हैसियत के उपरान्त गाँव के अन्य निवासियों से भी जुर्माने के रूप में वसूली कर उसका मूल्य चुकाता था।[1]

भारत में पुलिस प्रशासन 1861 एवं 1902 के पूर्व का प्रशासन, मध्ययुगीन पुलिस प्रशासन के समान था। अंग्रेज जिन्होंने पुलिस संगठन को एक अर्धसैनिक एजेंसी की भाँति गठित किया था, उनके विचार से यह एक कठोर संगठन होगा जो किसी प्रकार के सामाजिक परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगा।

डॉ0 पी0डी0 शर्मा के अनुसार– ''अंग्रेजी शासनकाल में गठित की गई पुलिस प्रणाली जो स्वतंत्रता के पश्चात भारत को विरासत में मिली एक निम्न कोटि की पुलिस प्रणाली थी।'' किसी भी समाज में बिना जन सहयोग एवं जनअभिमत के बिना पुलिस अपना कर्तव्य पालन पूर्ण रूप से नहीं कर सकती। पुलिस को जन सहयोग मिले इसकी कल्पना सर्वप्रथम सर ***रावर्ट पोल*** ने 1829 में की और लन्दन महानगर में पुलिस की रूपरेखा खींची।[2]

आर०के० मर्टन के संदर्भ में पुलिस कर्मियों की भूमिका

मर्टन का भूमिका सिद्धान्त

मर्टन के अनुसार– कि समाज में अनेक भूमिकायें होती हैं। प्रत्येक स्थिति के साथ एक नहीं बल्कि अनेक भूमिकायें होती हैं। ''भूमिका वृंद से मेरा तात्पर्य उस पूर्णता से है जो किसी व्यक्ति को कोई विशेष सामाजिक स्थिति ग्रहण से होती है।''

मर्टन के अनुसार– कि अगर एक बाबू अपने को अधिकारी बनाने की इच्छा रखता है तो उसे उसी स्तर पर पहलें से तैयार हरना होगा। अगर एक व्यक्ति उच्च पद पर प्रवेश करने से पहले अपने को तैयार नहीं करता है तो उसे पद ग्रहण करने पर अस्थिरता पैदा हो सकती है।

आर0के0 मर्टन ने अपनी पुस्तक ''सोशल थ्योरी एण्ड सोशल स्ट्रक्चर में लिखते हैं, कि भूमिका वृंद सामाजिक संरचना के उन पहलुओं जो व्यक्ति के समक्ष भूमिका निर्वाह में आते हैं, वे असीमित तत्वों वाले

होते हैं और जिनका कार्यकारी प्रभाव पड़ता है, एक समुचित अंश में सामाजिक विनियमन को संगठित करने के लिये व्यक्ति को समय–समय पर उसकी भूमिका वृंद को संघर्षों के प्रभाव से उबारता रहता है।''

इसी प्रकार से ***त्रिनाथ मिश्र जी*** अपनी पुस्तक ''पुलिस युक्ति सिद्धान्त एवं व्यवहार'' के अनुसार– कि किसी अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही करने वाले पुलिसकर्मी को निम्न बातों का ज्ञान होना चाहिये।

''प्रत्येक पुलिसकर्मी को कार्यवाही करने से पूर्व यह ज्ञान आवश्यक है कि कार्यवाही किस प्रकार की जायेगी और कार्यवाही की पूरी कार्यप्रणाली में उसका क्या स्थान है? हर पुलिसकर्मी को यह महसूस हो कि सम्पूर्ण कार्यवाही का वह बहुत जरूरी हिस्सा है और उसके बिना कार्यवाही सफल नहीं हो सकती और उसकी कार्य निपुणता पर ही कार्यवाही की सफलता निर्भर करती है।''[3]

बदलते सामाजिक परिवेश में पुलिस की भूमिका बड़ी जटिल हो गयी है। समस्याओं से जनित भय और आतंक के वातावरण से निपटने और शान्ति व्यवस्था कायम रखने में पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण है। आज का पुलिस अधिकारी, कर्मचारी जब तक सामाजिक वातावरण का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं रखेगा तब तक समस्याओं को सुलझाने में सफल नहीं हो सकता। आज के प्रत्येक पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी की अहम भूमिका देश की सार्वभौमिकता कायम रखना एवं आने वाली पीढ़ी को एक सुव्यवस्थित समाज प्रदान करना है।

पुलिस कर्मियों की प्रमुख भूमिकायें

1. अधिकार व कर्तव्यों का ज्ञान
2. अपराध अनुसंधान
3. सामाजिक सामंजस्य की स्थापना
4. संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेना
5. खाना तलाशी एवं पूछताँछ
6. अपराधियों को पकड़ना
7. रक्षा एवं पहरेदारी
8. अपराधियों पर अभियोग चलाना

1. अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान

प्रत्येक देश में नागरिकों को अपने अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी प्रदान करने में पुलिस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। समाज निरन्तर जटिल होता जा रहा है। इस जटिलता के कारण समाज में शान्ति और व्यवस्था की स्थापना करना अत्यन्त ही कठिन कार्य है। किसी भी देश में कानूनों का पालन, शान्ति और व्यवस्था की स्थापना तथा देश के नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्रदान करने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

2. अपराध–अनुसंधान

पुलिस का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है, अपराधों का अनुसंधान करना। इस क्षेत्र में पुलिस जिन महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पादित करती है वे निम्नवत् हैं–

(अ) रोजनामचे में अपराध–प्रतिवेदन को दर्ज करना।

(ब) अपराध स्थल की जाँच करना।

(स) अपराध सूत्रों को संकलित करना।

(द) अपराधियों के गेंगों में जाकर अपराध का पता लगाना।

(ड.) अपराध अनुसंधान की अन्य विधियों का पता लगाना।

3. **सामाजिक सामंजस्य की स्थापना**

पुलिस का काम समाज में सामंजस्य की स्थापना करना होता है। प्रत्येक वर्तमान दो संघर्षों को साथ–साथ लेकर चलता है– प्राचीन और नवीन। परम्परात्मक समाजों में समुदाय स्वयं ही पुलिस के कार्य का सम्पादन करता था। इसके साथ ही शासन व्यवस्था इतनी कठोर थी कि कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन नहीं करता था। पुलिस प्राचीन और नवीन विचारधारा में सामंजस्य स्थापित करके अपराध ों की संख्या में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है।

4. **संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेना**

अपराधों की रोकथाम में पुलिस का यह महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वह संदिग्ध व्यक्तियों से अपराध सूत्रों की जानकारी एकत्रित करे। इस कार्य को सम्पादित करने के लिये पुलिस को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किये गये हैं। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में पुलिस अधिकारियों को शंकित अपराधियों को पकड़ने के सम्बन्ध में विस्तृत अधिकार दिये गये। इन व्यक्तियों के द्वारा भी पुलिस को अपराध सूत्रों का पता चलता है।

5. **<u>खाना तलाशी और पूछतांछ</u>**

सशंकित व्यक्तियों को हिरासत में लेने के बाद अपराध–अनुसंधान के क्षेत्र में पुलिस निम्न दो कार्य सम्पादित करती है–

(अ) अपराधियों के जेबों, कपड़ों, मकान तथा अन्य सशंकित स्थानों की खानातलाशी लेना।

(ब) सशंकित व्यक्ति से अपराधी घटनाओं और अपराध सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

6. **<u>अपराधियों को पकड़ना</u>**

समाज में न्याय व्यवस्था की स्थापना के लिये यह आवश्यक है कि पुलिस अभियुक्त को बंदी बनाये। अपराधी को बन्दी बनाने के दो अर्थ हैं–

(अ) अपराधी की वैयक्तिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना।

(ब) भविष्य में अपराधों के सम्पादन को नियंत्रित करना।

7. **<u>रक्षा तथा पहरेदारी</u>**

रक्षा तथा पहरेदारी पुलिसकर्मियों की सामान्य भूमिका है। मुख्य भूमिका अपराधों पर नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखना है। पुलिस रक्षा एवं पहरेदारी, अपराध नियंत्रण, अपराधों की खोज और अपराधियों पर अभियोग चलाने के लिये जिम्मेदार है। पुलिस प्रशासन, शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रयास करती है। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध विभिन्न अभियोग चलाती है। भारतीय दण्ड संहिता के अनुच्छेद 151 में पुलिस को अपराधियों को गिरफ्तार करने का

अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को अपराध पर नियंत्रण बनाये रखने हेतु असीमित अधिकार दिये गये हैं।

वर्तमान में पुलिस सामाजिक एवं अपराधिक नियंत्रण का सशक्त माध्यम है। ***डॉ0 मीनाक्षी स्वामी*** के अनुसार निम्न भूमिका है–

कड़कड़ाती सर्दी में ठिठुरता, तेज वर्षा, आँधी–तूफान, रात का सन्नाटा, सब कुछ झेलता, भीगता, काँपता, तेज धूप और लू के थपेड़े खाता एक पुलिस कर्मी चौबीस घण्टे मुस्तैदी से अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है। जब विशेष त्यौहारों पर सब लोग अपने घर–परिवार में उत्सव मना रहे होते हैं, वह अपनी ड्यूटी दे रहा होता है।

दंगों के समय जब सभी व्यक्ति अपने घर या अन्य किसी स्थान पर सुरक्षित होने की कोशिश में रहते हैं, पुलिसकर्मी अपनी जान की बाजी लगाये जनता की सुरक्षा में तैनात रहता है। आतंकवादियों, चोर, डाकू, असामाजिक–साम्प्रदायिक तत्वों, क्रुद्ध भीड़ पर नियंत्रण के समय पुलिसकर्मी अपनी भूख–प्यास, नींद–आराम, घर–परिवार सबकी चिन्ता भूलकर मुस्तैदी से कर्तव्यपालन में जुटा रहता है।[4]

<u>सामाजिक विकास, समस्यायें और पुलिस की भूमिका</u>

आजादी के बाद देश की सामाजिक स्थिति में तेजी से बदलाव आया है। उद्योगों और नगरों के विकास से समाज की सभी संस्थायें प्रभावित हुयी हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद भी देश के सामाजिक जीवन पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ता ही गया। धर्म, संयुक्त परिवार, जांति प्रथा, परम्परा आदि के प्रभाव व दबाव में कमी आने से जनसामान्य के नैतिक मूल्य व परम्परायें भी बदल गयीं।

हमारे विकासशील समाज की कई धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक समस्यायें ऐसी हैं जिनका हल तो सरकार के पास है, परन्तु जब इस तरह के मामलों पर स्थिति उग्र हो जाती है तो नियंत्रण का दायित्व पुलिस पर आ जाता है। पुलिस के पास इस समस्या को जड़ से हल करने का अधिकार नहीं होता। वह अपने तरीके से ही उग्रता को नियंत्रित करती है।

पुलिस को उसकी परिवर्तित भूमिका व निर्वाह के तरीकों की जानकारी देने की जिम्मेदारी बुद्धिजीवी वर्ग और समाज–सुधारकों की है। दरअसल पुलिस को न तो जनता की शासक के रूप में कार्य करना है और न ही सेवक के रूप में वरन् जनता की मित्र बनकर कार्य करने से ही उसे सफलता मिल सकती है। उसका नियंत्रण जनता पर जरूरी है परन्तु नियंत्रण का तरीका सहयोगात्मक और स्नेहपूर्ण हो। जनता की आस्था पुलिस और कानून में इतनी हो कि वह अपने आप ही अनुशासन में रहे।[5]

प्रधान आरक्षक–पुलिस अधिकारी के रूप में अधिकार एवं भूमिका

पुलिस अधकारी के रूप में प्रधान आरक्षक की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। प्रधान आरक्षक के अधिकारों का वर्णन उत्तर प्रदेश पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा में किया गया है। दण्डप्रक्रिया संहिता की धारा 2 (1) में यह उपबन्धित किया गया है कि जब थाना प्रभारी पुलिस थाने में उपस्थित न हो अथवा अस्वस्थता या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तब थाने में उपस्थित

आरक्षक पद से ऊपर का कोई अन्य पुलिस अधिकारी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। यह व्यवस्था इसलिये की गई है कि थाना प्रभारी की अनुपस्थिति में पुलिस थाने का कार्य सुचारु ढंग से संचालित होता रहे। ऐसी परिस्थिति में थाने में उपस्थित प्रधान आरक्षक के भी थाना प्रभारी की भूमिका का निर्वहन करना पड़ सकता है। प्रतयेक प्रधान आरक्षक को एक पुलिस अधिकारी के रूप में इस धारा के प्रावधानों के अनुरूप निम्न कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिये।

1. सक्षम अधिकारियों के सभी आदेशों का पालन करना।
2. अपने क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था हेतु निगरानी रखना।
3. अपराधों की जाँच करना और प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु तैयार करना।
4. अपराधियों का पता लगाना और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना।

इस तरह सभी पुलिस अधिकारियों का प्राथमिक दायित्व अपराध नियंत्रण है। उन्हें अपने वरिष्ठ एवं समक्ष अधिकारियों के वैध आदेशों का पालन करते हुये लोकशान्ति को प्रभावित करने वाली प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखनी चाहिये। पुलिस अधिकारी को यह अधिकार है कि वह लोकशान्ति, अपराधों की रोकथाम और लोकन्याय के लिये बिना वारण्ट के मदिरालयों, जुआघरों या ऐसे ही किसी अनैतिक लोगों के समागम स्थल में प्रवेश कर सकता है। लोकशान्ति हेतु वह दोषी व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत बन्दी बना सकता है। ऐसे व्यक्तियों को पुलिस अभिरक्षा में रखने का अधिकार प्रत्येक पुलिस अधिकारी को पुलिस अधिनियम की धारा 23 प्रदान करती है।[6]

पुलिस का व्यवहार

पुलिस की छवि खराब होने का मुख्य कारण पुलिस कर्मियों द्वारा अभद्र व्यवहार, गालियाँ देना व अपशब्दों का प्रयोग करना है। कभी–कभी पुलिसकर्मी अपराधी के साथ क्रूरतम व पशुवत का व्यवहार करते हैं जिससे आम जन–साधारण पर भी पुलिस के व्यवहार व आचरण का प्रभाव पड़ता है।

पुलिस को अपराधी के साथ बातचीत करते समय उसे मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का सहारा लेना चाहिये जिससे अपराधी भी पुलिसकर्मी के साथ एक शरीफ नागरिक की तरह बातचीत कर सके। पुलिस के कार्य में भ्रष्टाचार एवं अनैतिकता के अवसर अधिक दिखलायी पड़ते हैं जिससे पुलिस की छवि को बदनाम किया जाता है। बहुत से लोग समाज में पुलिस विरोधी माहौल बनाते हैं, इससे कई पक्ष असंतुष्ट होकर पुलिस को निष्क्रिय एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हैं। पुलिस की सेवायें व व्यवहार कभी–कभी असंतोषजनक और असम्मानीय बिन्दुओं पर केन्द्रीभूत हो जाता है जिससे उनके व्यवहार व कार्यकुशलता में कई प्रकार की शंकायें उत्पन्न हो जाती हैं जिससे पुलिस की छवि धूमिल हो जाती है।

फरियादी व पुलिस का व्यवहार

आम जनता को पुलिस से यह शिकायत होती है कि उसकी फरियादों व परेशानियाँ को पुलिस ने गम्भीरता से नहीं सुना। इस प्रकार के वक्तव्य बहुत से लोगों के द्वारा सुने जाते हैं परन्तु कई बार स्टाफ की कमी होने के कारण उस घटना पर गम्भीरता से विचार नहीं किया

जाता है। किसी भी घटना को गम्भीरता से न लेने या रिपोर्ट न लिखने की दशा में जनता के लिये उच्च अधिकारियों से शिकायत की सुविधाजनक व सरल व्यवस्था हो ताकि पुलिस की इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके।

पुलिसकर्मी को अपने कार्यक्षेत्र में और कार्यप्रणाली में निष्ठावान होना चाहिये। फरयादी को यह अहसास कराना कि पुलिस अपने कर्तव्य व फर्ज के प्रति कितनी तल्लीन व त्यागमयी है।

आज पुलिस की कार्यप्रणाली रिश्वत–खोरी की समस्या से ग्रसित है। जनता अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिये पहले पुलिसकर्मी को रिश्वत देती है फिर उस पर आरोप लगाती है जबकि गुनहगार दोनों हैं। पुलिस कर्मचारी की आय व सुविधाओं में वृद्धि और दृढ़ चरित्र का प्रशिक्षण ही इस समस्या का एकमात्र हल है। साथ ही जनता को भी इस कमजोरी से मुक्त होना जरूरी है।

पुलिस के प्रति आम जनमानस विश्वास खो चुका है जो अपराधी अपराधों से मुंह मोड़ चुके हैं या पेशेवर अपराधी नहीं हैं उन्हें अपराधी की दुष्प्रेरणा मिलती है। पुलिसकर्मियों को अपराधियों को गिरफ्तार करते समय उचित अनुशासित मापदण्ड अपनाना चाहिये। अपराधियों को पकड़ने के स्थान पर अपराधों की रोकथाम ही सफलता एवं योग्यता का मापदण्ड है।

<u>अपराधी का पुनर्वास व पुलिस की भूमिका</u>

आधुनिक विलासी व भौतिकवादी समाज में अपराध को एक रोग की तरह समझा जाता है, अपराधी के पुनर्वास में पुलिस एवं न्याय

की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पुलिस का कार्य केवल अपराध होने पर अपराधी को पकड़ना और दण्ड दिलवाना है, परन्तु अपराधों की रोकथाम के लिये पुलिस की जिम्मेदारी अपराधी के पुनर्वास की भी हो गयी है।

अपराधी सजा पूरी होने पर कहाँ जायेगा? क्या करेगा? उसके जीवन का स्तर कैसा होगा? उसकी जीविका के साधन क्या होंगे? उसकी गतिविधियाँ व कार्यप्रणाली कैसी होगी? पुलिस को इसकी जानकारी लेनी व निगरानी रखनी होगी। रोजगार दिलवाने में सरकारी संस्थाओं एवं समाज सेवी संस्थाओं की भी मुख्य भूमिका होती है। अपराधियों के साथ परिवार व समाज का दुर्व्यवहार न हो उनको हीनता की दृष्टि से न देखा जाये। उनको सतमार्गी व सतकर्मी बनाने का प्रयास करना चाहिये जिससे अपराधियों का पुनर्वास हो सके।

संयुक्त राज्य अमेरिका के मिचिगन प्रदेश के जज ***हाउट्स*** ने अपराधियों के साथ प्रेम का व्यवहार करने के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं और स्वयं सेवकों को प्रेरणा दी। प्रेम के मंत्र से अपराधी का सफल पुनर्वास करने में वहाँ बड़ी सफलता मिली है।

महिला अपराधी, अत्याचार की शिकार महिलायें और पुलिस

भारतीय समाज का ढाँचा इस तरह का है कि यहाँ महिला अपराधियों को पुनर्वास की समस्या अत्यन्त जटिल है। जेल की सजा काटकर आने वाली स्त्री को परिवार व समाज द्वारा स्वीकार बहुत ही कम किया जाता है। ऐसे में वह पुनः अपराध के लिये मजबूर होती है। यदि वह माता है तो उनकी संतान समाज में उपेक्षित एवं तिरस्कृत

दृष्टि से देखी जाती है और यदि वह अविवाहित है तो उसके भाई–वहिनों का भविष्य अंधकार में होने की सम्भावना बढ़ जाती है।

भारतीय समाज में अत्याचार की शिकार जैसे बलात्कार, जिस्म फरोशी का धंधा करने वाली महिलायें, कॉलगर्ल एवं वैश्यायें भी समाज के द्वारा उपेक्षित दृष्टि से देखी जाती हैं उनके ऊपर दुष्चरित्र के आरोप लगा दिये जाते हैं जिससे वो अपना आत्मविवेक एवं आत्मबल खोकर आत्महत्या की ओर प्रेरित हो जाती है।

समाज में ऐसे नारी संगठन बनाये जाये जिसमें निर्दोष महिलाओं को रखा जाये और उन्हें प्रशिक्षण व ज्ञान देकर उनकी मानसिकता एवं मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को बदला जाये।

<u>धार्मिक क्षेत्र के अपराध व पुलिस</u>

नये अविष्कारों, तकनीकि व विज्ञान प्रगति के साथ भौतिकवादिता में काफी विकास हुआ है। यही कारण है कि भारतीय समाज आज भी बहुत से अंधविश्वासों एवं रुढ़िवादी परम्पराओं में जकड़ा हुआ है। धार्मिक कुप्रथाओं से आज तक भारतीय समाज को मुक्ति नहीं मिल सकी। धर्म की आड़ में कई पाखण्डी दुष्कर्म करते हैं। भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देने से भी समाज में निकम्मापन एवं निष्क्रियता के भाव पैदा होते हैं।

<u>बाल अपराध व पुलिस</u>

न्यूमेयर के अनुसार– ''जब पिता रात में ड्यूटी देते हैं, माता दिन में या दोनों रात या दिन में ड्यूटी देते हैं तो बच्चे प्रायः

सड़कों पर ड्यूटी देते हुये मिलते हैं। आज नगरों की दशायें भी बच्चों के लिये अपराध का वातावरण तैयार करते हैं जैसे– सामाजिक भिन्नता, अलग–अलग उद्योग धंधे, प्रथायें परम्परायें, वेशभूषा आदि बच्चों को उचित व्यवहार के मापदण्ड चुनने में कठिनाई पैदा करते हैं और उनमें कई प्रकार के अन्तर्द्वन्द पैदा होते हैं। जैसे बच्चों का स्कूल से गायब होना, विभिन्न छविग्रहों में जाकर व्यस्क फिल्मों को देखते जिससे उनके चरित्र पर गलत असर पड़ता है और वे रचनात्मक कार्यों से दूर होते चले जाते हैं।

असल में कोई व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता बल्कि प्रतिकूल दशायें उसे बुरा बनाती हैं। पुलिस का कार्य है व्यक्ति को बुरा बनने से रोकने के लिये प्रतिकूल दशायें सुधारना।

पुलिस को निम्नवत् अधिकार दिये गये हैं–

1. शान्ति और कानून व्यवस्था बनाये रखना।
2. अपराधों एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियोग चलाना।
3. निगरानी का अधिकार।

भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 127 में वर्णित है कि किसी भी सभा या समिति को पुलिस स्टेशन अधिकारी बन्द करा सकता है जिससे जनसामान्य को व्यवधान होता है। यदि वह सभा या समिति उसके निर्णय का पालन नहीं करती है तो वह उस स्थान पर पुलिस बल का प्रयोग कर सकता है।[7]

भारतीय दण्ड संहिता के अनुच्छेद 151 में पुलिस को अपराधियों को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है। इसके

अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को अपराध पर नियंत्रण बनाये रखने हेतु असीमित अधिकार दिये गये हैं।[8]

वर्तमान में निगरानी व्यवस्था 1902 के भारतीय पुलिस आयोग के आधार पर है। ग्राम अपराध नोट बुक प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर लिखी जाती है जो अपराध की सूचना प्रदान करती है। किसी भी पुलिस संगठन की मुख्य भूमिका (कार्य) कानून व्यवस्था बनाये रखना है। तकनीकी दृष्टिकोण से कानून व्यवस्था बनाये रखने की विशेष जिम्मेदारी पुलिस की नहीं है। यह कानून के तहत जिलाधिकारी का कर्तव्य है। पुलिस विभाग में पुलिस बल की भर्ती, प्रशिक्षण और व्यवस्था स्वतः विभाग की होती है। पुलिसकर्मियों के प्रभावी और महत्वपूर्ण कार्यों का जिलाधिकारी जिम्मेदार होता है क्योंकि वह अपराधियों का अन्वेषण एवं जनपद में कानून व्यवस्था बनाये रखने का मुखिया होता है।

प्रशासन मुख्य रूप से कानून व्यवस्था के एक विस्तारपूर्ण उद्देश्य के तहत पाँच स्तरों को सम्मिलित किया जाता है जिसके अन्तर्गत कानून व्यवस्था में परिवर्तन होता है।[9]

पुलिस कर्मियों की भूमिकायें

सैद्धान्तिक रूप से जिलाधिकारी कानून व्यवस्था एवं अनुशासन के प्रति जिम्मेदार रहता है लेकिन इसका कार्यान्वयन पुलिस विभाग द्वारा किया जाता है। सामान्यतः जिलाधिकारी विषम एवं साम्प्रदायिक परिस्थितियों में पुलिस अधीक्षक के सहयोग से कार्य करता है। कभी–कभी जिलाधिकारी अपने सहयोग के लिंये पुलिस के विभिन्न अधिकारियों का

भी सहयोग लेता है, जो आकस्मिक घटनाओं के समय कानून को व्यवस्थित करते हैं।[10]

पुलिस जनपद में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु एक से अधिक संगठनों एवं साधनों का उपयोग करती है। प्रत्येक पुलिसकर्मी का यह दायित्व है कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा से करे ताकि आम जनमानस पूर्ण सुरक्षा का अनुभव कर सके। आज समाज में पुलिस के बारे में आम धारणा है कि पुलिस अपराधियों से मिली हुयी है, पुलिस वाले ही चोरी कराते हैं, पुलिस के लोग अपने नजदीकियों के भी सगे नहीं होते हैं, पुलिस की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही खतरनाक हैं। बिना पैसा दिये थाने में कोई काम नहीं होता, थाने दलालों के अड्डे हैं। पुलिस को मिले ये complements यह इशारा करते हैं कि पुलिस में भ्रष्टाचार व नैतिक मूल्यों में गिरावट है।[11]

समाज में शोषण की व्यवस्था एक प्रकार से पुलिस की नाकामियों को रेखांकित करती है। आज सामाजिक इतिहास के पन्नों में पुलिस की कार्यपद्धति शंकाओं एवं संदिग्धों से भरी हुई है। आज आम जनमानस का पुलिस पर से विश्वास उठ गया है।

पुलिस कर्मियों की भूमिका सम्बन्धी तालिका

तालिका नं0–5.1

संगठनात्मक उद्देश्य	भूमिका	क्रिया
अपराध नियंत्रण	अपराध निवारण	1. कानूनी तरीके से कार्यवाही करना। 2. कानूनी तरीकों द्वारा अपराधों का निवारण।

	3.	अपराधियों से पूछताँछ करना।
	4.	दस्तावेज तैयार करना।
	5.	आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों की पहचान करना।
	6.	अभियोग चलाने में विधि अधिकारी की सहायता करना।
गम्भीर अवस्था पर नियंत्रण और रोक	1.	समस्या के कारणों की व्याख्या करना और उन कारणों को हटाने की कोशिश करना।
	2.	सुरक्षा व्यवस्था के प्रकार एवं तरीकों की योजना तैयार करना।
	3.	सुख–शाँति बनाने हेतु समिति के नेता के पास जाकर समझौता का प्रस्ताव करना।
सामान्य सुरक्षा के कार्य	1.	खोये हुये बच्चों की खोज करना।
	2.	अप्राकृतिक मृत्यु की पूछताँछ।
	3.	विवादित सम्पत्ति की वापसी एवं सुरक्षा।
	4.	जनसामान्य स्थानों पर व्यवस्था बनाये रखना।

शैक्षिक कार्यक्रम	1.	किशोर अपराध नियंत्रण कार्यक्रम।
	2.	बच्चों के संगठन अथवा दूसरे साधनों के माध्यम से सम्पर्क करना जो युवातत्वों को व्यवस्थित करते हैं।
	3.	समिति के सहयोग से अपराध नियंत्रण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना।
सामाजिक कार्य	1.	शैक्षिक विकास की चेतावनी।
	2.	मनुष्य की आवश्यकताओं का नियोजन।
	3.	रक्षा के संगठन बनाना।
	4.	खोये हुये व्यक्तियों की सूचना देना।
	5.	मृत व्यक्तियों के शव का निपटारा करना।
यातायात नियंत्रण एवं यातायात की शिक्षा	1.	यातायात प्रशिक्षण का पुनर्निर्धारण करना।
	2.	यातायात के घनत्व का अंदाजा लगाकर उसके आवागमन की योजना तैयार करना।

	3.	यातायात नियंत्रण हेतु स्वैच्छिक संगठनों का गठन करना।
	4.	यातायात की आवश्यकताओं के अनुरूप ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देना।

पुलिसकर्मियों की भूमिका सम्बन्धी प्रस्तुत व्याख्या उनके कार्य की उत्तमता एवं संगठनात्मक उद्देश्य, सक्रियता, निर्देश एवं अनुदेश हमेशा कर्तव्यपालन में असफलता एवं सफलता की कसौटी पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं।

शोधार्थी ने अपने अध्ययन के अन्तर्गत पुलिस कर्मियों की भूमिका एवं कार्यक्षमता के अध्ययन हेतु जालौन जनपद एवं उरई मुख्यालय में कार्य सम्पन्न किया। पुलिस कर्मियों की भूमिका की व्याख्या अतिमहत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण एवं नियंत्रण के तत्व एक दूसरे पर आधारित है। ये सभी तत्व एक दूसरे के पहलू हैं। शोधार्थी ने उन तत्वों पर काफी ध्यान दिया जिन पर सामान्य तौर पर पुलिसकर्मी गुजरते हैं एवं यह भी जानने का प्रयास किया कि पुलिस कान्स्टेविल एवं पुलिस अधीक्षक के प्रति किस किस प्रकार के पूर्वाग्रह एवं प्रतिशोधात्मक तत्व कितने पुलिस कर्मियों के प्रति उपयोगी एवं अनुपयोगी हैं।[12]

पुलिस कार्य निष्पादन के दो पक्ष हैं, एक पक्ष वह है जो निरीक्षणों के दौरान अभिलेखों की जाँच पड़ताल से सम्बन्धित है और यह यथा निर्धारित जबावदेही का प्रत्यक्ष भाग है किन्तु अप्रत्यक्ष भाग

अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि निरीक्षण अधिकारी लोगों के साथ आपस में मिलकर ही जान सकते हैं। इस प्रकार लोगों से परस्पर मिलने जुलने से पुलिस के कार्य निष्पादन की वास्तविक मात्रा का वे मूल्यांकन कर सकेंगे। उस क्षेत्र के लोगों पर उसके प्रभाव और सुरक्षा की भावना को जान सकेंगे। इसलिये यह आवश्यक है कि अधिकारियों को ऐसे निरीक्षणों को केवल मात्र रोजमर्रा की ड्रिल नहीं बना देना चाहिये बल्कि जैसा उचित समझें परस्पर मिलने जुलने को इस भाँति व्यवहार में जायें कि वे जनता से अधिकाधिक मेल–जोल बढ़ाकर उस क्षेत्र में काम कर रहे अधिकारियों के बारे में लोगों के विचार जानने के लिये अधिकतम सम्भव सूचना प्राप्त कर सकें।[13]

पुलिस विभाग में महिला अधिकारी

पुलिस विभाग में महिलाओं का भी आरक्षण है जो पुलिस कांस्टेविल से आई0पी0एस0 अधिकारी तक कार्यरत हैं। शोधकर्ता ने पुलिसकर्मियों से महिला अधिकारी के प्रति उनका दृष्टिकोण जानने का प्रयास किया। पुलिस की छवि में महिला पुलिस अधिकारी की अलग छवि होती है। शोधकर्ता ने यह पूँछा क्या महिला पुलिस सफलतापूर्वक अपना कार्य करती है तब पुलिसकर्मियों ने निम्न उत्तर दिये हैं जिसे निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है–

तालिका नं0– 5.2

महिला अधिकारी द्वारा सफलतापूर्वक कार्य करने सम्बन्धी तालिका

क्र.सं.	अधिकारी	कां0	हेड	कां0उप	नि0/नि0	कुल
1.	हाँ	64	32	65	75	236
2.	नहीं	50	15	55	40	160
3.	कुछ नहीं जानते	04	08	09	13	34
4.	कोई उत्तर नहीं	16	08	09	04	37
	कुल	**134**	**63**	**138**	**132**	**467**

अन्वेषणकर्ता ने महिला पुलिस अधिकारियों के अधीन कार्य करने में पुलिसकर्मियों के विचार जानना चाहा कि क्या वे महिला पुलिस अधिकारी के अधीन कार्य करना चाहेंगे।

तालिका नं0– 5.3

महिला अधिकारी के अधीन कार्य करने में पुलिसकर्मियों के विचार

क्र0	उत्तरदाता	हाँ	नहीं	कुल
	जातिगत आधार			
1.	सामान्य वर्ग	75	70	145
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	45	50	95
3.	अनु0 जाति	35	20	55
4.	मुस्लिम	14	08	22

5.	सिख	05	–	05
6.	जैन	08	04	12
7.	बौद्ध	09	04	13
	कुल	**466**	**323**	**789**
	शैक्षिक आधार			
1.	विश्वविद्यालयी शिक्षा	85	45	130
2.	तकनीकी शिक्षा	70	40	110
3.	इण्टरमीडिएट	70	42	112
4.	हाईस्कूल	50	40	90
	कुल	**275**	**167**	**442**
	व्यावसायिक आधार			
1.	कांस्टेविल	524	86	610
2.	हेड कांस्टेविल	25	48	73
3.	उपनिरीक्षक	45	46	91
4.	सी0ओ0	35	12	47
5.	पुलिस अधीक्षक	23	09	32
	कुल	**652**	**201**	**853**

प्रस्तुत तालिका में तत्वों के आधार पर जो सामान्य दृष्टिकोण उत्तरदाता पर परिलक्षित होता है उसमें जातिगत, व्यवसायिक स्तर एवं शैक्षणिक आधार पर भिन्न–भिन्न प्रकार की धारणायें प्रकट होती हैं। महिला पुलिस अधिकारियों के साथ कई प्रकार का शोषण किया

जाता है तथा वे परिस्थितियों के अनुरूप अपना समायोजन करती हैं। महिला पुलिस अधिकारी को पुरुष पुलिस अधिकारी की अपेक्षा बहुत सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

कारण– शोधकर्ता ने उत्तरदाताओं से जानकारी ली कि अधिकतर महिलाकर्मी पुलिस अधिकारियों के अधीन कार्य करना पसन्द नहीं करती हैं जिसके कारण तालिका के द्वारा स्पष्ट किये जा रहे हैं।

तालिका सं0– 5.4

पुलिस अधिकारी के अधीन महिला कर्मी के कार्य न कर पाने सम्बन्धी तालिका

क्रं0	उत्तर	का0	हे0कां0	उपनि0	नि0	अधीक्षक	उपाधीक्षक	कुल
1.	महिला पुलिस शारीरिक समीमाओं में बंधी होती है जिससे पुलिस कार्य प्रभावित होता है।	63	18	31	12	04	03	129
2.	महिला अधि0 के अधीन होकर कार्य करना अपनी मान मर्यादा को खोना है।	71	22	09	35	02	06	158

3.	अपराधियों से महिला पुलिस अधिकारियों को अधिक सुरक्षित रहना पड़ता है	65	08	22	04	04	05	121
4.	महिला पुलिस अधिकारी अपना पूर्ण समय नहीं दे पाती है	32	18	06	22	14	21	116
5.	महिला पुलिस कर्मी टीम या टोली के लिये उपर्युक्त नहीं होती है।	18	09	11	24	13	17	02
	कुल आधार	249	75	82	97	37	52	526

महिला पुलिस को अधिकारी के अधीन कार्य करने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसका मुख्य कारण महिला पुलिस कर्मी सही तालमेल नहीं रख पाती एवं समय का अभाव रहता है। टोली में सच्चाई एवं त्याग के साथ कार्य नहीं कर सकती हैं। जितना परिश्रम पुरुष पुलिसकर्मी कर सकते हैं उतना महिला पुलिसकर्मी नहीं।

अपराध एवं अपराधी

इलियट – अपराधशास्त्र की परिभाषा अपराध और उसके उपचार के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में की जा सकती है।

सदरलैण्ड –अपराधशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो सामाजिक प्रमेय के संदर्भ में अपराध का अध्ययन करता है।

सेथना – अपराधशास्त्र अपराध के अर्थ एवं उसके सहसंचारी कारकों का अध्ययन है तथा अपराध के नाम पर चलने वाली वस्तु के कारणों एवं उपचारों का एक विश्लेषण है।

टैफ्ट – अपराधशास्त्र वह अध्ययन है जिसकी विषयवस्तु के अन्तर्गत अपराध का अर्थ और निरोध, अपराधियों और बाल अपराधियों के दण्ड और उपचार को सम्मिलित किया जा सकता है।13

अपराध का मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त

अपराध के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त तीन प्रमुख स्रोतों– मानसिक हीनता, मनोचिकित्सीय तथा मनोविश्लेषणीय अध्ययनों से उद्भूत हुये हैं। मानसिक हीनता अपराध का प्रमुख कारण है क्योंकि मंदबुद्धिता के कारण व्यक्ति न तो अपने व्यवहार के परिणामों का मूल्यांकन कर सकता है और न ही कानून के अर्थ को समझ सकता है। मनोचिकित्सकों का मत है कि प्रायः सभी अपराधी मनोरोगी होते हैं और जहाँ किसी मनोरोग का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं भी दिखे वहां भी अपराधिक व्यवहार में इसका पुट ढूँढ़ा जा सकता है। चिकित्सीय परीक्षणों द्वारा अपराधिक व्यवहार की व्याख्या स्पष्ट की जा सकती है। समस्त मनोविश्लेषणीय सिद्धान्त अपराध

के कारणत्व में कुछ प्रकार की अचेतन संवेगात्मक समस्याओं पर बल देते हैं। अपराध के मनोवैज्ञानिक तथा मनोचिकित्सीय सिद्धान्त जैवकीय स्पष्टीकरण के ज्यादा समीप दृष्टिगोचर होते हैं एवं दोनों ही अपराध के लिये व्यक्ति के अंदर कम या ज्यादा मात्रा में निहित कारकों या विकारों पर जोर देते हैं।[14]

अपराध के कारण

अपराध एक सार्वभौमिक सामाजिक समस्या है जो न केवल आज से है बल्कि प्राचीनकाल से ही होता आया है। कोई भी समाज अपराध से मुक्त नहीं है चाहे वह शहरी समाज हो अथवा ग्रामीण। अपराध के कई कारण हो सकते हैं जैसे– जातीयता, साम्प्रदायिकता, धार्मिक तनाव, धार्मिक उन्माद, बलवा, छेड़छाड़, हंगामा, अपहरण, बलात्कार, नशाखोरी, जमीनी विवाद एवं आपसी रंजिश आदि। शोधकर्ता ने जनपद जालौन में अध्ययन के अन्तर्गत चयनित पुलिसकर्मियों से अपराध के कारणों को ज्ञात करने का प्रयास किया जिसका विवरण निम्न तालिका में प्रेषित किया जा रहा है।

समाज में अपराध के कारण सम्बन्धी ग्राफ

तालिका सं0 5.5 का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण

तालिका सं0–5.5

समाज में अपराध के कारण सम्बन्धी तालिका

क्रं0	उत्तर	का0	हे0कां0	उपनि0	नि0	कुल
1.	जमीन जायदाद सम्बन्धी विवाद	66	35	78	35	214
2.	पुरानी रंजिश से सम्बन्धित शत्रुता	76	20	88	47	231
3.	व्यक्तिगत आकांक्षायें एवं गलत तरीके से भौतिकवादी सुख सुविधाओं को प्राप्त करना	90	28	86	43	247
4.	जनपद में संस्कार एवं शिक्षा का अभाव एवं शैक्षिक व्यवस्था का पिछड़ापन	118	49	104	86	357
5.	शिक्षित बेरोजगार	122	46	103	96	367
6.	युवाओं द्वारा अपराध को खेल समझकर आनंद लेना	88	39	86	63	276
	कुल	560	217	545	370	1692

सम्पूर्ण पुलिसकर्मियों का यह मानना है कि अपराध के कारण सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं मनोवैज्ञानिक पहलू है। इसलिये प्रत्येक पुलिसकर्मी को चाहिए कि व्यक्ति व समाज की मनोवैज्ञानिक कुण्ठा को दूर करने का प्रयास करे।

अपराध के प्रकार

जनपद जालौन में अपराध और अपराधी के बारे में विभिन्न प्रकार की अवधारणायें एवं सूचनायें अन्वेषणकर्ता को प्राप्त हुयी। जिसका विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है–

तालिका सं0– 5.6

पुलिसकर्मियों के अपने क्षेत्र में होने वाले अपराधों की स्वीकृति सम्बन्धी तालिका

क्रं.	उत्तरदाता	कां0	हैड कां0	उप नि0	नि0	कुल
1.	छेड़छाड़	50	33	18	09	110
2.	अपहरण	65	43	28	40	136
3.	बलात्कार	35	25	32	38	130
4.	जालसाजी	46	35	42	28	151
5.	कत्ल	69	47	44	26	186
	कुल आधार	265	183	164	141	753

पुलिसकर्मियों से अन्वेषणकर्ता ने बातचीत की एवं वार्तालाप करने के पश्चात यह बात सामने आई कि चोरी, डकैती, छेड़छाड़ एवं बलात्कार सम्बन्धी अपराध जनपद में अधिक है।

पांच वर्षों में अपराधों में वृद्धि हुई सम्बन्धी ग्राफ

<u>तालिका सं0 5.7 का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण</u>

अपराधी वर्ग क्रमशः भूमि सम्बन्धी विवाद, अपहरण, बलात्कार, चोरी आदि को स्वीकार करते हैं। वैसे तो अपराध ऋतु, मौसम एवं परिस्थितियों के अनुसार घटता–बढ़ता रहता है।

जनपद जालौन में अपराध का स्तर

जब शोधकर्ता ने उत्तरदाता से पूछा कि क्या पिछले कुछ वर्षों में जनपद के विभिन्न ब्लॉक एवं कस्बों में अपराध में वृद्धि हुई है तो जो उत्तर प्राप्त हुआ उसका विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है।

तालिका सं0– 5.7

पांच वर्षों में अपराधों में वृद्धि हुई सम्बन्धी तालिका

वर्ष	कां0	हेड कां0	उप नि0	नि0	कुल
2001	68	50	42	38	198
2002	70	52	43	40	205
2003	72	55	44	42	213
2004	75	60	48	43	226
2005	78	63	50	45	236
कुल आधार	604	479	388	355	1826

उपरोक्त तालिका का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि 2001 से लगातार आगे के वर्षों में वृद्धि हुयी है उसका कारण उत्तर प्रदेश के जनपद–जालौन में श्वेत–वसन अपराधी का बढ़ना एवं प्रशासन का कर्तव्यपरायणता के प्रति निष्क्रिय एवं उपेक्षित होना है।

कुल अपराधियों को पकड़ना मुश्किल

शोधकर्ता ने जब चयनित पुलिसकर्मियों से पूछा कि किस प्रकार के अपराधियों को पकड़ना कठिन होता है तब उन्होंने जो मत प्रकट किया उसका विवरण तालिका के आधार पर निम्नवत है–

तालिका सं0–5.8

पुलिसकर्मियों द्वारा बताये गये अपराधियों जिनको पकड़ना मुश्किल होता है सम्बन्धी तालिका

उत्तरदाता के विवरण का आधार	उच्च वर्ग	राजनैतिक वर्ग से संरक्षक लोग	सामाजिक रूप से प्रभावशाली	कोई उत्तर नहीं	कुल
जातिगत आधार					
सामान्य वर्ग	50	110	82	08	250
पिछड़ा वर्ग	55	90	28	11	184
अनु0 जाति	18	44	42	–	104
अ0ज0जाति	22	23	29	–	74
मुस्लिम	32	44	29	–	105
सिख	14	18	12	04	48
ईसाई	11	09	08	–	28
बौद्ध	16	08	05	–	29
जैन	21	17	09	05	52
कुल आधारं	**239**	**363**	**244**	**28**	**874**

शैक्षणिक आधार					
वि0विद्यालयीशिक्षा	60	109	69	04	242
इण्टरमीडिएट	75	104	72	12	263
हाईस्कूल	45	106	82	10	233
जूनियर	11	16	12	—	39
प्राथमिक	08	12	08	—	28
कुल आधार	**199**	**347**	**243**	**26**	**815**

जातिगत आधार की तालिका का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि पुलिसकर्मियों का जनपद स्तर का पुलिस प्रशासन यह बात स्वीकार करता है कि धनाढ्य वर्ग के अपराधी एवं राजनैतिक संरक्षण प्राप्त करने वाले अपराधियों को पकड़ना मुश्किल होता है क्यों कि राजनैतिक संरक्षण वाले अपराधियों के साथ विधायक, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य से जुड़े होते हैं जो इन अपराधियों को पुलिस प्रशासन एवं न्यायालय से बचाने का प्रयास करते हैं। ये अपराधी मानवीय दण्ड से तो बच जाते हैं किन्तु ईश्वरीय दण्ड से नहीं।

शैक्षणिक दृष्टि के आधार पर उच्च शिक्षा प्राप्त अपराधी अधिक विवेकशील एवं तर्कयुक्त होते हैं जिस कारण से वह कानून और न्यायालय से हमेशा बचते रहते हैं। जबकि कम शिक्षा प्राप्त अपराधी अधिकतर पुलिस एवं कानून के शिकंजे में फँस जाते हैं क्योंकि उनके पास न तो पैसा होता है ओर न ही उनके सम्बन्ध श्वेत–पोशधारी व्यक्तियों से होते हैं।

महिला अपराधी

वर्तमान समय में महिलायें काफी संख्या में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं तथा इनकी संख्या में दिनों दिन उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही हैं। आज महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के अपराध किये जा रहे हैं। जैसे– वैश्यावृति, सैक्स रैकिट, जिम मसाज क्लब, हैल्थ क्लब एवं ब्यूटी पार्लर आदि इन सभी प्रकारों के अपराधों का सम्बन्ध यौन अपराध से है।

शैक्सपियर के अनुसार– "Women Begets Women" महिला अपराधी को नियंत्रण में करने के लिये विभिन्न प्रकार की कठिनाईयाँ आती हैं। इस सम्बन्ध में शोधकर्ता ने पुलिसकर्मियों से जो कुछ पूछा, उसका विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है।

तालिका सं0– 5.9

महिला अपराधियों को नियंत्रित करने में कठिनाई सम्बन्धी तालिका

उत्तर	कां0	हे0का0	उपनिरी0	निरी0	कुल
हाँ	99	30	75	66	243
नहीं	52	20	55	15	142
कोई उत्तर नहीं	7	–	–	–	7
कुल आधार	158	50	130	81	419

महिला अपराधियों को पकड़ते समय विभिन्न प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। जिसे निम्न तालिका के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।

तालिका सं0 – 5.10

महिला अपराधियों पर नियंत्रण करने में आने वाली कठिनाईयों के कारण सम्बन्धी तालिका

उत्तर	कां0	हे0का0	उपनिरी0	निरी0	कुल
व्यक्तिगत पूछतांछ करना असम्भव होता है	50	25	65	52	192
महिलाओं के साथ सख्ती का प्रयोग करना असम्भव होता है	10	12	11	–	33
समाज द्वारा लगाये गये आरोपों का भय होता है	20	15	60	–	95
महिला को अपराधी मानने में समाज द्वारा विरोध	25	18	45	–	88
कुल आधार	105	70	181	52	408

तथ्यों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि उत्तरदाता महिला अपराधियों के नियंत्रण में अपने व्यवहार में कठिनाईयाँ आना स्वीकार करते हैं। महिला अपराधी अपनी सच्चाई को छिपाती हैं इसके साथ साथ उनकी सोच पुरुष अपराधी से भिन्न होती है। महिला अपराधी वर्तमान समय में कई प्रकार के मनोभावों एवं मनोविकारों से पीड़ित रहती है। जिस कारण से उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महिला अपराधी उत्तर देते समय अपने आत्मबल को कमजोर एवं हताशा के बिन्दु पर रेखांकित करती है। महिला अपराधियों के अपराध पुरुष अपराधियों से भिन्न होते हैं, अधिकांशतः महिला अपराधी का सम्बन्ध अपने व्यक्तिगत सम्बन्धों एवं विच्छेदों से होता है। जिस कारण से महिला अपराधी अपनी मनोधारणा को विभिन्न कारणों से अपराधों में शामिल हो जाती है।

अपराधियों एवं पुलिस विभाग के शस्त्रों की तुलना

अन्वेषणकर्ता ने जब तुलनात्मक दृष्टिकोण से पुलिसकर्मियों से पूछा कि वर्तमान तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी युग में अपराधी इलैक्ट्रानिक एवं अत्याधुनिक हथियार रखते हैं। क्या पुलिस विभाग उन्हीं के समान शस्त्र रखते हैं तो पुलिसकर्मियों ने सकारात्मक एवं नकारात्मक उत्तर दिये।

अपराधियों के समान पुलिस विभाग के पास आधुनिक हथियार न होने सम्बन्धी ग्राफ

<u>तालिका सं0 5.11 का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण</u>

तालिका सं0– 5.11

अपराधियों के समान पुलिस विभाग के पास आधुनिक हथियार न होने सम्बन्धी तालिका

उत्तर	कां0	हे0का0	उपनिरी0	निरी0	कुल
हाँ	80	35	75	18	191
नहीं	55	27	55	22	159
कोई उत्तर नहीं	08	02	—	—	10
कुल आधार	143	64	130	40	477

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि पुलिस विभाग के पास अपराधियों की तुलना में उत्तम एवं आधुनिकतम हथियार नहीं है जिस कारण से पुलिस विभाग के अधिकारी अपराधियों का सामना करने में असमर्थता जाहिर करते हैं।

पुलिसकर्मियों में धर्म के आधार पर भूमिका

पुलिसकर्मियों से जब अन्वेषणकर्ता ने पूछा कि साम्प्रदायिक दंगों के दौरान पुलिस एवं पी0ए0सी0 दोनों पर आरोप लगाया जाता है कि धर्म के आधार पर वह कार्य करते हैं। पुलिसकर्मियों को धर्म के आधार पर कार्य नहीं करना चाहिये बल्कि मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुये पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिये। धर्म की तुलना में मानवता अधिक श्रेष्ठ एवं उच्चतम होती है।

पुलिस कर्मियों में धर्म के आधार पर कार्य करने के आरोपों का विवरण सम्बन्धी ग्राफ

तालिका सं0 5.12 का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण

तालिका सं0–5.12

पुलिसकर्मियों में धर्म के आधार पर कार्य करने के आरोप का विवरण सम्बन्धी तालिका

उत्तर	कां0	हे0का0	उपनिरी0	निरी0	कुल
सत्य	07	03	–	–	10
असत्य	35	44	18	–	97
आंशिक सत्य	30	06	35	32	103
कुल आधार	72	53	53	32	210

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि शोधकर्ता ने पुलिस एवं पी0ए0सी0 पर लगाये गये आरोप कि क्या पुलिस धर्म के आधार पर कार्य करती है तो पुलिसकर्मियों ने असत्य कहा। पुलिस विभाग का सम्बन्ध कभी धर्म से नहीं होना चाहिये। धर्म के आधार पर जब पुलिस कार्य करेगी तो मानवता का क्या होगा।

साम्प्रदायिकता आधुनिक संदर्भ में समकालीन बहुलवादी भारतीय समाज में मौजूद सबसे बड़ा खतरा है। इसने भारतीय समाज के बुनियादी मूल्यों को चुनौती दे रखी है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद एक धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक व्यवस्था बनाने का निश्चय किया था किन्तु पिछले दशकों में हमारी धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था पर निरन्तर खतरों के बादल छाये रहते हैं। यदि भारतीय समाज के बढ़ते साम्प्रदायिकीकरण को सख्ती से नहीं कुचला गया तो वह आधारशिला ही ढह जायेगी जिस पर हमारे नेताओं ने एक उदार धर्मनिरपेक्ष एवं प्रगतिशील समाज बनाने का सपना देखा था।[15]

प्रजातांत्रिक राज्य में पुलिस से कुछ अपेक्षायें

1. लोगों में सुरक्षा की भावना बनी रहे।
2. लोग पुलिस को रक्षक मानें और पुलिस की कार्यकुशलता तथा कर्तव्यनिष्ठा पर विश्वास करें।
3. पुलिस यह मानकर चले कि उसका काम कानून का पालन करना है।
4. पुलिस न स्वयं अत्याचारी बने और न ही सरकारी अनाचार और अत्याचार का माध्यम बने।
5. पुलिस समाज विरोधी और राष्ट्रविरोधी तत्वों को कुचल कर समाज व राष्ट्र के हितों की रक्षा करे।
6. पुलिस रिश्वत, कालाबाजारी, तस्करी आदि के मामलों में उचित कार्यवाही करके अंकुश लगायें।
7. पुलिस ऐसा व्यवहार करें कि लोग उससे डरें नहीं और इस आशा से जायें कि पुलिस कानून के माध्यम से उनकी शिकायतों का समाधान करेगी।
8. प्रजातंत्र में पुलिस की भूमिका जनता को सताने या लूटने वाले की नहीं बल्कि रक्षा, सहायता एवं न्याय दिलाने की होनी चाहिये।

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र में पुलिस को बड़ी रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिये। उसे राजनैतिक प्रभाव से मुक्त होकर मानवीय संवेदनाओं के आधार पर जनता की रक्षा करनी चाहिये तथा अपराधों को रोकना चाहिये।[16]

अच्छे पुलिसकर्मियों के गुण

1. विनम्रता (Polite)

विनम्रता एक ऐसा गुण है जो दूसरे की तपन और क्रोध को समाप्त करता है तथा गुस्से में आये व्यक्ति को शीतलता प्रदान करता है। विनम्रता सही निर्णय देने में मदद करती है तथा सभी को शान्ति प्रदान करती है। एक अच्छे पुलिसकर्मी में यह गुण होना आवश्यक है।

2. आज्ञाकारी (Obedient)

प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को आज्ञाकारी होना चाहिये। पुलिस विभाग चूँकि एक अनुशासित बल हैं। अतः पुलिसकर्मियों में आज्ञाकारिता का गुण निहायत जरूरी है।

3. निष्ठावान (Loyal)

वर्तमान समय में निष्ठा का स्तर गिरता चला जा रहा है। एक सच्चा व्यक्ति ही अपने कर्तव्यों को सही अंजाम दे सकता है। अतः एक अच्छे पुलिसकर्मी को सच्चा देशभक्त होना चाहिये।

4. बुद्धिमान (Intelligent)

प्रत्येक पुलिस कर्मी को अपने विभाग से सम्बन्धित तथा समाज का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि ज्ञान की कमी होगी तो कोई भी पुलिसकर्मी सही निर्णय नहीं ले सकता।

5. साहसी (Courageous)

प्रत्येक पुलिसकर्मी को साहसी होना चाहिये क्योंकि आये दिन

रोजमर्रा की जिन्दगी में कोई न कोई कठिन परिस्थिति की घड़ी आती रहती है।

6. **योग्य (Efficient)**

प्रत्येक पुलिसकर्मी को योग्य शिक्षित एवं सभ्य होना चाहिये। एक अच्छे पुलिसकर्मी को न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक एवं बौद्धिक रूप से भी योग्य होना चाहिये।

7. **निष्पक्षता**

पुलिसकर्मी को अपना कर्तव्यपालन बिना किसी भेदभाव के करना चाहिये। उसे अपने विभाग में जाति, धर्म, सम्प्रदाय आदि का भेदभाव नहीं रखना चाहिये।

8. **अनुशासन प्रिय**

पुलिस विभाग एक अनुशासनबद्ध विभाग है। जिसमें अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाती यदि अनुशासनहीनता होगी तो कोई भी व्यक्ति किसी का कहना नहीं मानेगा और कार्य करना मुश्किल हो जायेगा।

9. **दूर दृष्टिता तथा कल्पनाशील**

एक अच्छे पुलिसकर्मी को दूर दृष्टि तथा कल्पनाशील होना चाहिये जिससे कि वह समस्याओं का पहले से ही आकलन कर सके तथा उन्हें सुलझाने के तरीके सोच सके।

पुलिस अधिकारियों के अधिकार, विशेष अधिकार, कार्य एवं जिम्मेदारियाँ

भारतीय दण्ड प्रक्रिया के विभिन्न प्रावधानों व अधिकारों के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष अथवा अपराधी को एक पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है। यह अधिकार निम्नवत् हैं–

1. अनुच्छेद 39 और 40 सी0आर0पी0सी0 1973 के अन्तर्गत विभिन्न रूप से अपराधियों की सूचना देना।
2. सी0आर0पी0सी0 1973 के अन्तर्गत जनता का सहयोग करना।
3. अनुच्छेद 46 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत गिरफ्तारी के समय पुलिस बल के उपयोग का अधिकार।
4. गिरफ्तारी के समय स्वतंत्र रूप से प्रवेश का अधिकारी अनुच्छेद 47 तथा 100 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत।
5. अनुच्छेद 47(2) अथवा 100(2) के अन्तर्गत दरवाजा तोड़कर खोलना एवं स्वतंत्र प्रवेश।
6. अनुच्छेद 48 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत दूसरे न्यायालय को अपराधियों को स्थानान्तरण का अधिकार।
7. अनुच्छेद 60 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत मुक्त हुये बन्धक को फिर से हिरासत में लेना।
8. अनुच्छेद 53 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य परीक्षण कराने का अधिकार।
9. भूमिविवाद अथवा जल विवाद अथवा शान्ति भंग होने की अवस्था में अधिकारों के उपयोग का अधिकार अनुच्छेद 145, 147 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत।

10. गवाहों के परीक्षण का अधिकार अनुच्छेद 161 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत।

11. निरीक्षक को अपराधी को बान्ड पर छोड़ने का अधिकार जब गवाहों की कमी हो।

12. अपराधी की पहचान करने हेतु फोटो फिंगर प्रिंट लेने का अधिकार।

13. संदेहास्पद सम्पत्ति को खरीदने का अधिकार अनुच्छेद 102 के अन्तर्गत।

पुलिस और समाज

आज हमारे देश में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं जिसमें राजनैतिक, सामाजिक और संवैधानिक है। पुलिसवृत्ति एवं दृष्टिकोण हमेशा मानवीय आचरणों के अनुकूल होना चाहिये जिससे पुलिस का व्यवहार एवं उसकी छवि धूमिल न हो पाये। पुलिसकर्मी को कईबार विषम परिस्थितियों में निन्दनीय निर्णय लेने पड़ते हैं जिससे पुलिस विभाग की छवि धूमिल होती है। पुलिस भी समाज की एक इकाई है, उसके हृदय में मातृत्व, देशत्व, ममत्व एवं करुणत्व की भावना होती है। बाहर से वह कितना भी कठोर हो परन्तु अन्दर से उसके हृदय में मानवीय आचरण एवं मानवीय प्रतिमान पाये जाते हैं।

आज का भारतीय जन–मानस यह भी सोचने को विवश है कि पुलिस किस तरह से अपनी संस्कृति व सभ्यता की रक्षा करे जिसके सहारे सामाजिक जीवन व्यवस्था, लक्ष्य एवं आदर्श रहते हैं। हमारे देश की जीवनचर्या, तप, त्याग, दया, सेवा, धर्म, कर्म, परिश्रम तथा आध्यात्मिकता का वातावरण परम आदरणीय है। ऐसा कहा गया है कि–

ऐषां न विद्या तपो न दानं।

ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मा।।

तें मृत्युलोके भुविभार भूता।

मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति।।

अर्थात जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, और न कोई गुण है और न ही धर्मानुरागी है। ऐसे व्यक्ति पृथ्वी पर बोझ है और मनुष्य के रूप में रहते हुये भी पशु के समान विचरण करते हैं।17

आज के प्रजातांत्रिक समाज में पुलिस जन सेवा के अनेक कार्य करती है। यद्यपि उसका प्रधान कार्य जनता के जानमाल की रक्षा करना और शान्ति व्यवस्था बनाये रखना है किन्तु आज की स्थिति यह है कि कठिनाइयों में फँसा व्यक्ति तुरन्त पुलिस का दरवाजा खटखटाता है। पुलिस सरकार की प्रतिनिधि है एवं शान्ति की प्रतीक और शान्ति भंग करने वालों की शत्रु है। पुलिस जनसेवा के अनेक कार्य करती है जैसे– ट्रेफिक नियंत्रण करना, रात्रि के समय बस्तियों में गस्त लगाना, नवान्तुकों का मार्गदर्शन करना, खोये हुये मनुष्यों को उनके अपनों से मिलाना। इसके अतिरिक्त पुलिस चोर, जेबकतरों, दस्युओं, राहजनी करने वालों, साम्प्रदायिक दंगों को फैलाने वालों एवं आतंकवादियों को पकड़ती है।

आज के भौतिकवादी युग में पुलिस की कार्यप्रणाली में काफी परिवर्तन आया है। फिर भी वे अपने कर्तव्यों के लिये आज्ञाकारी,

निष्ठावान, अनुशासनप्रिय, मिलनसार, धैर्यवान एवं एक अच्छे अधिकारी की श्रेणी में आते हैं। प्रजातांत्रिक देश में पुलिस की अहम् भूमिका होती है परन्तु आज प्रजातंत्र का वास्तविक ढाँचा बुरी तरह बिगड़ चुका हैं उसका मुख्य कारण राजनैतिक व सामाजिक परिवर्तन नियमों और मूल्यों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण तथा शारीरिक एवं मानसिक तनाव इन्हीं सब कारणों से प्रभावित हुये हैं।

पुलिस की मित्रता, शत्रुता, तटस्थता प्रारम्भ से ही विवादास्पद रही है। आज प्रज़ातांत्रिक देशों में सुरक्षा के साथ–साथ संस्कार एवं पारम्परिक मूल्यों की रक्षा करना है। श्वेतवसन अपराधियों व राजनेताओं ने समाज को सबसे अधिक दिशाहीन बनाया है।

सृष्टि की उत्पत्ति से वर्तमान समय तक भय का जन्म अशिष्ट व अभद्र कार्यों से होता है जिस कारण से वह अपनी सुरक्षा एवं संरक्षण चाहता है। पुलिस विभाग हमेशा से ही विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसा है। अपराधी व्यक्ति यह चाहता है कि पुलिस हमारे अनुकूल कार्य करे परन्तु उसके सामने बहुत से विभागीय नियम, प्रशासनिक एवं संवैधानिक अधिकार हैं। एक पुलिस अधिकारी दोनों प्रकार से बंधा हुआ है– सरकारी प्रतिवेदनायें एवं सामाजिक व्यवहार।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सतीश चन्द्र भटनागर– "पुलिस प्रशासन एवं संगठन", सुविधा लॉ हाउस प्रा0 लि0, पृ0नं0 3

2. त्रिपाठी त्रिपुरेश– "पुलिस विज्ञान प्रथम, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद, पृ0सं0 57–58

3. मिश्र त्रिनाथ– "पुलिस युक्ति सिद्धान्त एवं व्यवहार पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुरादाबाद मुर्दक मॉर्डन आफसेट प्रिंटर्स लाजपत नगर, मुरादाबाद 1990, पृ0सं0 44

4. डॉ0 मीनाक्षी स्वामी– "पुलिस व समाज" पृ0नं0 30 किताब घर गाँधीनगर, दिल्ली।

5. डॉ0 मीनाक्षी स्वामी– "पुलिस व समाज" पृष्ठ नं0 33 किताब घर, गाँधीनगर, दिल्ली।

6. प्रो0 एस0 अखिलेश– "अपराध अन्वेषण" गायत्री पब्लिकेशन रीवा, पृ0 सं0 167

7. डॉ0 मीनाक्षी स्वामी– "पुलिस व समाज" पृष्ठ नं0 40 किताब घर, गाँधीनगर, दिल्ली।

8. पुलिस कमीशन रिपोर्ट 1960–61, पृ0सं0 63–65।

9. पुलिस कमीशन रिपोर्ट 1960–61, पृ0सं0 63–65।

10. आर0के0 भारद्वाज, इण्डियन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल पब्लिकेशन हाउस नई दिल्ली 1978 पृष्ठ सं0 273–274

11. शर्मा पी0डी0 इण्डियन पुलिस 215–216

12. डॉ0 अजय शंकर पाण्डेय– "नई सहस्त्राब्दि में पुलिस कैसी हो" लोक भारतीय प्रकाशन इला0 पृ0सं0 21

13. डॉ0 अजय शंकर पाण्डेय– "नई सहस्ःाब्दि में पुलिस कैसी हो", पृ0सं0 63 लोकभारती प्रकाशन महात्मा गाँधी मार्ग इलाहाबाद।

14. डॉ0 डी0एस0 वघेल– "अपराधशास्त्र", विवेक प्रकाशन जवाहर नगर दिल्ली पृ0 सं0 12

15. डॉ0 आर0टण्डन अपराध–पुलिस विज्ञान एवं न्यायिक विज्ञान प्रकाशक साहित्य सेवा सदन सागर, पृष्ठ सं0 89

16. विभूति नारायणराय सांप्रदायिक दंगे और भारतीय पुलिस राधाकृष्णन प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली प्रथम संस्करण 2000 पृ0सं0 11

17. डॉ0 पी0एस0 भूषण "पुलिस और समाज" मनीषा पब्लिकेशन गोल मार्केट नई दिल्ली, पृष्ठ सं0 176

षष्ठम् अध्याय

पुलिसकर्मियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति

पुलिसकर्मियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति

प्राचीनकाल में भारत में सम्पूर्ण समाज को सामाजिक एवं व्यावसायिक दृष्टि से महर्षि मनु ने 4 वर्णों– ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में विभक्त किया था। ये वर्ण पेशे को ध्यान में रखकर बनाये गये थे। कालान्तर में यह व्यवसाय पर न रहकर जन्म के आधार पर बन गये और कमजोर वर्ग के लोग शूद्र कहलाने लगे। वैसे तो प्रत्येक समाज में कमजोर और शक्तिशाली वर्ग होते हैं लेकिन भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलायें कमजोर वर्ग में गिनी जाती हैं। शक्तिशाली वर्ग कमजोर वर्गों का शोषण हमेशा से करता आया है। अतः आज के प्रजातांत्रिक समाज में कमजोरवर्ग के उत्थान हेतु, उनके प्रति सहानुभूति एवं दया प्रकट करना परम आवश्यक है। भारत के संविधान में भी कमजोर और पिछड़े वर्गों की सहायता एवं उत्थान हेतु बात कही गई है जिसके द्वारा इस वर्ग को शोषण से बचाया जा सके और गरीबी की अवस्था से ऊँचा उठाकर समाज की प्रमुख धारा में सम्मिलित किया जा सके।[1] भारतीय सामाजिक जीवन में विघटनकारी तत्वों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जीवन का आज कोई ऐसा क्षेत्र नजर नहीं आता जो विघटन की ओर न बढ़ रहा हो। वर्तमान में हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में इतनी तेजी से गिरावट आई है कि वैयक्तिक जीवन से सम्बन्धित अनेक समस्यायें उठ खड़ी हुई है। आज अपराध, बाल अपराध, श्वेतवसन

अपराध, हत्या, आत्महत्या, मद्यपान, जुआखोरी, वैश्यावृत्ति आदि की समस्यायें बढ़ती ही जा रही हैं। आज अनेक वैवाहिक और पारिवारिक समस्यायें उठ खड़ी हुई हैं। सामाजिक दृष्टि से विधवा विवाह की कानूनी मान्यता होते हुये भी उचित नहीं माना जाता। आज धर्म की सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में महत्ता घट गई है।[2]

आधुनिक सामाजिक संगठन के कुछ अधेयताओं ने वर्ग के आर्थिक निर्वचन और उसकी समाजशास्त्रीय अवधारणा के बीच भेदभाव को स्वीकार करते हुये अपने अध्ययनों में इन दोनों ही उपमानों को बनाये रखा है। महान जर्मन समाजशास्त्री ***मैक्सबेबर*** ने इस बात पर बल दिया कि "सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था एक नहीं है।" आर्थिक व्यवस्था केवल वह पद्धति है जिसमें कि आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं का विवरण और उपभोग किया जाता है। यह सच है कि सामाजिक व्यवस्था पर आर्थिक व्यवस्था का बड़ा प्रभाव है और सामाजिक व्यवस्था भी उस पर प्रभाव डालती है।[3]

पुलिस की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पद एवं व्यवहार के अनुसार अलग–2 होती है। कांस्टेबिल से लेकर पुलिस अधीक्षक तक का वेतनमान अलग–2 होने के कारण उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी भिन्न –भिन्न होती है। प्रत्येक पुलिसकर्मी के परिवार में विभिन्न प्रकार की भौतिकवादी सुखसुविधायें उपलब्ध रहती हैं। इन सुविधाओं से ही उनके परिवार की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन किया जा सकता है। प्रत्येक पुलिसकर्मी जो थाने, कोतवाली एवं चौकी में कार्यरत हैं उनके आय

के स्रोत भी अलग–अलग हैं जिस क्षेत्र में पुलिसकर्मी अपने पद पर कार्यरत हैं उसे वहाँ से किस प्रकार की अतिरिक्त आय मिलती है और किस प्रकार की अन्यसुविधायें। पुलिसकर्मी यदि शहरी क्षेत्र से जुड़ा है तो उसके पास आय के साधन कुछ और होंगे और यदि ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा है तो कुछ अलग होंगे। यह सब निर्भर करता है उस क्षेत्र के अपराध की दर और विभिन्न प्रकार की सामाजिक घटनाओं पर।

शोधार्थी ने जनपद जालौन के पुलिसकर्मियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण किया और पाया कि जनपद जालौन की पाँच तहसीलों में पुलिस की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति अलग–2 है। जनपद के माधौगढ़ तहसील के अन्तर्गत आने वाले थानों की पुलिसकर्मियों की अलग है क्योंकि, वह क्षेत्र दस्यु प्रभावित है तथा कालपी तथा कोंच तहसील के थानों के पुलिसकर्मियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अलग है। उरई, जालौन एवं कोंच थानों के पुलिसकर्मी शहरी क्षेत्र से जुड़े होने के कारण उनकी पारिवारिक एवं आर्थिक स्थिति माधौगढ़ एवं कालपी तहसील के थानों से भिन्न हैं। पुलिसकर्मियों की आर्थिक स्थिति उनके स्वभाव, व्यवहार, आचरण एवं वृत्ति पर निर्भर करती है। कुछ पुलिसकर्मियों की लालचीवृत्ति होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाती है। आर्थिक स्थिति का सम्बन्ध केवल मासिक वेतन से नहीं होता बल्कि पैतृक एवं अचल सम्पत्ति होने से होता है। कुछ पुलिसकर्मियों के पास पैतृक एवं अचल सम्पत्ति एवं आय के अन्य स्रोत होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति अधिक मजबूत होती है।

कुछ पुलिसकर्मी अवैध तरीके से बिना लाइसेंस के वाहनों को चलवाते हैं तो कुछ पुलिसकर्मी एक शहर से दूसरे शहर में विभिन्न वस्तुओं को बेचते हैं जो उनके आय के अतिरिक्त साधन बनते हैं, जब कोई व्यक्ति अवैध, अमानवीय, अप्राकृतिक एवं असामाजिक कार्य करता है तो वह पुलिसकर्मी को विभिन्न प्रकार के लालच देता है जिससे उसकी वृत्ति एवं आचरण दूषित हो जाते हैं तथा आम जन सामान्य में उसकी प्रतिष्ठा व गरिमा कलंकित होती है।

अन्वेषणकर्ता ने पुलिसकर्मियों की पारिवारिक स्थिति से संतुष्टी होने के सम्बन्ध में जानना चाहा क्योंकि पारिवारिक सम्बन्ध व्यक्ति के सामाजिक स्थिति निर्धारण का महत्वपूर्ण केन्द्र बिन्दु होता है। आज के युग में पुलिसकर्मियों की सामाजिक एवं पारिवारिक स्थिति का मूल्यांकन भोगी विलासी वस्तुओं से किया जाता है न कि उसकी नैतिकता, ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा से। पुलिसकर्मी को हमेशा आम जनमानस निन्दनीय दृष्टि से देखता है क्योंकि उसके क्रियाकलापों एवं प्रतिमानों में विभिन्न प्रकार की शंकायें एवं संदेह रहते हैं। पारदर्शिता एवं स्पष्टता कम नजर आती है।

प्रत्येक पुलिसकर्मी समाज की ईकाई है जो समाज के समस्त लोकाचारों को अपनाकर उन्हें पूरा करता है परन्तु जीवन अस्थाई होने के कारण उसके मस्तिष्क में कई प्रकार के प्रलोभन एवं लालच पैदा होते हैं। पुलिसकर्मी राज्य सरकार का कर्मचारी है। प्रशासन की रक्षा करना उसका कर्तव्य है परन्तु इसके साथ–साथ उसे जन सहयोग भी चाहिये

इसलिये शोधकर्ता ने पुलिसकर्मी की पारिवारिक स्थिति जानने हेतु सर्वप्रथम प्रश्न किया और जो विवरण प्राप्त हुआ उसे निम्न तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है।

तालिका सं0– 6.1

पुलिसकर्मियों की पारिवारिक जीवन से संतुष्टि सम्बन्धी तालिका

उत्तर	का0	हे0का0	उप नि0	निरी0	कुल
हाँ	55	16	47	27	145
नहीं	80	37	88	10	215
कुल आधार	135	53	135	37	360

तालिका के तथ्यों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि पुलिसकर्मियों का पारिवारिक जीवन से संतुष्ट नहीं। केवल पुलिस का अधिकारी वर्ग अधिक संतुष्ट है। परिवार से संतुष्टि और गैर संतुष्टि का प्रमुख कारण प्रतिमाह आय के स्रोत से हैं।

पुलिसकर्मियों का पारिवारिक जीवन संतुष्ट व असंतुष्ट होने का प्रमुख कारण परिवार का अनियंत्रित खर्च तथा उस पर विभिन्न प्रकार के पारिवारिक उत्तरदायित्व हैं। अन्वेषणकर्ता ने आर्थिक समस्या के सही रूप से जानने का प्रयास किया और उसने ऐसा भी महसूस किया कि आर्थिक कारक प्रत्येक परिवार के अलग–अलग होते हैं।

पुलिस कर्मियों का पारिवारिक जीवन से संतुष्ट न होने के कारण सम्बन्धी ग्राफ

<u>तालिका सं0 6.2 का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण</u>

तालिका सं0– 6.2

पुलिसकर्मियों का पारिवारिक जीवन से संतुष्ट न होने के कारण सम्बन्धी तालिका

उत्तर	का0	हे0का0	उप नि0	निरी0	कुल
परिवार का अन्य जगह रहना	80	16	50	12	158
परिवार में आय कम खर्च अधिक	18	19	60	14	111
तनाव	20	08	24	05	57
आर्थिक कारण	55	30	40	09	134
कुल आधार	173	73	174	40	460

अन्वेषणकर्ता ने पुलिसकर्मियों से यह जानने का प्रयास किया कि मानसिक तनाव के कारण कौन–कौन से हैं और किस वक्त मानसिक तनाव अधिक रहता है। बहुत से पुलिसकर्मी मानसिक तनाव के कारण मनोरोगी हैं और कुछ पुलिसकर्मियों की व्यक्तिगत समस्यायें भी होती हैं जिनको बताने में वे असमर्थ रहते हैं।

शोधकर्ता ने पुलिसकर्मियों से यह जानने का प्रयास किया कि वो किस प्रकार के मकान में निवास कर रहे हैं। उस समय जो विवरण प्राप्त हुआ वह निम्न तालिका के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है।

पुलिस कर्मियों के आवास सम्बन्धी ग्राफ

तालिका सं0 6.3 का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण

तालिका सं0– 6.3

पुलिस कर्मियों के आवास सम्बन्धी तालिका

उत्तर	का0	हे0का0	उप नि0	निरी0	कुल
सरकारी	48	28	60	40	176
गैर सरकारी	78	18	48	35	179
स्वनिर्मित	09	12	30	06	57
कुल आधार	135	58	138	81	412

अधिकांश पुलिसकर्मी गैरसरकारी मकानों में रहते हैं जबकि कुछ पुलिस अधिकारी वर्ग पुलिस के क्वार्टरों में निवास करता है। पुलिस अधिकारियों के मकानों में सभी सुविधायें होती हैं जैसें ग्रीनवेल्ट, लॉन, पोर्च, डायनिंगरूप, गैरिज इत्यादि। इस प्रकार पुलिसकर्मियों के अधिकारियों के आवास जनपद के प्रत्येक कस्बे में है तथा जनपद के उरई मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों के विभिन्न तरह के आवास जिनको पुरानी भाषा में बंगला कहा जाता है।

शोधकर्ता ने पुलिसकर्मियों से पूछा कि राजनेताओं द्वारा कभी अवैधानिक कार्य हेतु दबाव डलवाया जाता है उस समय जो उत्तर पुलिसकर्मियों ने दिया वह निम्नप्रकार से है–

पुलिस कर्मियों पर राजनेताओं का दबाव

सम्बन्धी ग्राफ

70
60
50
40
30
20
10
0

64
40
8
35
15
9
65
40
22
45
35
18

का0
हे0का0
उप नि0
निरी0

हाँ
नहीं
कोई उत्तर नही

तालिका सं0 6.4 का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण

तालिका सं0– 6.4

पुलिसकर्मियों पर राजनेताओं का दबाव सम्बन्धी तालिका

उत्तर	का0	हे0का0	उप नि0	निरी0	कुल
हाँ	40	15	65	45	165
नहीं	64	35	40	35	174
कोई उत्तर नहीं	08	09	22	18	57
कुल आधार	112	59	127	98	396

तालिका से ज्ञात होता है कि पुलिसकर्मियों का एक वर्ग यह स्वीकार करता है कि राजनेताओं द्वारा कार्य करने हेतु उनके ऊपर दबाव डाला जाता है जिससे पुलिस अधिकारी सुचारु रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं और उनके समक्ष परेशानी रहती है।

समाज कोई एकांकी व्यवस्था नहीं है। इसमें जहाँ एक ओर अच्छे तत्व हैं, तो दूसरी ओर बुरे तत्व भी पाये जाते हैं। अच्छे तत्व जहाँ एक ओर समाज को संगठित करते हैं वहीं दूसरी और बुरे तत्व इसे विघटन पर लाकर खड़ा कर देते हैं। प्रत्येक समाज में कुछ निश्चित नियम होते हैं, जो इसे संगठित करते हैं। ऐसे समाज की कभी कल्पना नहीं की जा सकती जिसके सभी सदस्य नियमों का अक्षरशः पालन करें। प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे सदस्य भी होते हैं जो नियमों का पालन न करके मनमाना व्यवहार करते हैं जब व्यक्ति नियमों का पालन करते हैं तो समाज में व्यवस्था स्थापित होती है। यह व्यवस्था समाज को

संगठित करती है। इसके विपरीत नियमों का पालन न करना सामाजिक अव्यवस्था और असन्तुलन को जन्म देता है। यह असन्तुलन समाज को विघटित कर देता है। विघटन को समझने के लिये आवश्यक है कि सामाजिक संगठन की अवधारणा को समझ लिया जाये।

समाज सामाजिक सम्बन्धों की एक व्यवस्था है। संगठन को दृष्टि में रखते हुये समाज के व्यक्तियों को दो भागों में बाँटा जा सकता है। सामाजिक और समाज विरोधी। समाज विरोधी व्यक्ति भी सामाजिक हैं, भले ही इनसे समाज को खतरा हो। इन व्यक्तियों का भी एक संगठन होता है और सदस्यों में अन्तः क्रियायें होती रहती हैं। समाजशास्त्र के अन्तर्गत 'सामाजिक' शब्द का अर्थ व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं से है और मानसिक क्रियायें मानव जाति के बीच पाये जाने वाले व्यवहारों से सम्बन्धित है।4

मेरे दिल में जो एक बात आज खटकती रहती है वह यह है कि यद्यपि हमने **पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार बल्लभ भाई पटेल, श्री सी0आर0 राजगोपालाचारी, पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त और श्री लाल बहादुर शास्त्री** जैसी विभूतियों के नेतृत्व में आजादी के कुछ दिनों बाद तक बहुत कुछ उन्नति की, परन्तु अब मानों आगे बढ़ने के बजाये हम पीछे की ओर जा रहे हैं। इसका एक मात्र कारण है कि हमारे जातीय चरित्र में कुछ अवगुण आ गये हैं जिनका जल्द से जल्द दूर होना अत्यन्त आवश्यक है। अंग्रेजों के चरित्र में कुछ कमियों के रहते हुये भी कुछ उच्चकोटि के गुण भी थे, जैसे— देशभक्ति, समय की

पाबन्दी, अध्यवसाय और कर्तव्य के प्रति निष्ठा जिन्हें हम यदि अपना सके तो देश और समाज का रूप ही कुछ और हो जाये।

आज हमारे देश में प्रशासकीय जीवन तथा सामाजिक मापदण्ड का स्तर गिरता जा रहा है जिन्होंने गुलामी का न तो दिन देखा है, न उसकी पीड़ा का अनुभव किया है जो स्वतंत्र भारत में पैदा हुये और अपने उच्छश्रृंखल तथा स्वार्थमय जीवन से देश की अपार हानि कर रहे हैं चाहे वे प्रशासन में हो, सामाज में हो या छात्र वर्ग में। यदि कुछ में भी कर्तव्यबोध हुआ, चाहे वह साधारण नागरिक हो या पुलिस या प्रशासन के कर्मचारी उसे सही मार्ग पर आने का मार्ग दिखायी पड़ेगा। आज हर बात में पुलिस की निंदा करने में समाचार पत्रों से लेकर साधारण लोग आनन्द लेते हैं पर आज की पुलिस में हमारे घर के लोग हैं। यदि पुलिस का आत्मबल बना रहेगा तो समाज व आर्थिक पृष्ठभूमि भी मजबूत रहेगी। पुलिस तथा जनता को एक दूसरे के निकट आने से ही समाज की रक्षा होगी। गुण–दोष हर संगठन में है। हम स्वयं अपनी ओर न देखकर दूसरों पर अंगुली, उठाते हैं। हम न्याय चाहते हैं, करना नहीं चाहते।

संगठन समाज का आधार है। इसके अभाव में समाज अपना कार्यात्मक सन्तुलन खो देता है और सामाजिक विघटन की प्रक्रिया को गति मिलती है। पुलिस संगठन का तात्पर्य संगठित करने से है, साथ ही इन अंगों के कार्यात्मक सन्तुलन की ओर संकेत करता है। इस सम्बन्ध में ***लेपियर के अनुसार***– कि "संगठन कार्यात्मक सन्तुलन की ऊँची मात्रा की ओर निर्देश करने वाला समझा जाता है।"

सामाजिक संगठन में प्रत्येक व्यक्ति का एक पद या स्थिति होती है, चाहे यह अर्जित हो या प्रदत्त एक व्यक्ति की स्थिति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है, जैसे स्त्री–पुरुष, अध्यापक–विद्यार्थी, विवाहित–अविवाहित तथा नेता–अनुयायी आदि। इन पदों की भिन्नता के कारण इनके कार्यों में भी भिन्नता रहती है। प्रत्येक समूह अपने सदस्यों को पद के अनुसार कार्य प्रदान करता है, साथ ही इस पद के अनुसार कार्य करने की आशा की जाती है। जैसे ही सामाजिक संरचना में विकार आता है, सामाजिक संगठन विघटन की ओर मुड़ जाता है।

कमजोर और पिछड़े वर्गों का उत्थान पुलिस की मदद के बिना असम्भव–सा प्रतीत होता है। जब तक पुलिस इस वर्ग की मदद नहीं करेंगी, तब तक इस वर्ग को शक्तिशाली वर्ग दबाता रहेगा और शोषण करता रहेगा। इन परिस्थितियों में इस वर्ग का उत्थान सम्भव नहीं, चाहे सरकार कितने ही कानून बना ले। अतः पुलिस को इनकी सहायता करने के लिये तत्पर रहना चाहिये।

पुलिस को हर वर्ग के व्यक्ति के साथ सम्पर्क बनाना चाहिये और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिये। भेदभाव की भावना नहीं रखनी चाहिंये। तभी इस वर्ग की भलाई हो सकती है और पुलिस की छवि भी सुधर सकती है। ऐसा करने पर जनता भी पुलिस को सहयोग देने के लिये तैयार रहेगी। पुलिस को चाहिये कि वह कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के विकास करने में उनकी मदद करे। यदि इस वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध कोई अत्याचार हो रहा हो तो न्याय दिलवाने का जिम्मा पुलिस को लेना चाहिये तथा उनकी पूर्ण सुरक्षा करनी चाहिये।[5]

पुलिस व समाज एक दूसरे के लिए सार्थक पूरक होते हैं। पुलिस भी समाज के साथ–साथ विभिन्न गतिविधियों को तय करती है जिससे समाज का सही रूप से संचालन हो सके। समाज में अनुशासित और व्यभिचारी लोग पुलिस से अधिक भयभीत रहते हैं।

भय का जन्म पाप से होता है धर्म और पुलिस दोनों का ही समाज में विशेष महत्व है। धर्म के द्वारा समाज में अनाचार एवं व्यभिचार को रोका जा सकता है एवं उसके अलावा पुलिस के द्वारा भी। पुलिस व धर्म का सम्बन्ध सदियों से चला आ रहा है। जब से समाज में व्यभिचार व अनाचार उत्पन्न हुये तभी से अनुशासनात्मक क्रियायें।

समाज में हमेशा से ही विधि, न्याय, प्रशासन व कानून की जरूरत पड़ी जिसमें बहुत सी सामाजिक सार्वभौमिकतायें एवं सुधारात्मक पक्षों का निर्माण होता है। समाज भी कभी ऐसा सोचने के लिये बाध्य होता है कि आखिर अपराधी भी एक आदमी ही होता है और गलती करना आदमी का स्वभाव होता है।

जनपद ज़ालौन में पुलिस द्वारा बहुत से प्रकार्यात्मक सुझाव दिये जिससे कि समाज की संरचना स्वच्छ व सुन्दर हो तथा प्रत्येक व्यक्ति आजादी से जी सकें तथा उसकी अपनी एक निर्भीक व निडर बस्ती हो।

लामब्रासो के अनुसार– यदि समाज से सभी अपराधियों को समाप्त कर दिया जाये तो पूरा समाज अपराध विहीन होगा। इस सिद्धान्त के अनुसार "अपराधी बनते हैं पैदा नहीं होते हैं।"

समाज में हमेशा अशान्ति अव्यवस्था और विभिन्न क्रान्तियों का जन्म शुरू से होता आ रहा है, यही स्थिति जनपद जालौन की है।

1901 में जनपद जालौन बना तब से लेकर आज तक समाज में बहुत से परिवर्तन हुये, नये–नये अपराधों का जन्म हुआ उसका मुख्य कारण बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी तथा आवश्यकता से अधिक खर्चे हैं जिन्होंने समाज में हिंसात्मक प्रवृत्तियों को जन्म दिया। मानव बहुत सी जाने अनजाने में भूल करता है इसलिये उसका जीवन अव्यवस्थित व भेदभाव से परिपूर्ण हो जाता है। यदि पुलिस प्रशासन को जनपद से समाप्त कर दिया जाये तो समाज में संघर्षता, अमानवता एवं अव्यवस्था पूर्ण रूप से व्याप्त हो जायेगी और उससे बहुत सी बुराइयाँ उत्पन्न होगी तथा सामाजिक जीवन दूषित तथा अव्यवस्थित होगा।

समाज में अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहुत सी व्यवस्थायें चलती रहती हैं जिनमें पुलिस विभाग का भी अस्तित्व है। पुलिस विभाग हमेशा सामाजिक बुराईयों को नष्ट करता रहता है जिसमें इस विभाग के द्वारा समाज में एकता की भावना को विकसित करना नये उल्लास और खुशियों को समाज को देना जिससे हर नागरिक साम्प्रदायिकता, दुष्क्रूरता, दुराचारता और अनैतिकता से दूर रह सके।

महात्मा गांधी के अनुसार "पाप करने का अर्थ यह नहीं है कि जब वह आचरण में आ जाये तब ही उसकी गिनती पाप में हुयी। पाप तो ज़ब हमारी दृष्टि में आ गया, विचार में आ गया वह हमसे हो गया। 6

समाज में नैतिक मूल्यों व आदर्शों का गिरना सामाजिक अव्यवस्था को उत्पन्न करना है जिससे अपराधों की संख्या में वृद्धि होती है। अपराध भी समाज़ में छूत की बीमारी की तरह फैलते हैं यह बीमारी भी अपराधियों की संख्या में वृद्धि के लिये उत्तरदायी है। दुराचार मानव के आन्तरिक आचरणों को प्रभावित करते हैं जिससे समाज में नई समस्याओं का जन्म होता है। मानव मस्तिष्क में विभिन्न विचारों की उत्पत्ति होती है जिससे समाज में अनैतिकता भी फैलती है और अध्यात्मिकता का ह्रास होता है। समाज में धीरे–धीरे कभी–कभी जनरीतियां भी रुढ़िवादी बन जाती हैं जिससे समाज में दुष्क्रूरता व अपकारपूर्ण कृत्य पैदा होते हैं।

जनपद जालौन में पुलिस परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति परम्परागत एवं गैर परम्परागत तरीके से कहीं–कहीं पर विचारणीय बन जाती है। सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के द्वारा ही पुलिस परिवारों में निर्धनता, गरीबी, भुखमरी एवं बेरोजगारी जैसे कारणों को देखा जा सकता है। आर्थिक समस्यायें भी परिवार को विषम परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर देती है जिससे परिवार के लोगों को विषमता एवं पिछड़ापन महसूस करना पड़ता है।

जनपद जालौन में उद्योग धंधों के अभाव होने के कारण पुलिस परिवार के बच्चें को तकनीकि ज्ञान होने पर भी सही रोजगार नहीं मिल पाता है उन्हें या तो उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में पलायन करना पड़ता है या फिर रोजगारोन्मुख व्यवसाय को चुनना पड़ता है जिससे परिवार की स्थिति नाजुक हो जाती है।

पुलिस परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अन्य विभागों के कर्मचारियों से भिन्न होती है। इसका मुख्य कारण पुलिसकर्मियों की ड्यूटी 24 घण्टे की है तथा घर पर अपने मन एवं मस्तिष्क को पूर्ण रूप से एकाग्र न करके परिवार के सदस्यों की देखभाल सही नहीं कर पाते जिससे एक अलग परिवार का वातावरण तैयार हो जाता है और विभिन्न प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां एवं असंस्कृतता पनपाती है।

पुलिस परिवारों की आर्थिक दशा का विभिन्न थानों एवं कोतवालियों में सर्वेक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि स्थिति संतोषजनक एवं असंतोषजनक दोनों प्रकार की है जिससे बहुत से संकीर्ण स्वार्थ व भावनायें भी पनपती हैं जो परिवार व समाज के लिये घातक है। आज पुलिस परिवारों में शिक्षा का स्तर संतोषप्रद है। उसका मुख्य कारण शिक्षा के प्रति जागरुक हुए।

जनपद में ग्रामीण क्षेत्र के पुलिस परिवार भी धीरे–2 सामाजिकता एवं आर्थिकता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कालान्तर में पुलिस परिवार ने भी धीरे–2 आर्थिक युग से अपने आपको जोड़कर समाज के साथ गतिशील और प्रभावशाली बनाया है।

शोधार्थी ने पुलिसकर्मियों से राजनेताओं द्वारा दबाव डालने के कारण जानने का प्रयास किया। इस सम्बन्ध में पुलिसकर्मियों ने जो उत्तर दिये उसका उत्तर तालिका में दिया जा रहा है–

तालिका सं0– 6.5

राजनेताओं द्वारा दबाव डालने पर पुलिसकर्मियों की प्रतिक्रिया सम्बन्धी तालिका

उत्तर	का0	हे0का0	उप नि0	निरी0	कुल
पक्षपातपूर्ण	14	06	12	13	45
निष्पक्ष	06	02	35	09	52
परिस्थितियों पर आधारित	02	03	24	12	41
अन्य	02	04	05	35	46
कोई उत्तर नहीं	07	02	–	–	09
कुल आधार	31	17	76	69	193

तालिका आंकड़ों के आधार पर राजनेताओं द्वारा कार्य हेतु दबाव डालना स्वीकार करते हैं। उनमें राजनेताओं द्वारा दबाव डालने पर पुलिसकर्मियों की अलग–अलग प्रतिक्रियायें हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि पुलिसकर्मियों का स्थानान्तरण राजनेताओं द्वारा कर दिया जाता है। अन्वेषणकर्ता ने पुलिसकर्मियों से इस सम्बन्ध में प्रश्न किया कि उस समय पुलिसकर्मियों ने अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कई प्रकार के विचार व्यक्त किये।

तालिका सं0– 6.6

राजनेताओं का कार्य न करने पर पुलिसकर्मियों का स्थानान्तरण सम्बन्धी तालिका

उत्तर	का0	हे0का0	उप नि0	निरी0	कुल
हाँ	38	16	75	35	164
नहीं	85	35	55	45	220
कोई उत्तर नहीं	14	06	—	—	20
कुल आधार	137	57	130	80	404

वर्तमान तालिका का विश्लेषण करने पर प्रकट होता है कि पुलिसकर्मियों का अधिकतर वर्ग राजनेताओं के कथनानुसार कार्य न करने पर उनका स्थानान्तरण कर दिया जाता है। इस विचार के अन्तर्गत उत्तर सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार से है। अतः वर्तमान सामाजिक व्यवस्था से स्पष्ट होता है कि राजनेताओं के कार्य न करने पर उन्हें स्थानान्तरण कराने में मुख्य भूमिका रहती है जो पुलिसकर्मियों के सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती है।

पुलिसकर्मियों की आर्थिक स्थिति

व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान समय में ऐसी धारणा विद्यमान है कि जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक धन है। समाज में उसका उतना ही आदर है। पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि धन ही सब कुछ है। धन रहित व्यक्ति का अस्तित्व नहीं होता समाज

में धन हीन मनुष्य का कोई सम्मान नहीं होता इसलिये मनुष्य धन प्राप्त करने हेतु तरह तरह के कार्य करके धन एकत्र करने का प्रयास करता है।

वर्तमान सामाजिक परिवेश में व्यक्ति का आर्थिक स्तर उसके सामाजिक जीवन के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अतः अन्वेषणकर्ता ने पुलिसकर्मियों की आर्थिक स्थिति जानने हेतु उनसे कई प्रश्न किये।

पुलिसकर्मियों से अन्वेषणकर्ता ने पूछा कि आपकी मासिक आय क्या है? क्या आप अपनी मासिक आय से सन्तुष्ट हैं अगर सन्तुष्ट नहीं तो क्या कारण है? मुख्य व्यवसाय के अलावा कोई अन्य आय के स्रोत और उस सहायक आय के स्रोत की मासिक या वार्षिक आय क्या है? वर्तमान समय में आप ऋणग्रस्त तो नहीं हैं। अगर ऋणग्रस्त हैं तो किस प्रकार का ऋण है आदि।

तालिका नं0– 6.7

पुलिसकर्मियों की मासिक आय सम्बन्धी तालिका

विवरण का आधार	का0	हे0का0	उप नि0	निरी0	कुल
5000 से 8000 तक	105	35	35	23	198
7000 से 9000 तक	35	29	40	14	118
8000 से 10000 तक	22	27	23	29	101
10000 से ऊपर	–	–	22	24	46

उपरोक्त तालिका के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि पुलिसकर्मियों की मासिक आय अलग–अलग पदों की अलग–2 है। कान्स्टेबिल और उपनिरीक्षकों की मासिक आय में काफी भिन्नतायें हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के भत्ते भी शामिल हैं।

तालिका सं0– 6.8

पुलिसकर्मियों की मासिक आय से सन्तुष्टि सम्बन्धी तालिका

उत्तर	का0	हे0का0	उप नि0	निरी0	कुल
असन्तुष्टि	135	95	79	29	338
सन्तुष्टि	40	05	46	36	127
कोई उत्तर नहीं	–	–	–	18	18

शोधकर्ता ने पुलिसकर्मियों से यह जानने का प्रयास किया कि पुलिसकर्मी क्या अपनी मासिक आय से सन्तुष्ट है या असन्तुष्ट है इसका उत्तर जनपद स्तर का पुलिस प्रशासन अपनी मासिक आय सन्तुष्ट एवं असन्तुष्ट दोनों तरह से बताता है। कान्स्टेबिल तथा हेड कांस्टेबिल अपनी मासिक आय से सन्तुष्ट नहीं है परन्तु निरीक्षक उपनिरीक्षक अपनी मासिक आय से सन्तुष्ट है। उनके पास अन्य जीविका के साधन हैं।

पुलिस कर्मियों का मासिक आय से सन्तुष्ट न होने के कारण सम्बन्धी ग्राफ

तालिका सं0 6.9 का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण

तालिका सं0– 6.9

पुलिसकर्मियों का मासिक आय से सन्तुष्ट न होने के कारण सम्बन्धी तालिका

उत्तर	का0	हे0का0	उप नि0	निरी0	कुल
कार्य के अनुसार कम वेतन	85	30	61	35	211
चौबीस घंटे कार्य परन्तु मासिक आय में कोई वृद्धि नहीं	90	31	–	12	133
परिवार का दूसरी जगह रहने से आर्थिक समस्या	78	63	58	32	221
अन्य	10	12	26	28	76
कुल आधार	263	136	145	107	651

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बहुत से पुलिसकर्मी अपनी मासिक आय से सन्तुष्ट नहीं है। उनकी यह धारणा है कि श्रम के अनुसार वेतन नहीं दिया जाता है जबकि हम अपने कार्य के लिये पूर्ण रूप से समर्पित है। यह धारणा अधिकतर सभी पुलिसकर्मियों की है जो निरीक्षक तथा उपनिरीक्षक पद पर कार्यरत है।

तालिका सं0– 6.10

पुलिसकर्मियों की सहायक व्यवसाय या पैतृक व्यवसाय से आय (वार्षिक) सम्बन्धी तालिका

उत्तर	का0	हे0का0	उप नि0	निरी0	कुल
कोई आय नहीं	70	29	22	30	151
12 से 16 हजार	62	10	18	22	112
16 से 24 हजार	–	–	65	76	141
24 हजार से ऊपर	–	–	90	04	94
	132	39	195	132	498

अन्वेषणकर्ता ने पुलिसकर्मियों से यह जानने का प्रयास किया कि मासिक आय के अतिरिक्त तुम्हारे पास अन्य कौन–कौन स्रोत हैं तो पुलिसकर्मियों का यह मत था कि वेतन के अतिरिक्त कुछ परिवार में कृषि एवं पैतृक व्यवसाय भी है जिस कारण से आर्थिक स्थिति काफी मजबूत है जिसके अन्तर्गत पुलिस उपनिरीक्षक, निरीक्षक एवं अन्य उच्च पदों पर आसीन पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।

तालिका सं0– 6.11

पुलिसकर्मियों की ऋण ग्रस्तता की स्थिति सम्बन्धी तालिका

उत्तर	का0	हे0का0	उप नि0	निरी0	कुल
हाँ	60	22	65	–	147
नहीं	80	37	90	–	207
कुल	140	59	155	–	354

पुलिस कर्मियों को ऋण प्रदान करने वाले स्रोत सम्बन्धी ग्राफ

तालिका सं0 6.12 का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण

सन्तुष्ट नहीं है जिससे उन्हें मानसिक रूप से काफी विचलित रहना पड़ता है। पुलिसकर्मी स्वीकार करते हैं कि वर्तमान समय के जनपद में विभिन्न राजनैतिक पार्टी के नेता गलत कार्य हेतु उन पर दबाव डालते हैं। इन परिस्थितियों में आधे से अधिक पुलिसकर्मी उन्हीं के निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं जैसा कि जनपद के पुलिसकर्मियों ने अपने विचार व तथ्य व्यक्त किये।

आमतौर पर पुलिसकर्मी कुछ न कुछ सीमा तक आम जन मानस से जुड़े हुये हैं जिस कारण से उनकी छवि धूमिल व अस्पष्ट हो रही है। आज मीडिया एवं पत्रकारिता काफी जागरुक है जिस कारण से पुलिसकर्मियों को भी अपने कर्तव्य के प्रति जागरुक रहना पड़ता है।

पुलिसकर्मी यह स्वीकार करते हैं कि पुलिस जनपद के बाहूबलियों एवं धनबलियों से प्रभावित है क्योंकि कई बार यह लोग पुलिस आचरण एवं क्षमताओं पर टीका टिप्पणी करते हैं जिससे उनकी कार्य पद्धति प्रभावित होती है। पुलिसकर्मियों का एक बड़ा समूह कहीं न कहीं जनसम्पर्क एवं जनकार्य हेतु जाति एवं धर्म का सानिध्य प्राप्त कर अपने कार्यों को मूल रूप देने की बात स्वीकार करता है।

आज समाज में पुलिस की स्थिति बड़ी विचारणीय एवं असमंजस की है। उसका मुख्य कारण अपराध दर का बढ़ना। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी एवं अन्य प्रकार के सामाजिक राजनैतिक एवं नैतिक दबाव है।

आज प्रत्येक पुलिसकर्मी जनमानस की निगाहों में उपेक्षित एवं नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है उसका मुख्य कारण बदलता हुआ

सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश जिससे आज पुलिस के प्रति जनसामान्य की धारणायें अलग–2 हैं।

प्रश्न यह उठता है कि वे कौन से तथ्य हैं जिनके आधार पर जन सेवा हेतु नियुक्त पुलिसकर्मी समाज में धर्म एवं जाति के आधार पर कार्य करने की मानसिक स्थिति उत्पन्न हो रही है। सामान्य जन जीवन में तो ऐसी धारणायें हो सकती हैं कि जनता धर्म एवं जाति का संरक्षण लेकर व्यवहार करें परन्तु पुलिसकर्मियों द्वारा इस प्रकार की भूमिका जिसमें जाति एवं धर्म के संरक्षण के आधार पर किया जाये। वह समाज के लिये विष समान ही होगा क्योंकि हमारे देश में जाति व्यवस्था काफी मजबूत एवं विस्तृत है।

आर्थिक दृष्टिकोण से पुलिसकर्मियों का मासिक वेतन सामान्य है। अगर काफी अच्छा नहीं है तो कम भी नहीं है। मासिक आय के अतिरिक्त अन्य छोटे–छोटे आय के स्रोत भी हैं। सामान्यतः पुलिसकर्मियों की आर्थिक स्थिति सामान्य थी परन्तु कुछ पुलिसकर्मियों ने पारिवारिक उत्तरदायित्वों के कारणों से विभिन्न प्रकार से ऋण लेने के कारण स्थिति गम्भीर एवं चिंतनीय है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ0 पी0एस0 भूषण "पुलिस और समाज" मनीषा पब्लिकेशन गोलमार्केट नई दिल्ली पृष्ठ सं0 105

2. डॉ0 एस0अखिलेश–"पुलिस और समाज" राधाकृष्णन प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड अंसारी मार्ग दरियागंज नई दिल्ली पृ0सं0 236

3. जी0 विश्वेश्वरैया अनुवादक–"समाज एक परिचयात्मक विश्लेषण "आ0एम0 मैकाइवर एवं चार्ल्स पेज प्रेम इलैक्ट्रिक प्रेस महात्मागांधी मार्ग– आगरा पृ0सं0 319–20

4. डी0एस0 वघेल "अपराध शास्त्र" विवेक प्रकाशन जवाहर नगर, दिल्ली पृष्ठ सं0– 413

5. डॉ0 पी0एस0 भूषण "पुलिस और समाज" मनीषा पब्लिकेशन गोल मार्केट, नई दिल्ली पृ0 सं0–110

6. डी0एस0 वघेल "अपराध शास्त्र" विवेक प्रकाशन जवाहरनगर, दिल्ली संस्करण 2003 पृ0 सं0–98

सप्तम अध्याय

निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण

संगठन अब भी ब्रिटिश पुलिस प्रशासन के आधार पर चल रहा है। भारतीय पुलिस अधिनियम पैदल चलने वाली पुलिस के लिये 124 वर्ष पहले बनाया गया था परन्तु आज जब पुलिस की दुनिया जिप्सी कारों, मोबाइलों तथा वायरलेस सेटों से सम्पन्न हो चुकी है। पर कानून आज भी पुलिस का उतना ही पुराना है। कई जगह रिपोर्ट उर्दू में लिखी आज भी देखने को मिल जाती है। जिसका अर्थ लिखने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानता। फर्द वरामदगी शब्द का अर्थ जों समझ जाये वह भारतीय पुलिस से पार पाने की सोच सकता है।

सन् 1861 में भारतीय दण्ड विधान जो बना था उस समय का समाज और आज के समाज में काफी विभिन्नतायें हैं। आज का समाज भौतिकवादी गतिविधियों में लिप्त हो जाने से नीति, नियति व नैतिकता तीनों ही समाप्त हो चुकी हैं जो समस्त समाज के लिये द्योतक है। अगर मूल पुलिस कानून पर चले तो पुलिस विभाग के समस्त कर्मचारी आम जनमानस को एक आदर्शगामी मार्ग की ओर ले जा सकता है।

यह सत्य है कि मुख्य रूप से पुलिस विभाग में विदेशी कर्मचारी तंत्र के नियम अपनाये गये उन नियमों के अन्तर्गत एक सिपाही को एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न करना था जिससे जन सामान्य भयग्रस्त बना रहे। इसी को आधार मानकर ब्रिटिश शासन के पुलिस अधिकारियों ने अपने कनिष्ठ कर्मियों के साथ और कनिष्ठ कर्मियों ने समाज में सामान्य जनजीवन में अपनाया जो आज भी पुलिस प्रशासन में विद्यमान

हो एक सामान्य पुलिसकर्मी अपने तंत्र में विद्यमान अव्यवस्था को कभी नहीं भूलता क्योंकि वह जन सामान्य के साथ जैसा व्यवहार करता है, उससे भी भद्दा व्यवहार पुलिस अधिकारियों द्वारा उसके साथ किया जाता है। शायद इसी का बदला वह सामान्य नागरिकों से लेता है या उस मूल संहिता का विस्तार करता है जो उसे पुलिस तंत्र द्वारा विरासत में प्राप्त होती है। पुलिस अधिकारी भी राजनीतिज्ञों के दबाव में शर्मनाक आज्ञापालन करते हैं लेकिन पुलिस अधिकारी या कर्मचारी इस अन्याय के विरुद्ध कुछ भी करने में अक्षम रहते हैं क्योंकि न्याय पाने की वैधानिक मशीनरी हमारे वर्तमान समाज में सुचारु रूप से उपलब्ध नहीं है।

पुलिस, समाज और अपराधियों के मध्य त्रिकोणात्मक जटिल सम्बन्ध है। जहाँ पुलिस के व्यवसाय के ढाँचे को आधुनिक स्थितियों को एवं परिस्थितियों के अनुकूल लाना आवश्यक है। पुलिस व समाज के सहयोगात्मक व सकारात्मक विचारधारा के द्वारा सामाजिक जीवन को स्वच्छ व स्वस्थ बनाया जा सकता है।

अपराधियों पर नियंत्रण करना और उनके मानसिक विचारों को सुधार करना एक जीवन के सकारात्मक अच्छे रास्ते हैं जिनके द्वारा अपराधी के आपराधिक जीवन को सहज व मानवीय मूल्यों पर केन्द्रीय भूत किया जा सकता है।

पुलिस और समाज का आपस में अतीतकाल से वर्तमानकाल तक एक तारतम्य है जिसमें अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियां भी शामिल हैं जो विभिन्न तरीके से समाज को सुधारात्मक प्रतिमानों की पैरवी करता

है। शोधकर्ता ने अपने शोधकार्य में पुलिसकर्मियों के स्वभाव, व्यवहार, कार्यप्रणाली उनकी सामाजिकता आर्थिकता एवं संगठनात्मकता का अध्ययन किया। आधुनिकता और भौतिकवादिता के कारण पुलिस का जीवन भी प्रभावित हुआ जिसमें कई प्रकार की विसंगतियां पैदा हुई जिसका मूल कारण अपराधों का बढ़ना, भ्रष्टाचार संवैधानिक अनुच्छेदों का हनन एवं सकारात्मक दृष्टिकोण का पतन जिससे मानवीय जीवन दिन–प्रतिदिन कलंकित हुआ और पुलिस प्रशासन में कई प्रकार के मोड़ आये।

क्षेत्र के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र में अपराधों की वृद्धि का मुख्य कारण बेरोजगारी, व्यसनों का अधिक प्रयोग प्राकृतिक विपत्तियाँ, अशिक्षा एवं गरीबी है। उत्तर प्रदेश झाँसी मण्डल के विभिन्न जनपदों की आपराधिक दर अलग अलग है एवं जालौन जनपद की विभिन्न तहसीलों की आपराधिक दर भी अलग–अलग है जिसका मुख्य कारण पुलिस प्रशासन का संख्त एवं निष्क्रिय होना है। जनपद जालौन के प्रमुख अपराध जुआ, डकैती, हत्या, धोखाधड़ी, राहजनी, बलात्कार, छेड़छाड़, अश्लील हरकतें आदि। अपराधों का प्रतिशत जनपद की भिन्न भिन्न तहसीलों एवं ब्लाकों में अलग अलग है। कालपी तहसील में 38 प्रतिशत, माधौगढ़ तहसील में 44 प्रतिशत, जालौन तहसील में 56 प्रतिशत, कोंच तहसील में 47 प्रतिशत और उरई तहसील में 52 प्रतिशत है।

अन्वेषणकर्ता ने विभिन्न तहसीलों के अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया तो पाया कि बहुत से अपराधियों का सम्बन्ध श्वेतपोशधारी से होता है जो अपराधियों को शरण एवं संरक्षण देते हैं

अन्वेषणकर्ता ने यह भी पाया कि अधिक अपराध होने का प्रमुख कारण भौगोलिक परिस्थितियाँ भी हैं जिनमें मुख्य रूप से जमुना, पहूज, बेतवा, सिन्ध के बीहड़ एवं झाड़ीदार वृक्ष हैं। इसके साथ–साथ विभिन्न गाँव के लोगों के द्वारा अपराधी को शरण देना एवं उनको खाद्य सामग्री एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। जिससे मानवीय एवं नैतिक पक्ष दूषित होते हैं।

जनपद के तहसीलों के अन्तर्गत विभिन्न ब्लाक एवं ग्राम पंचायतों में अपराध की दर अलग अलग है जिसके द्वारा आम जनजीवन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है और पुलिस प्रशासन को भ्रष्ट एवं कलंकित करता है। आज अपराधियों के पास उत्तम किस्म के हथियार, वातानुकूलित गाड़ियां एवं मंहगे मोबाइल फोन हैं जिनके द्वारा वे अपराध करके बड़ी आसानी से विभिन्न जनपदों में या बीहड़ों में प्रवेश कर जाते हैं या अन्य प्रान्तों में पलायन कर जाते हैं।

शोधकर्ता ने विभिन्न तहसीलों के थानों एवं कोतवालियों से आपराधिक आंकड़ों को एकत्रित किया जिसमें पुरुषों का आपराधिक दर 46 प्रतिशत एवं महिलाओं का 19 प्रतिशत है। महिलाओं के अपराध पुरुषों के अपराध से अलग होते हैं महिलाओं के प्रमुख अपराधों में दस्युओं को शरण देना, व्यसनों को बेचना एवं वेश्यावृत्ति भी शामिल है। आमतौर पर जनपद में खुली वेश्यावृत्ति नहीं है परन्तु कुछ महिलायें गरीबी एवं मजदूरी के कारण इस व्यवसाय में शामिल हैं। विशेषतौर सो कालपी तहसील की।

अन्वेषणकर्ता ने अध्ययन के समय पुलिसकर्मियों से कई ऐसे तत्वों पर वार्तालाप की जिनकी अभिलेखों में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। जनपद जालौन के विभिन्न थानों, कोतवालियों एवं चौकियों में जाकर सर्वेक्षण किया तो कांस्टेबिल एवं पुलिस के अन्य अधिकारियों की स्थिति अलग–अलग है जिसका मुख्य कारण वहाँ का जनसामान्य, विभिन्न पार्टियों के राजनेता, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक स्तर है।

शोधकर्ता ने व्यक्तिगत पूरे जनपद का सर्वेक्षण किया। विभिन्न पुलिस कर्मियों से सूचनायें एकत्रित की। इसके साथ–साथ उनसे वार्तालाप करते समय बहुत सी पुलिस एवं अपराधियों की गोपनीय वातें प्राप्त हुयी जो शोधकर्ता को गत्यात्मक एवं प्रेरणा बनाने के लिये बहुत उपयोगी रही।

अन्वेषणकर्ता ने यह भी देखा कि पुलिस प्रशासन एक बहुत अच्छा कार्य कर सकता है यदि उसे निष्पक्ष बनाया जाये उस पर किसी प्रकार राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दबाव न हो। आजादी के पहले की पुलिस और आजादी के बाद की पुलिस में बहुत बड़ा अन्तर है। उसका प्रमुख कारण जातीयता, साम्प्रदायिकता, जनसंख्या विस्फोट, धर्म का व्यवसायीकरण एवं राजनीति का अपराधीकरण है। पुलिसकर्मी अपना कार्य बड़ी स्वच्छ मानसिकता से करें परन्तु आम जनमानस उनकी कार्य प्रणाली में बाधा डालते हैं जिससे वे अपना कार्य पूर्ण उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यपरायणता से नहीं कर पाते हैं।

पुलिस और समाज एक दूसरे के पर्याय हैं और सफल सलाहकार भी। इसलिये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि पुलिस प्रशासन का सहयोग करे और अपराधियों को विभिन्न तरीके से स्वच्छ एवं आदर्श नागरिक बनाने की प्रेरणा दे। यह कार्य पुलिस और जनसामान्य के सहयोग से हो सकता है जिससे किसी एक जनपद में नहीं बल्कि सम्पूर्ण देश में आदर्श समाज की रचना हो सकती है। यही पुलिस प्रशासन एवं समाज से अपेक्षायें हैं।

आज पुलिस का कार्यक्षेत्र एक लोक कल्याणी राज्य में असीम और विशाल है। मनुष्य का आचरण नियन्त्रित करने के लिये जो कुछ भी आवश्यक होता है, वह पुलिस के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। पुलिस को अपराधों की रोकथाम कर अपराधियों का पता लगाना होता है, शांति व व्यवस्था बनाये रखनी होती है और किसी भी प्रकार के उपद्रव को रोकना होता है। पुलिस को देश की सुरक्षा के लिये तथा जन–कल्याण के लिये शासन द्वारा बनाये गये सभी विधानों और विनियमों का पालन कराना पड़ता है। इस प्रकार पुलिंस समाज का एक आवश्यक अंग है, जिसके अभाव में सुव्यवस्थित समाज और अन्ततः राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। पुलिस समाज को व्यक्ति को जीवन साधन करने लायक बनाती है, जहां व्यक्ति अपने जीवन के सर्वोच्च विकास और लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। एक लोक–कल्याणकारी राज्य में पुलिस की भूमिका नकारात्मक कम और सकारात्मक अधिक हो जाती है। यह सम्भव है कि किसी देश में

पुलिस का सकारात्मक या नकारात्मक पक्ष के अनुपात में विभिन्नता हो, तथापि पुलिस का सकारात्मक कार्य पुलिस को जनता से जोड़ना है। पुलिस जनता की हो जाती है और जनता की पुलिस व्यवस्था होने पर एक लोक–कल्याणकारी राज्य सार्थक होता है।

आज सभ्य समाज में पुलिस की छवि धूमिल होती जा रही है, उसकी छवि मनमाने ढ़ंग से कार्य करने की बन चुकी है। समाज के प्रत्येक वर्ग ने यह स्वीकार किया है के पुलिस का वर्दीधारी संगठन को किसी भी मामले में स्वच्छंद संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। पुलिस अपने कर्तव्यों का सही निर्वाह नहीं करती। आज उसे रक्षक के स्थान पर भक्षक के नाम से सम्बोधित किया जाता है।

भारतवर्ष में प्रत्येक राज्यों के महानगरों में स्थित राजनैतिक लोगों के सम्बन्ध पुलिस से बन चुके हैं जिससे कमजोर वर्ग एवं धनी वर्ग के बीच एक गहरी खाई बन गयी है और समाज में पक्षपात का वातावरण व्याप्त होता जा रहा है। आज पुलिस आम जन–मानस से दूर हो चुकी है। समाज के हर वर्ग ने पुलिस की खुली आलोचना की है, आज पुलिस तन्त्र पर सारे नियम विरोधी कार्यों का आरोप लग रहा है। अत्याचार बर्दाश्त करने को आम जन तैयार रहते हैं परन्तु पुलिस के पास जाना उन्हें मंजूर नहीं रहता है क्योंकि पुलिस निष्क्रिय साबित हो चुकी है।

1973 के केन्द्रीय सरकार के पुलिस शोध संगठन ब्यूरो ऑफ रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट नई दिल्ली ने अपराध का पता लगाने में तथा

थाने पर अपराध की रिपोर्ट करने में पुलिस की भूमिका को संदिग्ध ठहराया है। पुलिस अधिकारी अधिकांशतः रिपोर्ट को टालते हैं तथा धाराओं का मुलजिमों पर दुरुपयोग करते हैं जिससे आज मीडिया में पुलिस की छवि एवं उसका सम्मान गिर रहा है। इस सम्बन्ध में उच्च पुलिस अधिकारी भी मौन रहते हैं। उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों के समाचार सम्पादक समाज सेवी एवं पत्रकार पुलिस की छवि पर आज विभिन्न प्रकार की टीका–टिप्पणी करते हैं।

आज पुलिस के सभी पद आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। यहाँ तक कि आई0पी0एस0 अधिकारियों ने भी विभागीय नियमों व अधिकारों का उल्लंघन किया। भारतीय पुलिस की कुछ मजबूरियाँ भी हैं जिसका मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या, आधुनिक शस्त्रों का अभाव एवं अपराध करने के नये–नये तरीके जिस कारण से पुलिस को कईबार मसक्कत करनी पड़ती है। शासन ऐसी व्यवस्था करे जिससे पुलिस बदनाम जमात (वर्ग) से बच सके और उसके प्रति जनता का आक्रोश बदल सके।

बहरहाल, इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि पुलिस महकमा पूरी तरह अनियंत्रित सा हो चुका है। नाजायज कार्य कराने का पूरा श्रेय इसी महकमे को जाता है। पद एवं गोपनीयता, सेवाभाव की शपथ लेकर खाकी बर्दी धारण करने वाले पुलिसकर्मी अपने दायित्व का निर्वाह पूरे मन से नहीं करते हैं। पुलिस महकमे का शीर्ष नेतृत्व भी कहीं–कहीं अपने कर्तव्यों से भटक चुका है।

आज एफ0आई0आर0 (प्रथम सूचना रिपोर्ट) लिखवाना सामान्य व्यक्ति के लिये काफी मशक्कत भरा कार्य है। आवश्यकता है नये पुलिस कमीशन और एक नये आधुनिक संशोधन के तहत पुलिस महकमे एवं अधिकारों पर अंकुश लगाने की तथा पुलिसकर्मियों की मानसिकता बदलने की। यदि ऐसा न हो सका तो पुलिस तन्त्र की स्वच्छन्द कार्यप्रणाली कायम रहेगी तथा सरकार के सारे सुझाव बेकार साबित होंगे।

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र में पुलिस को बड़ी रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिये। उसे राजनैतिक प्रभावों से मुक्त होकर मानवीय संवदेनाओं के आधार पर जनता की रक्षा करते हुये अपराधों को रोकना चाहिये। तभी एक स्वस्थ्य समाज की कल्पना की जा सकती है।

साक्षात्कार अनुसूची

1. आप किस पद पर नियुक्त हैं?

   कांस्टेबिल पद पर।

2. आपके परिवार में कितने बच्चे हैं?

   तीन बच्चे।

3. क्या आप पुलिस की नौकरी से सन्तुष्ट हैं?

   नहीं।

4. आपको कितने घंटे नौकरी करनी पड़ती है?

   24 घंटे।

5. आपके बच्चों का शैक्षणिक स्तर क्या है?

   हाईस्कूल से लेकर स्नातक।

6. आपकी जीविका के अन्य स्रोत कौन–कौन–से हैं?

   कृषि एवं व्यवसाय।

7. आपके परिवार में कितने बच्चे स्नातक एवं स्नातकोत्तर हैं?

   दो स्नातक एक स्नातकोत्तर।

8. अपराधी पकड़ते समय आपको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है?

   1. स्वचालित अत्याधुनिक शस्त्रों का अपराधियों के पास होना।
   2. अपराधियों का मुठभेड़ के दौरान भाग जाना।

9. अपराधी के सामने किस तरह से आप अपनी प्रशासनिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं?

संवैधानिक एवं वैधानिक।

10. क्या अपराधी किसी प्रकार की धमकियाँ देते हैं?

हाँ, राजनैतिक धमकियाँ।

11. किस–किस तरह की धमकियाँ आपको मानसिक पीड़ा पहुंचाती हैं?

राजनैतिक एवं नैतिक धमकियाँ।

12. आपको कार्य करने में आसानी कहाँ मिलती है?

1. थाना 2. कोतवाली 3. चौकी

13. क्या आपको पुलिस विभाग की तरफ से वाहन की सुविधा दी गई है?

हाँ।

14. आप जिस क्षेत्र में कार्यरत हैं वहां अपराध की दर कितनी है?

28 प्रतिशत।

15. दस्यु का मुकाबला करते समय आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है?

भोजन, वाहन एवं हथियार सम्बन्धी।

16. आपकी पदोन्नति का क्या तरीका है?

कोई भी साहसी कार्य करना।

17. क्या आप अपने अधिकारियों से संतुष्ट हैं?

हाँ या नहीं

नहीं।

18. अपराधियों को पकड़ते समय आप कौन–सी मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं?

सकारात्मक प्रतिदर्श विधि।

19. क्या आपके पास पुलिस वायरलैस व्यवस्था है?

हाँ।

20. आपको समय–समय पर क्या कोई प्रशिक्षण दिया जाता है?

हाँ।

21. क्या राज्य सरकार की तरफ से लोन की सुविधा है?

हाँ।

22. महिला पुलिसकर्मियों को किन–किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है?

सामाजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक

23. उ0प्र0 महिला पुलिसकर्मी की किस तरह की वर्दी है?

खाकी।

24. वर्दी की धुलाई एवं प्रेस का क्या कोई पैसा मिलता है?

हाँ मिलता है।

25. आप प्रतिदिन कितने घंटे परेड करते हैं?

2 घंटे, 5 बजे से 7 बजे तक।

26. आपके विभाग के द्वारा क्या कोई खेल खेले जाते हैं?

हाँ। (राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय खेल)

27. आपके विभाग द्वारा किसी अपराधी की मानसिकता कैसे बदली जाती है?

शारीरिक दण्ड एवं प्रलोभन देकर

28. आपके अधिकारी आपसे क्या कोई घरेलू काम करवाते हैं?

हाँ।

29. क्या अधिकारियों द्वारा उच्च व निम्नवर्ग का व्यवहार किया जाता है?

हाँ।

30. कितने अधिकारी छुआछूत को मानते हैं?

60 प्रतिशत।

31. क्या गृहमंत्रालय द्वारा समय–समय पर नये कानून बनाये जाते हैं?

हाँ।

32. पुलिस कांस्टेबिल का प्रशिक्षण केन्द्र कहाँ है?

कानपुर, मुरादाबाद, आगरा।

33. आपको कितने समय तक प्रशिक्षण दिया जाता है?

2 वर्ष।

34. क्या आपके विभाग ने अपराधी को पकड़ने की नई तकनीक शुरू की है?

हाँ।

35. क्या होमगार्ड विभाग आपकी कोई मदद करता है?

हाँ

36. मुल्जिम को ले जाते समय किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है?

वाहन एवं सुरक्षा सम्बन्धी।

37. पुलिस विभाग द्वारा ट्रेफिक किस तरह से नियोजित किये जाते हैं?

यातायात जागरुक पखवाड़ा मनाकर।

38. क्या महिला पुलिसकर्मियों की रात्रि में ड्यूटी लगाई जाती है?

हाँ (किन्तु थानों में)

39. क्या कोई महिला पुलिसकर्मी गश्तदल में भाग लेती है?

नहीं।

40. पैट्रोलिंग करते समय किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है?

वाहन एवं अपराधियों की गतिविधियों सम्बन्धी

41. आपको प्रतिदिन कितनी जगह हस्ताक्षर करने पड़ते हैं?

तीन जगह (रोजनामचा, उपस्थिति रजिस्टर, चौकी)

42. महिला अधिकारियों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है?

पैट्रोल एवं वाहन सम्बन्धी

43. क्या आपकी अपराधियों से रंजिस रहती है?

हाँ।

44. आपके परिवार में वृद्धों की संख्या कितनी है?

दो।

45. महिला पुलिसकर्मी को रात्रि में भी ड्यूटी करनी पड़त है?

नहीं।

46. जनपद जालौन में महिला पुलिसकर्मी की संख्या कितनी है?

47. जनपद जालौन में क्या कोई महिला पुलिस थाना है?

48. जनपद में कितनी महिला कांस्टेबिल हैं?

49. महिला पुलिसकर्ती के वेतनमान में एवं पुरुष पुलिसकर्मी के वेतनमान में कितना अन्तर है?

समान वेतनमान।

50. अपराधियों को पकड़ते समय कितने लोग आपके साथ होते हैं?

चार से आठ तक।

51. जब आप किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो वह आपको किस दृष्टि से देखता है?

वर्दी पहने हुये शक की दृष्टि से और बिना वर्दी के सामान्य दृष्टि से।

52. आप अपनी वर्दी को किस दृष्टि से देखते हैं?

राष्ट्रप्रेम एवं राष्ट्र सम्मान की दृष्टि से।

53. क्या आपको पुलिस विभाग की तरफ से कोई नम्बर दिया जाता है?

हाँ।

54. आप चालान का कब प्रयोग करते हैं?

जब पुलिस विभाग के कार्य से बाहर जाते हैं?

55. आप मुल्जिम को कितने दिन तक रिमांड में रखते है?

जब तक कि अपराधी सच्चाई कुबूल न कर ले।

56. वर्तमान समय में मुल्जिम को ले जाते समय आपको किन बातों का भय रहता है?

मुल्जिम पक्ष के लोग आक्रमण न कर दें।

57. क्या आपको कोई राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की बच्चों को शिक्षित करने के लिये लोन दिया जाता है?

हाँ, दिया जाता है।

58. पुलिस विभाग के कर्मचारी का व्यवहार किस–किस तरह का होता है?

सामान्य एवं असामान्य

59. आपके जनपद के किस–किस थाने में महिला एवं पुरुष बंदीगृह हैं?

तहसील स्तर के सभी थानों एवं कोतवालियों में

60. आपके थाने में क्या मालखाना है?

हाँ

61. सी0ओ0 को किस किस तरह के अधिकार प्राप्त हैं?

समस्त आपराधिक विवेचना सम्बन्धी अधिकार।

62. जनपद में कितने सी0ओ0 हैं?

63. राष्ट्रीय पर्वों पर क्या कोई सुविधायें मिलती हैं?

हाँ (कपड़ों की धुलाई एवं सफाई की सुविधा)

64. क्या राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिये कोई विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है?

हाँ

65. बदलते सामाजिक परिवेश में क्या कोई नये नियम गृहमंत्रालय ने बनाये हैं?

हाँ।

66. पुलिस विभाग द्वारा जनपद में कोई ट्रेफिक पखवाड़ा मनाया जाता है?

हाँ।

67. तहसील दिवस में पुलिस की क्या भूमिका है?

पुलिस व जनता के बीच समन्वय।

68. पुलिस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है?

69. आज की पुलिस और ब्रिटेनकाल की पुलिस में क्या अन्तर है?

वर्तमान की पुलिस विभाग पर आम जनमानस भ्रष्ट एवं नैतिक हीनता की दृष्टि से देखता है।

70. पुलिस द्वारा बलबा के समय जनता की क्या मदद की जाती है?

झूठी अफवाह न उड़ायें और संवेदनशील क्षेत्र में पुलिस दल को स्थापित करना।

71. जिला में कितने दंगा नियंत्रक वाहन हैं?

72. दंगा नियंत्रण करते समय पुलिस को किन अस्त्रों का प्रयोग करना पड़ता है?

आँसू गैस, पानी की बौछार, हवाई फायर।

73. क्या पुलिस विभाग द्वारा जातिवाद अपनाया जाता है?

हाँ।

74. थानों एवं कोतवालियों में लिखा रहता है कि दलालों का प्रवेश वर्जित है। यह कहाँ तक सत्य है?

सत्य नहीं है।

75. "सत्यमेव जयते" कितना सत्य है, पुलिस विभाग के लिये?

वर्तमान समय में सत्यमेव जयते केवल लिखा है, उसका कोई अनुसरण नहीं करता।

76. आज पुलिस के समक्ष कौन–कौन–सी समस्यायें हैं?

समय से वेतन न मिलना।

77. पुलिस विभाग के समक्ष श्वेत वसन अपराधी किस तरह का व्यवहार करते हैं?

अभद्र एवं अनैतिक व्यवहार।

78. पुलिस व राजनेताओं के बीच किस तरह की विसंगतियां हैं?

दोनों की विचारधारायें अलग–अलग हैं।

79. क्या राजनेताओं द्वारा पुलिस को परेशान किया जाता है?

हाँ (विभिन्न प्रकार की धमकियाँ देकर)।

80. पुलिस के दो प्रमुख कर्तव्य बताइये?

राष्ट्र की रक्षा करना एवं असामाजिक तत्वों को सही रास्ता दिखाकर उनका जीवन व्यवस्थित करना।

81. उत्तर प्रदेश का पुलिस मुख्यालय कहाँ है?

इलाहाबाद।

82. उत्तर प्रदेश का फिंगर प्रिंटिंग सेन्टर कहाँ है?

मेरठ।

83. उ0प्र0 के पी0ए0सी0 का मुख्यालय कहाँ है?

सीतापुर।

84. जनपद जालौन का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है?

उरई।

85. रेलवे पुलिस बल क्या सामान्य पुलिस में आ सकती है?

हाँ

सुझाव

1. पुलिस का तफतीश करते समय सही अपराधी को पकड़ना चाहिये जो वास्तव में दोषी हो।
2. मामलों के चश्मदीद गवाहों से पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 161 के अधीन पूछताँछ करना चाहिये।
3. पुलिस विभाग को सही एवं समस्त धाराओं का वास्तविक ज्ञान होना चाहिये।
4. सामान्य रूप से छोटे मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में अन्वेषण के 24 घण्टे के अन्दर पूर्ण करना सम्भव नहीं होता है, परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त की गिरफ्तारी करना आवश्यक हो जाता है किन्तु पुलिस को किसी व्यक्ति को 24 घण्टे से अधिक अभिरक्षा में रखने का अधिकार नहीं है। यदि इससे अधिक अवधि के लिये अभिरक्षा की आवश्यकता हो तो धारा 167 के अधीन मजिस्ट्रेट से पुलिस अभिरक्षा की मांग की जाती है।
5. ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट द्वारा सम्पूर्ण देश में प्रथम सूचना पत्र का प्रारूप समान ही निर्धारित कर दिया गया है और अब प्रत्येक राज्य में वहाँ की स्थानीय भाषाओं में एक समान प्रारूप में लिखी जानी चाहिये।
6. पुलिस थाने की भारसाधरक अधिकारी से पंक्ति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो स्थानीय क्षेत्र में नियुक्त है उसमें सर्वत्र उन शक्तियों का .प्रयोग कर सकते हैं जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं

के अन्दर कर सकते हैं। ऐसे अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है।

7. अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कई दफा कुछ व्यक्ति बदला लेने के उद्देश्य से पुलिस की सहायता प्राप्त करने के आशय से झूठी प्राथमिक सूचनायें लिखा देते हैं ताकि पुलिस अपने अधिकारों का प्रयोग करें। भारतीय दण्ड संहिता में प्रावधान किये गये हैं कि जब ऐसी झूठी सूचना देने पर जो संज्ञेय अपराध से सम्बन्धित हो किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 182 की कार्यवाही की जा सकती है।

8. जब घटनास्थल का चित्र लिया जाये तभी उसका नजरी नक्शा भी बनाना चाहिये क्योंकि यही वे दो तरीके हैं। स्वयं नजरी नक्शा बनाने के पश्चात तहसीलदार की ओर पत्र भेजकर लेखपाल से घटना स्थल का नक्शा बनवाया जाता है। यह घटनास्थल को न्यायालय के सामने यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने में सहायक होता है।

9. यदि आपराध के घटनास्थल पर कोई शस्त्र या हथियार पाया जाता है तो उसका छायाचित्र लिया जाना चाहिये अथवा उसका नक्शा जिसमें उसके पड़े रहने का स्थान प्रभावित व्यक्ति के संदर्भ में स्पष्ट अंकित किया गया हो। यदि कोई हथियार पड़ा हुआ मिलता है तो यह ध्यान रंखा जाना चाहिये कि उसे नंगे हाथों से न छुआ जाये।

10. गोली के प्रवेश और बाहर निकलने के स्थान पर पैदा हुये घाव का सही माप एक पैमाने की सहायता से किया जाना चाहिये। इन घावों का परीक्षण आतिशी शीशे से किया जाना चाहिये।
11. हमारे देश का आम नागरिक धर्म भीरु होता है इसलिये विवेचना अधिकारी को गवाह से चतुरता और धर्म का उपयोग करते हुये बातचीत करना चाहिये ताकि वह सभी बातों को सत्य बता सकें।
12. कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को उससे अधिक अवधि के लिये अभिरक्षा में नहीं रखेगा जो उस मामले की सब परिस्थितियों में उचित है। मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिये आवश्यक समय को छोड़कर चौबीस घण्टे से अधिक नहीं होना चाहिये।
13. जब कोई व्यक्ति पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुये मर जाता है तो मृत्यु के कारण की जाँच पुलिस अधिकारी के बजाय या उसके अतिरिक्त वह निकटतम मजिस्ट्रे करेगा जो मृत्यु की समीक्षा करने के लिये सशक्त है।
14. पुलिस विभाग को अपराधी से अपराध उगलवाने के लिये मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना चाहिये।
15. पुलिस के समक्ष जातीयता, भेदभाव, पारिवारिकता या सामाजिकता जैसे प्रतिमानों पर अपराधियों को कम या ज्यादा सजा नहीं देना चाहिये।

16. पुलिस विभाग को अपने कार्य में पारदर्शिता रखनी चाहिये जिससे उनका प्रत्येक कार्य निष्कलंकित एवं कपटता से रहित हो।
17. प्रत्येक पुलिसकर्मी को राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय गान एवं वर्दी का सम्मान करना चाहिये।
18. प्रत्येक पुलिसकर्मी को अपना कार्य करते समय गरीब एवं दलित वर्ग के लोगों को शोषित नहीं करना चाहिये।
19. पुलिसकर्मी को अपना कार्य करते समय भारतीय संविधान की विभिन्न धाराओं एवं अनुच्छेदों का ध्यान रखना चाहिये।
20. गृहमंत्रालय के द्वारा समय–समय पर परिवर्तित होने वाले नियमों की जानकारी होनी चाहिये।
21. पुलिस विभाग को आधुनिक हथियारों से सुसज्जित होना चाहिये।
22. पुलिस विभाग के कार्य प्रणाली में राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये।

परिशिष्ट (अ+ब)

परिशिष्ट 'अ'

<u>दंगा–पीड़ितों के लिये प्रश्नावली</u>

नाम –

पिता का नाम –

धर्म –

आयु –

रोजगार –

शिक्षा –

1. साम्प्रदायिक दंगों के दौरान आप पुलिस को किस रूप में पाते हैं।

   मित्र (शत्रु तटस्थ

2. क्या आप साम्प्रदायिक दंगों के दौरान पुलिस से मदद मांगने जायेंगे

   हाँ नहीं कह नहीं सकते

3. साम्प्रदायिक दंगों के दौरान आप अपने क्षेत्र में किस बल की तैनाती चाहेंगे।

   नागरिक पुलिस पी0ए0सी0 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

4. पुलिस से आप साम्प्रदायिक दंगों के दौरान क्या अपेक्षा करेंगे।

   (अ) बलवाइयों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही

   (ब) बलवाइयों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्यवाही

   (स) ढुलमुल कार्यवाही

परिशिष्ट 'ब'

पुलिस अफसरों के लिये प्रश्नावली

नाम —

आयु —

शैक्षणिक योग्यता —

पद —

1. साम्प्रदायिक संघर्षों के दौरान आप पुलिस की निष्पक्षता को किस तरह से परिभाषित करेंगे।
2. क्या आपने कभी किसी साम्प्रदायिक दंगे के दौरान पुलिसकर्मियों के व्यवहार में कोई साम्प्रदायिक भेदभाव देखा है?
3. क्या आप समझते हैं कि पुलिस लाइनों अथवा थानों में मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा अथवा गिरजाघरों का निर्माण उचित है।
4. क्या आप समझते हैं कि पुलिस कार्यालयों में देवी—देवताओं की तस्वीरें टांगने अथवा पुलिस साइन वोर्डों पर गीता के श्लोक लिखने अथवा पुलिस समारोहों में पूजा करने या पुलिस के रोजमर्रा के जीवन में नारियल तोड़ने जैसे धार्मिक प्रतीकों का उपयोग उचित है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

संदर्भित ग्रन्थों की सूची

1. डॉ0 अजय शंकर पाण्डेय : नई सहस्त्राब्दि में पुलिस कैसी हो.. लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद संस्करण 2001
2. डॉ0 . पी0एस0 भूषण : पुलिस और समाज मनीषा पब्लिकेशन नई दिल्ली संस्करण 1998
3. विभूति नारायण राय : साम्प्रदायिक दंगे और भारतीय पुलिस राधाकृष्ण प्राकशन प्राइवेट लिमिटेड संस्करण 2000
4. प्रो0एस0 अखिलेख एवं डॉ0 गायत्री शुक्ल : अपराध अन्वेषण गायत्री पब्लिकेशन रीवा म0प्र0 संस्करण 2004
5. डॉ0 आर0 टण्डन : अपराध पुलिस विज्ञान एवं न्यायिक विज्ञान साहित्य सेवा सदन सागर म0प्र0 संस्करण 2006
6. अनुवाद सरोज वशिष्ट एवं प्रदीप पण्डित : हिम्मत है, किरण बेदी एक जीवनी फ्यूजन बुक्स नई दिल्ली संस्करण 2003

7. अनुवादक सजवेहनारी भरूचा: सलाखों की परछाइयां फ्यूजन बुक्स नई दिल्ली संस्करण 2005

8. डी0एस0 वघेल : अपराध शास्त्र विवेक प्रकाशन जवाहर नगर नई दिल्ली संस्करण 2003

9. डॉ0 अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव : रेलवे पुलिस एवं अपराध प्रकाशक म0प्र0 हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल संस्करण 1997

10. प्रो0एम0एल0 गुप्ता एवं डी0डी0 शर्मा : समाजशास्त्र साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा संस्करण 2006

11. डॉ0 किरण वेदी : जैसा मैने देखा प्रकाशक फ्यूजन बुक्स संस्करण 2003

12. सतीश चन्द्र भटनागर एवं शान्ता भटनागर : आपराधिक विवेचना सुविधा लॉ हाउस प्रा0 लि0 मालवीय नगर रोशनपुरा भोपाल

13. उत्तर प्रदेश 2006–07 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0 लखनऊ

14. भारत 2007 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग नई दिल्ली

15. एस0के0 वाधवा : घरेलू हिंसा एवं यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण कानून वाधवा लॉ हाउस ग्वालियर संस्करण–2007

16. भारद्वाज आर0के0 इण्डियन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली नेशनल पब्लिशिंग हाउस 1978

17. अइय्यर वी.आर.कृष्णन पुलिस इन वेलफेयर स्टेट, नई दिल्ली, एशिया बुक सेन्टर 1958

18. कृष्णमूर्ति के0 पुलिस पावर्स एण्ड डयूटीज, इलाहाबाद ला बुक 1959

19. इण्डिया दिल्ली पुलिस कमीशन। 1966–68 रिपोर्ट, 1969

20. इण्डिया लॉ कमीशन 14 रिपोर्ट रिफारमिंग इन जूडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन 1961–62 नई दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ ला, 1963

21. होम एफेअर्स स्टडी रिपोर्ट 1975 नई दिल्ली दि व्यूरो 1976

22. गुप्ता राम लाल गाइड टू पुलिस लॉ इन इण्डिया, लखनऊ स्टर्न बुक 1961

23. इण्डिया स्पेशल पुलिस — हेल्ड एट पटना, 25 टू 28 अगस्त 1960 रिपोर्ट 1961

24. इण्डिया स्पेशल पुलिस — इनक्वारी कमेटी 1949–52 रिपोर्ट 1952 1961

25. इण्डिया स्पेशल पुलिस स्टेब्लिसमेंट — इनक्वारी कमेटी 1949–52 रिपोर्ट 1952

26. इंडियन पुलिस कमीशन रिपोर्ट — 1902–1903

27. एम.पी.पुलिस कमीशन रिपोर्ट — 1965–66

28. घोष एच0के0 — पुलिस एण्ड पब्लिक भुवनेश्वर होम डिपार्टमेंट 1965

29. काक्स कर एण्डमण्ड सी. — पुलिस एण्ड क्राइम इन इण्डिया लन्दन सर्टलि पाल एण्ड कं0 एन0सी0

30. करी जे.सी. — दि इण्डियन पुलिस नई दिल्ली मनु पब्लिकेशन (1976) रिप्रिन्टेड

हिन्दी समाचार पत्र

1. अमर उजाला कानपुर संस्करण
2. हिन्दुस्तान टाइम्स नई दिल्ली
3. नई दुनिया भोपाल संस्करण
4. जनसत्ता नई दिल्ली संस्करण
5. स्वदेश भोपाल एवं ग्वालियर संस्करण

6. दैनिक भास्कर ग्वालियर संस्करण

7. दैनिक राष्ट्रबोध जयपुर संस्करण

8. राजस्थान पत्रिका जयपुर संस्करण

9. पंजाब केसरी चण्डीगढ़ संस्करण

10. दैनिक जागरण कानपुर एवं झाँसी संस्करण

पत्रिकायें

1. इण्डिया टुडे

2. माया

3. आउटलुक

4. कादम्बनी

5. सरिता

ENGLISH NEWS PAPERS

1. The Hindu

2. The Times of India

3. Indian Express

4. The Patriot

5. The Hindustan Times

BOOKS AND ARTICLES

1. Ahorn James F Police in Trouble New York Praeger, 1972

2. Alexander P.J. Legal Framwork of Police Process, Toution and Distortion, 2003

3. Alexander P.J. Policing India in the New Millennium New Delhi, Allied.

4. Aravind Indian Administration, Bombay, Himalaya Publishers 1992

5. Belson, w, The Public and the police Boston Harker and Row 1975.

6. Berkley, George, E The Democratic Policeman, Boston, Beacon Press 1969

7. Bharad way A Police modernization in India A study of woman police in Delhi New Delhi the Indian Journal of social work vol. 37 N. 1979.

8. Lakshmi Narayanan V.R. Issues in policing The Hindu 29 October 2002

9. Lal. K. Neo Terrorism An Indian Experience New Delhi Gyan Book 2003

सरकारी प्रतिवेदन एवं पुलिस आयोग

1. Government of Assam, Report of the Assam Police Coomiission, Tezpur, 1971.

2. Government of India, Crime in India, New Delhi, National Crime. Records Bureau, Ministry of Home Affairs, 2000

3. Government of India, Report of the Indian Police Coomiision. 1902- 03, Simla, Central Printing Press, 1903.

4. Government of India, Reports of the National Police Commission, New Delhi, 1979-1981.

5. Government of Kerala, Final Report of the Kerala Police Reorgani zation Commission Thiruvananthapuram 1986.

6. Government of Kerala, Report of the Administrative Reforms Committee, Thiruvananthapuram, 1997.

7. Government of Kerala, Report of the Administrative Re-organization and Economy Committee, Thiruvananthapuram, 1967.

8. Government of Kerala, Report of the Kerala Police Re-Organization Commission, Thiruvananthapuram, 1984.

9. Government of Maharashtra, Report of the Maharashtra Police Commission, Bombay 1964.

लेख-साप्ताहिक और मासिक पत्रिकायें

1. अलेक्जेन्डर पी0जे0 — "शुड दि पुलिस एण्ड पब्लिक आर्डर बाई उन कारपोरेटेड इन दि कंसरनेट लिस्ट" इन, पुलिस साइन्स कांग्रेस जयपुर 1968

2. अन्दान ए0डी0 — दि वैल्यू आफ इन्वाएरमेंट इन ए पुलिस स्टेशन इण्डियन पुलिस जनरल, जुलाई 1958 पृ0 39

3. अइयर टी0जी0 एल0 — दि सिस्टम अप्रोच टू ला एण्ड आर्डर पुलिस रिसर्च एझड डेवलपमेंट जरनल अक्टूबर दिसम्बर 1975 पृ0 9

4. अइयर टी0जी0एल0 — प्रेजरवेंशन आफ दि सेन्स आफ क्राइम एण्ड इवीडिएन्स कलेक्शन, व्यूरो आफ पुलिस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट, 1976 पृ0 13

5. आचार्य एम0आर0 — "दि प्रेजेन्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम आफ दि पुलिस इन इण्डिया" ए रिविव जरनल आफ दि सोसाइटी, फार दि स्टडी आफ स्टेट गवर्नमेंट वालूम V जुलाई सितम्बर और अक्टूबर दिसम्बर 1972, पृ0 223

6. इल्मस फ्रेन्क — "पुलिस एण्ड कामर्शियल सिक्योरिटी", पुलिस जरनल, जन–मार्च 1971 पृ0 53

7. इंग्लांटन आर0 — "फ्रेन्च पुलिस ट्रेनिंग पुलिस" जरनल अक्टूवर 1970 पे0 13